वार्षिक प्रतिवेदन

2013-2014

.....

हिंदी रूपांतर

.....

विषय वस्तु

		पृष्ठ
अध्याय-1	**प्रस्तावना और संगठनात्मक संरचना**	1-3
	(क) प्रस्तावना	1-2
	(ख) संगठनात्मक संरचना	2
	(ग) संगठनात्मक चार्ट	3
अध्याय-2	**संसद के दोनों सदनों का बुलाया जाना और सत्रावसान**	4-6
	(क) सत्र का बुलाया जाना और सत्रावसान	4
	(ख) सत्र	5-6
	(i) बुलाया जाना	5
	(ii) सत्रावसान	5-6
	(ग) लोक सभा के लिए मतदान, गठन, पहली बैठक, कार्यकाल पूरा होने तथा उसके विघटन की तारीखें (पहली से पंद्रहवीं लोक सभा)	6
अध्याय-3	**राष्ट्रपति का अभिभाषण और अध्यादेश**	7-14
	(क) राष्ट्रपति का अभिभाषण	7
	(ख) अध्यादेशों के बारे में प्रावधान	8
	(ग) अध्यादेश	8-11
	(घ) वर्ष 1952 - 31.03.2014 के दौरान राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश	12
अध्याय-4	**संसद में सरकारी कार्य और संसदीय समय का वितरण**	15-22
	(क) सरकारी कार्य	15
	(ख) सरकारी कार्य की आयोजना	16-17
	(ग) सरकारी कार्य का प्रबंधन	17
	(घ) निष्पादित सरकारी कार्य का सार	17-18
	(i) विधायी	17-18
	(ii) वित्तीय	18
	(iii) बजट	18
	(iv) अन्य सरकारी कार्य	19
	(अ) मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव	19
	(आ) स्वीकृत सरकारी सांविधिक संकल्प	19-20
	(इ) सरकारी समय का मुख्य आबंटन	20

	(ई) व्यवधानों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय	20-21
	(उ) अन्य गैर-सरकारी कार्य	21
	(ऊ) बैठकों की संख्या	21-22
अध्याय-5	**गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य**	23-28
	(क) लोक सभा	
	(i) नियम 193 के अंतर्गत चर्चा	23
	(ख) राज्य सभा	
	(i) नियम 176 के अंतर्गत चर्चा	24
	(ग) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख	25
	(घ) दिनांक 1.1.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक।	26
	(ङ) दिनांक 1.1.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	26-27
	(च) संसद द्वारा वर्ष 1952 से 31.03.2014 के दौरान पारित किए गए गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक	27-28
	(छ) लोक सभा में स्वीकृत गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प	28
अध्याय-6	**आश्वासनों के कार्यान्वयन का प्रबोधन (मानीटरिंग)**	29-33
	(क) सामान्य प्रक्रिया	29-30
	(ख) लोक सभा	30-31
	(ग) राज्य सभा	32-33
	(घ) लंबित आश्वासनों के निपटान के लिए कार्रवाई	33
	(ङ) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन	33
अध्याय-7	**लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले तथा राज्य सभा में नियम 180 ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख**	34-36
	(क) नियम 377 (लोक सभा) के अधीन उठाए गए मामले	34
	(ख) नियम 180 ए-ई (राज्य सभा) के अधीन विशेष उल्लेख	34-35

	(ग) अनुवर्ती कार्रवाई (घ) प्रश्न काल के पश्चात (शून्य काल में) उठाए गए मामलों पर कार्रवाई	35 36

अध्याय-8	**परामर्शदात्री समितियां**	37-40
अध्याय-9	**सरकार द्वारा प्रायोजित संसदविदों के शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान**	41-57
	(क) संसदविदों के भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल ने 7-15 फरवरी, 2013 के दौरान आस्ट्रेलिया का दौरा	42-48
	(ख) संसदविदों के भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल ने 10-16 अप्रैल, 2013 के दौरान इंडोनेशिया का दौरा	48-51
	(ग) संसदविदों के भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल ने 26 अक्तूबर, 2013 से 2 नवंबर, 2013 के दौरान तुर्कमेनिस्तान और अर्मीनिया का दौरा	52-55
	(घ) विदेश जाने वाले सरकारी शिष्टमंडलों पर संसद सदस्यों का नामांकन	55-56
	(ड.) विदेशी संसदीय शिष्टमंडलों के साथ बैठकें	56
	(च) संसद सदस्यों के विदेश दौरे	57
	(छ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन अनुमति	57
	(ज) विदेश दौरों के लिए राज्य सरकारों को अनुमति/अनापत्ति	57
अध्याय-10	**युवा संसद योजना**	58-68
	(क) प्रस्तावना	58-59
	(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता	59
	(i) 48वीं युवा संसद प्रतियोगिता	59
	(ii) 47वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2012-13 और 48वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2013-14 के पुरस्कार वितरण समारोह	60-61
	(ग) केन्द्रीय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता	62
	(i) 25वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह	62
	(ii) केंद्रीय विद्यालयों के लिए 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2013-14 के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम	63-64

	(iii) 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता	64
	(घ) जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता	64
	(i) जवाहर नवोदय विद्यालयों में 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2013-14 के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम	65-66
	(ii) जवाहर नवोदय विद्यालयों में 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता	66
	(ङ) विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिता	66
	(i) विश्वविद्यालयों/कालेजों के लिए 11वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2012-13 के राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन	66
	(ii) विश्वविद्यालयों/कालेजों के लिए 11वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2012-13 का पुरस्कार वितरण समारोह	66-67
	(च) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिता	67
	(छ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद योजना आरंभ करने के लिए प्रशिक्षण	68
अध्याय-11	**मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग**	69-73
अध्याय-12	**सामान्य**	74-81
	(क) सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन	74
	(ख) हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन	74
	(ग) संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई	74-75
	(घ) संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते	75
	(ङ) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई	75
	(च) संसद सदस्यों का कल्याण	76-77
	(छ) संसद सदस्यों के लिए परिवहन और रात्रि भोजन की व्यवस्था	77

	(ज)	फिल्म शो	77
	(झ)	महत्वपूर्ण समारोहों पर अगवानी कार्य	77
	(ञ)	संसद में विभिन्न दलों/समूहों के नेताओं के साथ संपर्क	77-78
	(ट)	नेताओं/मुख्य सचेतकों और सचेतकों के संस्थान	78
	(ठ)	संसद में विभिन्न राजनैतिक दलों/ग्रुपों के मुख्य सचेतकों/सचेतकों के साथ वर्ष के दौरान आयोजित बैठकें	78-79
	(ड)	केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	79
	(ढ)	अनुसंधान कार्य	79-80
	(ण)	बजट स्थिति	80-81
	(त)	वित्तीय वर्ष 2013-14 में लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर ए.टी.एन. की स्थिति	81
	(थ)	अक्षम व्यक्तियों के लाभार्थ किए गए कार्यकलाप	81
	(द)	ई-ऑफिस एम.एम.पी. का आरंभ	81
	(ध)	नई वेबसाइट का आरंभ	81

परिशिष्ट

		पृष्ठ
परिशिष्ट-1	संसदीय कार्य मंत्रालय को आबंटित कार्य	82-83
परिशिष्ट-2	दिनांक 1.1.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक	84-87
परिशिष्ट-3	लोक सभा के 15वें सत्र और राज्य सभा के 230वें सत्र की समाप्ति पर लोक सभा और राज्य सभा में लम्बित सरकारी विधेयकों की सूची	88-93
परिशिष्ट-4	दिनांक 1.1.2013 से 31.04.2014 की अवधि के दौरान रेल तथा सामान्य बजट पर विचार करने की तारीख (तारीखें) दर्शाने वाला विवरण	94-98
परिशिष्ट-5	मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा की तारीखें और उन पर लिया गया समय इत्यादि दर्शाने वाला विवरण	99-100
परिशिष्ट-6	दिनांक 1.1.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान लोक/राज्य सभा में पुर:स्थापित गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	101-103
परिशिष्ट-7	विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए सितंबर, 2005 में बनाए गए संशोधित दिशा-निर्देश	104-110
परिशिष्ट-8	15वीं लोक सभा के लिए विभिन्न मंत्रालयों के लिए गठित परामर्शदात्री समितियों की सूची	111-112
परिशिष्ट-9	परामर्शदात्री समितियों की बैठकों की तारीखें और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय	113-119
परिशिष्ट-10	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित समितियों, निकायों, परिषदों, बोर्डों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन	120-123
परिशिष्ट-11	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिन्दी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन	124-126
परिशिष्ट-12	संसद सदस्यों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं दर्शाने वाला विवरण	127-132
परिशिष्ट-13	पूर्व संसद सदस्यों को प्रदान की गई सुविधाएं	133-134

अध्याय-1
प्रस्तावना और संगठनात्मक संरचना

प्रस्तावना

1.1 संसदीय प्रणाली की सरकार में, सभी मंत्रालयों/विभागों के समय और संसाधनों का एक बहुत बड़ा भाग संसदीय प्रणाली के दिन-प्रतिदिन के कार्यचालन पर व्यय होता है। संसदीय कार्यक्रम में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित बहुत से जटिल मामले - वित्तीय, विधायी और गैर-विधायी शामिल होते हैं। संसद में सरकार की ओर से इस विविध संसदीय कार्य को कुशलतापूर्वक निपटाने का कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस प्रकार मंत्रालय, संसद में सरकारी कार्य के संबंध में एक ओर सरकार एवं दूसरी ओर संसद के दोनों सदनों के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वय कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह मई, 1949 में एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया और बृहत जिम्मेदारियों और कार्यों के साथ शीघ्र ही यह एक सम्पूर्ण मंत्रालय बन गया।

1.2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन बनाए गए भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अधीन मंत्रालय को आबंटित कार्य **परिशिष्ट-1** में दिए गए हैं।

1.3 यह मंत्रालय संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति को सचिवालयिक सहायता प्रदान करता है जो संसद के दोनों सदनों को बुलाने और सत्रावसान की तारीखों की सिफारिश करने तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के रूख का अनुमोदन करने के अतिरिक्त संसद में सरकारी कार्य की प्रगति पर नजर रखती है और ऐसे कार्य के सुचारू और कुशल संचालन के लिए यथा अपेक्षित निदेश देती है।

1.4 मंत्रालय संसद में लम्बित विधेयकों, पुर:स्थापित किए जाने वाले नए विधेयकों और अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों के संबंध में सरकार के मंत्रालयों/विभागों से निकट सम्पर्क बनाए रखता है। मंत्रालय संसद के दोनों सदनों में विधेयकों की प्रगति पर निरन्तर निगरानी रखता है। संसद में विधेयकों का सुचारू रूप से पारित होना सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय के अधिकारी विधेयक प्रायोजित करने वाले मंत्रालयों/विभागों तथा विधि और न्याय मंत्रालय, जोकि विधेयकों का प्रारूपण करता है, के अधिकारियों के सतत सम्पर्क में रहते हैं।

1.5 मंत्रालय संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियां गठित करता है तथा सत्रावधि और अन्त:सत्रावधि दोनों के दौरान इनकी बैठकें आयोजित करने के लिए व्यवस्था करता है। वर्तमान में, विभिन्न मंत्रालयों से संबद्ध 35 परामर्शदात्री समितियां हैं। मंत्रिमंडल के अनुमोदन से इन समितियों के गठन, कार्यों और

प्रक्रियाओं से संबंधित दिशा-निर्देश इस मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए हैं। मंत्रालय जब भी अपेक्षित हो, सरकार द्वारा गठित आयोगों, समितियों, निकायों इत्यादि पर संसद सदस्यों को नामित भी करता है।

1.6 यह मंत्रालय संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों के शीघ्र और उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ कार्रवाई करता है।

1.7 संसदीय कार्य मंत्रालय संसद सदस्यों के कल्याण संबंधी कार्यों की देख-रेख करता है। संसदीय कार्य मंत्री विदेश दौरा करने वाले विभिन्न सरकारी शिष्टमण्डलों पर संसद सदस्यों का नामांकन करते हैं।

1.8 प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत करने तथा विद्यार्थी समुदाय में अनुशासन और सहनशीलता जैसी स्वस्थ आदतों को डालने और उन्हें संसद के कार्यचालन की पूर्ण जानकारी देने के लिए यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विद्यालयों; पूरे देश के केन्द्रीय विद्यालयों; जवाहर नवोदय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है।

1.9 किसी भी देश में संसदविद् विदेश नीति को स्वरूप प्रदान करने और अन्य देशों से संबंधों को बनाने में योगदान देते हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, भारत लिए यह आवश्यक और उपयोगी है कि वह कुछ संसद सदस्यों का चयन करें ताकि वे अन्य देशों में उनके समकक्ष व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नीतियों, उपलब्धियों, समस्याओं और भविष्य निरूपण को स्पष्ट करके उनको अपने पक्ष में करने के लिए अपनी सुविज्ञता और सेवाओं का प्रभावी रूप में उपयोग कर सकें। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, संसदीय कार्य मंत्रालय संसद सदस्यों के सरकारी शिष्टमण्डलों के अन्य देशों के दौरे प्रायोजित करता है और अन्य देशों की सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के शिष्टमण्डलों के भारत के दौरों का आयोजन भी करता है।

1.10 राजभाषा नीति एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उपयुक्त कार्यान्वयन तथा अनुवाद कार्य के लिए मंत्रालय में एक हिंदी अनुभाग है।

संगठनात्मक संरचना

1.11 मंत्रालय एक कैबीनेट मंत्री के अधीन कार्य कर रहा है, उनकी सहायतार्थ दो राज्य मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों के नाम आदि निम्न प्रकार हैं जिन्होंने प्रतिवेदित अवधि के दौरान संसदीय कार्य मंत्रालय का कार्यभार संभाला :-

1.	श्री कमल नाथ, कैबीनेट मंत्री	दिनांक 28.10.2012 से आगे
2.	श्री राजीव शुक्ल, राज्य मंत्री	दिनांक 12.07.2011 से आगे
3.	श्री पबन सिंह घाटोवार,	दिनांक 20.07.2011 से आगे

	राज्य मंत्री	

संसदीय कार्य मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट (दिनांक 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार)

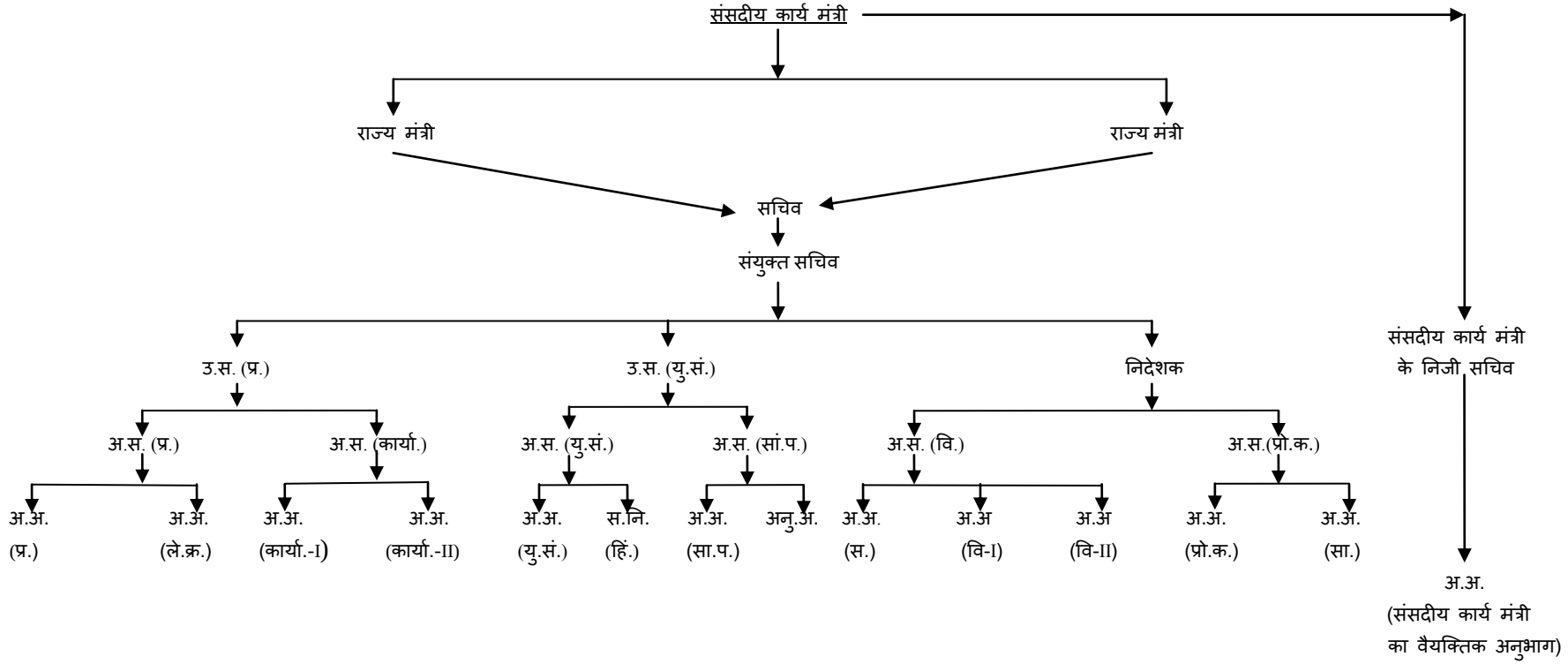

आख्यान

उ.स. - उप सचिव
अ.स. - अवर सचिव
अ.अ. - अनुभाग अधिकारी
स.नि. - सहायक निदेशक
अनु.अ. - अनुसंधान अधिकारी

प्र. - प्रशासन
वि. - विधायी
यु.सं. - युवा संसद
कार्या.- कार्यान्वयन
हि. - हिंदी

सा. - सामान्य
स. - समिति
सां.प. - सांसद परिलब्धियां
ले.क्र. - लेखा और क्रय
प्रो.क. - प्रोटोकॉल और कल्याण

अध्याय-2
संसद के दोनों सदनों का बुलाया जाना और सत्रावसान

एक झलक

- 1.1.2013 से 31.3.2014 की अवधि के दौरान तीन सत्रों में लोक सभा और राज्य सभा प्रत्येक की 73 बैठकें हुई।

सत्र का बुलाया जाना और सत्रावसान

2.1 संविधान के अनुच्छेद 85(1) के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद के प्रत्येक सदन की बैठक ऐसे समय और स्थान पर बुला सकते हैं जैसा कि वे उचित समझें। उक्त अनुच्छेद के खंड (2) के अनुसार राष्ट्रपति सदनों अथवा किसी एक सदन का समय-समय पर सत्रावसान अथवा लोक सभा को भंग कर सकते है। संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन बनाए कार्य आबंटन नियमों के द्वारा यह कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए अपेक्षित समय और लोक हित के विषयों पर चर्चा के लिए संसद सदस्यों द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले समय का निर्धारण किए जाने के पश्चात संसद के सत्र के प्रारम्भ किए जाने की तिथि और इसकी संभावित अवधि की सिफारिश करने के लिए एक टिप्पण (नोट) संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल की समिति के समक्ष रखा जाता है। प्रस्ताव (प्रस्तावों) पर संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, प्रधान मंत्री की सहमति मांगी जाती है। यदि संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति गठित नहीं की गई हो, तो प्रस्ताव (प्रस्तावों) सहित एक नोट मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। सत्र के प्रारम्भ होने की तारीख के संबंध में संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति/कैबीनेट की सिफारिश को राष्ट्रपति को उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात, सत्र के प्रारम्भ होने की तारीख और उसकी समयावधि की सूचना लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों को, संसद सदस्यों को समन जारी करने के लिए भेज दी जाती है।

सत्र

(i) बुलाया जाना

2.2 दिनांक 1.1.2013 से 31.3.2014 की अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा प्रत्येक के तीन-तीन सत्र बुलाए गए। इन सत्रों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

पंद्रहवीं लोक सभा			
सत्र	**अवधि**	**बैठक**	**दिन**
13वां	21 फरवरी, 2013 से 8 मई, 2013	32	77
14वां	5 अगस्त, 2013 से 6 सितंबर, 2013	21	33
15वां भाग- I भाग- II	5 दिसंबर, 2013 से 18 दिसंबर, 2013 5 फरवरी, 2014 से 21 फरवरी, 2014	10 12	14 17
राज्य सभा			
228वां	21 फरवरी, 2013 से 8 मई, 2013	32	77
229वां	5 अगस्त, 2013 से 7 सितंबर, 2013	21	34
230वां भाग- I भाग- II	5 दिसंबर, 2013 से 18 दिसंबर, 2013 5 फरवरी, 2014 से 21 फरवरी, 2014	10 12	14 17

(ii) सत्रावसान

2.3 सदनों के सत्रावसान के प्रस्ताव के लिए संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, सरकार का निर्णय संसद के दोनों सचिवालयों को राष्ट्रपति के आदेश को जारी करने तथा इसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए भेजा जाता है। संसद के दोनों सदनों का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन और सत्रावसान की तारीखों का विवरण निम्नलिखित है:-

पंद्रहवीं लोक सभा		
सत्र	**तारीख**	
	अनिश्चित काल के लिए स्थगन	**सत्रावसान**
13वां	8 मई, 2013	10 मई, 2013
14वां	6 सितंबर, 2013	10 सितंबर, 2013
15वां भाग- I भाग- II	18 दिसंबर, 2013 21 फरवरी, 2014	--- 27 फरवरी, 2014
राज्य सभा		

228वां	8 मई, 2013	10 मई, 2013
229वां	7 सितंबर, 2013	10 सितंबर, 2013
230वां भाग- I भाग- II	18 दिसंबर, 2013 21 फरवरी, 2014	--- 27 फरवरी, 2014

लोक सभा के लिए मतदान, गठन, पहली बैठक, कार्यकाल पूरा होने तथा उसके विघटन की तारीखों का विवरण
(पहली से पंद्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा	मतदान की अंतिम तारीख	गठन की तारीख	पहली बैठक की तारीख	कार्यकाल पूरा होने की तारीख [संविधान का अनुच्छेद 83(2)]	भंग होने की तारीख
1	2	3	4	5	6
पहली	21.02.52	02.04.52	13.05.52	12.05.57	04.04.57
दूसरी	15.03.57	05.04.57	10.05.57	09.05.62	31.03.62
तीसरी	25.02.62	02.04.62	16.04.62	15.04.67	03.03.67
चौथी	21.02.67	04.03.67	16.03.67	15.03.72	*27.12.70
पांचवी	10.03.71	15.03.71	19.03.71	18.03.77	*18.01.77
छठी	20.03.77	23.03.77	25.03.77	24.03.82	*22.08.79
सातवीं	06.01.80	10.01.80	21.01.80	20.01.85	31.12.84
आठवीं	28.12.84	31.12.84	15.01.85	14.01.90	27.11.89
नौंवी	26.11.89	02.12.89	18.12.89	17.12.94	*13.03.91
दसवीं	15.06.91	20.06.91	09.07.91	08.07.96	10.05.96
ग्यारहवीं	07.05.96	15.05.96	22.05.96	21.05.2001	*04.12.97
बारहवीं	07.03.98	10.03.98	23.03.98	22.03.2003	*26.04.99
तेरहवीं	04.10.99	10.10.99	20.10.99	19.10.2004	*06.02.04
चौदहवीं	10.05.04	17.05.04	02.06.04	01.06.2009	18.5.2009
पंद्रहवीं	13.05.2009	18.5.2009	1.6.2009	31.5.2014	

*1. मध्यावधि चुनाव हुए, चुनावों से पहले ही लोक सभा भंग कर दी गई थी।

2. कालम (2) में दी गई मतदान की अंतिम तारीखें निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

अध्याय-3
राष्ट्रपति का अभिभाषण और अध्यादेश

राष्ट्रपति का अभिभाषण

3.1 संविधान का अनुच्छेद 87(1) आज्ञापक है क्योंकि यह राष्ट्रपति को प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारम्भ में और प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारम्भ में भी संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक में अभिभाषण करने के लिए आदिष्ट करता है।

3.2 अनुच्छेद 87 के खंड (2) के अनुसार राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित मामलों पर चर्चा के लिए लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया नियमों में प्रावधान किया गया है। दोनों सदनों में चर्चा संसदीय कार्य मंत्री द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा पेश और अनुमोदित किए गए धन्यवाद के प्रस्ताव पर होती है। इन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संसद के संबंधित सचिवालय को भेजा जाता है। अभिभाषण पर चर्चा काफी व्यापक होती है और सदस्य किसी भी विषय पर चाहे वह राष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय हो, बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यहां तक कि उन मामलों पर जिनका अभिभाषण में विशिष्ट उल्लेख नहीं हो, उन पर भी सदस्यगण अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर संशोधन पेश करके अथवा चर्चा में भाग लेकर बोलते हैं। अभिभाषण में उल्लिखित किसी भी बात के लिए राष्ट्रपति के पद की आलोचना नहीं की जाती है क्योंकि अभिभाषण सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। आलोचना यदि की जानी है तो सरकार की होनी चाहिए।

3.3 कलैंडर वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में दिनांक 21 फरवरी, 2013 को राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण दिया गया। नीचे दी गई तालिका में धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावकों और अनुमोदकों के नाम और उस पर चर्चा की तारीखें दर्शाई गई हैं:-

15वीं लोक सभा का 13वां सत्र	
धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक और अनुमोदक का नाम	चर्चा की तारीखें
श्री पी.सी. चाको (प्रस्तावक) डॉ. गिरिजा व्यास (अनुमोदक)	27 फरवरी और 6 मार्च, 2013 **(स्वीकृत)**
राज्य सभा का 228वां सत्र	
श्रीमती रेणुका चौधरी (प्रस्तावक) श्री प्रवीन राष्ट्रपाल (अनुमोदक)	6, 7 और 8 मार्च, 2013 **(स्वीकृत)**

अध्यादेशों के बारे में प्रावधान

3.4 अनुच्छेद 123 के अनुसार यदि किसी समय (जबकि संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो) राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण उनको तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया हो, तो वे परिस्थितियों की अपेक्षानुसार ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं। ऐसे अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान शक्तिमान और प्रभावी होंगे। लेकिन उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिसके लिए संविधान के अधीन संसद अधिनियम बनाने के लिए सक्षम नहीं हो। उक्त अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि अध्यादेशों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए। इसका निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पेश करने के लिए भी प्रावधान है। संविधान के अन्तर्गत एक अध्यादेश संसद के पुन: सत्रारम्भ से छ: सप्ताह की समाप्ति पर अथवा यदि उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उसका निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाते हैं तो इन संकल्पों के दूसरे संकल्प के पारित होने पर, निष्प्रभाव हो जाता है। जब संसद के सदनों के सत्रारम्भ भिन्न-भिन्न तारीखों को होते हैं तो छ: सप्ताह की अवधि की गणना इसमें से बाद की तारीख से की जाएगी।

3.5 दोनों सदनों के प्रक्रिया नियमों में अध्यादेशों के प्रख्यापन के लिए परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाले विवरण सभा-पटल पर रखने का प्रावधान किया गया है ताकि अध्यादेशों पर विचार करते समय सदस्यगण उसका उपयोग कर सकें।

3.6 संसदीय कार्य मंत्रालय अध्यादेशों की प्रतियों को सभा-पटल पर रख कर, मंत्रालयों से स्पष्टीकरण-विवरण को सभा-पटल पर रखने का निवेदन करके और संबंधित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्पों पर विचार के साथ-साथ उनके प्रतिस्थापन में विधेयकों पर विचार के लिए समय की व्यवस्था करके भारत के संविधान तथा संसद के दोनों सदनों में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करता है। यह सारी कार्रवाई संविधान में निर्धारित छ: सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी करने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

अध्यादेश

3.7 दिनांक 1.1.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान, 13 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए। इस अध्यादेश के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतर की एक प्रति संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों द्वारा लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखी गई। उसके प्रख्यापन, सभा पटल पर रखने, संसद द्वारा अधिनियमों के प्रतिस्थापन इत्यादि की तारीखों संबंधी विभिन्न ब्यौरों की सूचना नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	**अध्यादेश का शीर्षक और प्रख्यापन की तारीख**	**सभा पटल पर रखने की तारीख**	**अध्यादेश के प्रतिस्थापक विधेयक का**	**विधेयक पर विचार करने और पारित करने की तारीखें**	**स्वीकृति की तारीख और**

		लोक सभा	राज्य सभा	पुर:स्थापन	लोक सभा	राज्य सभा	अधिनियम संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
*1	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश 2013 (2013 का संख्या 1) (21.1.2013)	21.2.2013	21.2.2013	26.2.2013 (रा.स.)	-	-	-
*2.	संसदीय और सभा-निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुन:समायोजन अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्या 2) (30.1.2013)	21.2.2013	21.2.2013	26.2.2013 (रा.स.)			
3.	दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्या 8) (18.7.2013)	21.2.2013	21.3.2013	19.3.2013 (लो.स.)	19.3.2013	21.3.2013	2.4.2013 2013 का 13
*4.	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्या 4) (21.5.2013)	5.8.2013	5.8.2013	19.8.2013 (रा.स.)	-	-	-
5.	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) दूसरा अध्यादेश 2013 (2013 का संख्या 5) (29.5.2013)	5.8.2013	5.8.2013	14.8.2013 (लो.स.)	27.8.2013	5.9.2013	12.9.2013 2013 का 22

*6.	संसदीय और सभा-निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुन:समायोजन (दूसरा) अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्या 6) (5.6.2013)	5.8.2013	5.8.2013	7.8.2013 (रा.स.)	-	-	-
7.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्या 7) (5.7.2013)	5.8.2013	5.8.2013	7.8.2013 (लो.स.)	13.8.2013 14.8.2013 26.8.2013	2.9.2013	10.9.2013 2013 का 20
*8.	प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्या 8) (18.7.2013)	5.8.2013	5.8.2013	12.8.2013 (लो.स.)	-	-	-
*9.	प्रतिभूति विधि (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्या 9) (16.09.2013)	5.12.2013	5.12.2013	-	-	-	-
*10.	संसदीय और सभा-निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुन:समायोजन (तीसरा) अध्यादेश,	5.12.2013	5.12.2013	10.12.2013 (रा.स.)	-	-	-

	2013 (2013 का संख्या 10 अध्यादेश) (27.9.2013)						
*11.	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्या 4) (21.5.2013)	5.12.2013	5.12.2013	-	-	-	-
12.	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश संख्या 1) (04.03.2014)	लो.स. 9.06.2014	रा.स. 10.06.2014	-	-	-	-
13.	प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश संख्या 2) (28.03.2014)	लो.स. 9.06.2014	रा.स. 10.06.2014	-	-	-	-

*अध्यादेश व्यपगत हो गए क्योंकि निर्धारित अवधि के भीतर उन्हें अधिनियमों में बदला नहीं जा सका।

3.8 लोक सभा में केवल क्रम संख्या 5 के अध्यादेश के संबंध में तथा दोनों सदनों में क्रम संख्या 3 और 7 पर दर्शाए गए अध्यादेश के संबंध में अध्यादेशों का निरमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्पों को पेश किया।

3.9 **राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1952 से 31.03.2014 तक प्रख्यापित अध्यादेश**

वर्ष	**प्रख्यापित अध्यादेशों की संख्या**	**वर्ष**	**प्रख्यापित अध्यादेशों की संख्या**
1952	09	1953	07

1954	09	1955	07
1956	09	1957	06
1958	07	1959	03
1960	01	1961	03
1962	08	1963	-
1964	03	1965	07
1966	13	1967	09
1968	13	1969	10
1970	05	1971	23
1972	09	1973	04
1974	15	1975	29
1976	16	1977	16
1978	06	1979	10
1980	10	1981	12
1982	01	1983	11
1984	15	1985	08
1986	08	1987	10
1988	07	1989	02
1990	10	1991	09
1992	21	1993	34
1994	14	1995	15
1996	32	1997	31
1998	20	1999	10
2000	05	2001	12
2002	07	2003	08
2004	08	2005	04
2006	03	2007	08
2008	08	2009	09
2010	04	2011	03
2012	01	2013	11
2014 *मार्च तक	02		

टिप्पणी: अध्यादेश प्रख्यापित किए जाने वाले वर्षों के दौरान केन्द्र में सत्ता में रही सरकारों की स्थिति निम्नलिखित है:-

पहली लोक सभा:	2 अप्रैल, 1952 से 4 अप्रैल, 1957 तक; कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू)
दूसरी लोक सभा:	5 अप्रैल, 1957 से 31 मार्च, 1962 तक; कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू)
तीसरी लोक सभा:	2 अप्रैल, 1962 से 3 मार्च, 1967 तक; कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू, 1 अप्रैल, 1962 से 27 मई, 1964 तक; श्री गुलजारी लाल नन्दा दिनांक 27 मई, 1964 से 9

	जून, 1964 तक; श्री लाल बहादुर शास्त्री दिनांक 9 जून, 1964 से 11 जनवरी, 1966 तक और श्री गुलजारी लाल नन्दा दिनांक 11 जनवरी, 1966 से 24 जनवरी, 1966 तक तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी दिनांक 24 जनवरी, 1966 से 3 मार्च, 1967 तक)
चौथी लोक सभा:	4 मार्च, 1967 से 27 दिसम्बर, 1970 तक; कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी दिनांक 4 मार्च, 1967 से 15 मार्च, 1971 तक)
पांचवी लोक सभा:	15 मार्च, 1971 से 18 जनवरी, 1977 तक; कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी)
छठी लोक सभा:	23 मार्च, 1977 से 22 अगस्त, 1979: कांग्रेस (आई)/जनता पार्टी (श्रीमती इन्दिरा गांधी दिनांक 18 जनवरी, 1977 से 24 मार्च, 1977 तक) (श्री मोरारजी देसाई दिनांक 24 मार्च, 1977 से 28 जुलाई, 1979 तक और चौधरी चरण सिंह दिनांक 28 जुलाई, 1979 से 14 जनवरी, 1980 तक)
सातवीं लोक सभा:	10 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1984 तक: कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी दिनांक 14 जनवरी, 1980 से 31 अक्तूबर, 1984 तक और श्री राजीव गांधी दिनांक 31 अक्तूबर, 1984 से 31 दिसम्बर, 1984 तक)
आठवीं लोक सभा:	31 दिसम्बर, 1984 से 27 नवम्बर, 1989 तक: कांग्रेस (आई) (श्री राजीव गांधी दिनांक 31 दिसम्बर, 1984 से 2 दिसम्बर, 1989 तक)
नौवीं लोक सभा:	2 दिसम्बर, 1989 से 13 मार्च, 1991 तक: (श्री वी.पी. सिंह दिनांक 2 दिसम्बर, 1989 से 10 नवम्बर, 1990 तक और श्री चन्द्रशेखर दिनांक 10 नवम्बर, 1990 से 21 जून, 1991 तक)
दसवीं लोक सभा:	20 जून, 1991 से 10 मई, 1996 तक: कांग्रेस (आई) (श्री पी.वी. नरसिम्हाराव दिनांक 21 जून, 1991 से 16 मई, 1996 तक)
ग्यारहवीं लोक सभा:	15 मई, 1996 से 4 दिसम्बर, 1997 तक: भारतीय जनता पार्टी/संयुक्त मोर्चा (1) (श्री अटल बिहारी वाजपेयी दिनांक 16 मई, 1996 से 1

	जून, 1996 तक) (2) (श्री एच.डी. देवेगौड़ा दिनांक 1 जून, 1996 से 21 अप्रैल, 1997 तक और श्री आई.के. गुजराल दिनांक 21 अप्रैल, 1997 से 19 मार्च, 1998 तक)
बारहवीं लोक सभा:	10 मार्च, 1998 से 26 अप्रैल, 1999 तक: भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल (श्री अटल बिहारी वाजपेयी दिनांक 19 मार्च, 1998 से 13 अक्तूबर, 1999 तक)
तेरहवीं लोक सभा:	10 अक्तूबर, 1999 से 6 फरवरी, 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एन.डी.ए. (श्री अटल बिहारी वाजपेयी दिनांक 13 अक्तूबर, 1999 से 22 मई, 2004 तक)
चौदहवीं लोक सभा	17 मई, 2004 से 18 मई, 2009 तक भा.रा.कां. के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (डॉ. मनमोहन सिंह 22 मई, 2004 से 22 मई, 2009 तक)
पंद्रहवीं लोक सभा	18 मई, 2009 से 18 मई, 2014 तक (डॉ. मनमोहन सिंह 22 मई, 2009 से 26 मई, 2014 तक)

अध्याय-4
संसद में सरकारी कार्य और संसदीय समय का वितरण

<u>एक झलक</u>

- वर्ष 2013-14 के लिए रेल बजट 26 फरवरी, 2013 को प्रस्तुत किया गया।
- वर्ष 2013-14 के लिए सामान्य बजट 28 फरवरी, 2013 को प्रस्तुत किया गया।
- अंतरिम रेल बजट 12 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत किया गया।
- अंतरिम सामान्य बजट 17 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत किया गया।
- अंतरिम बजट (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) 21 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत किया गया।
- संसद के दोनों सदनों द्वारा 43 विधेयक पारित किए गए।

सरकारी कार्य

4.1 संसदीय प्रजातंत्र में संसद के समक्ष मुख्य कार्य, सरकारी कार्य से संबंधित होता है। अत: सरकारी कार्य की आयोजना ने बहुत महत्ता अर्जित कर ली है। यह सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह यह देखे कि इस कार्य के लिए समय का ठीक और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में यह प्रावधान है कि सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए नियत किए गए दिनों में सरकारी कार्य की पूर्ववर्तिता होगी और इस कार्य की व्यवस्था ऐसे क्रम में होगी जैसा कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी, संबंधित सदनों के नेताओं के परामर्श से निर्धारित करें। सरकारी कार्य की आयोजना और समन्वय का यह कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस कार्य का निर्वहन करने के लिए मंत्रालय, संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति के निर्देशानुसार कार्य करता है।

4.2 संसद सत्र के दौरान शुक्रवार को ढाई घंटे तथा प्रतिदिन प्रश्न काल को छोड़कर करीब-करीब पूरा समय सरकारी कार्य के लिए सरकार की व्यवस्था में रहता है। तथापि, सरकार अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर विचार के लिए सदस्यों द्वारा समय-समय पर की गई मांग पर और दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर विचार हेतु समय देने के लिए आसानी से सहमत हो जाती है।

सरकारी कार्य की आयोजना

4.3 संसद के सत्र की शुरूआत से पर्याप्त समय पूर्व, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से संसद के आगामी सत्र के दौरान विचार के लिए उनके विधायी और गैर-विधायी प्रस्तावों का विवरण देने का अनुरोध किया जाता है। तथापि, सत्र का कार्यक्रम विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर ही तैयार नहीं किया जाता है। सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय विधेयकों की स्थिति की संवीक्षा और समीक्षा करने के लिए सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के साथ एक बैठक करते हैं। ऐसी तीन बैठकें आयोजित की गई - एक बैठक 14 फरवरी, 2013 को बजट सत्र से पहले, दूसरी बैठक 22 जुलाई, 2013 को मानसून सत्र से पहले और तीसरी बैठक 25 नवंबर, 2013 को शीतकालीन सत्र से पहले आयोजित की गई। तत्पश्चात, संसद के प्रत्येक सत्र के आरम्भ होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री विधायी प्रस्तावों और सरकारी कार्य की अन्य मदों को अंतिम रूप देने में प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए मंत्रालयों/विभागों के सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। वे विधायी प्रस्ताव जो तैयार नहीं है और जिनके समय पर पूरे होने की संभावना नहीं है उनको छोड़ दिया जाता है। ऐसी एक बैठक बजट सत्र से पहले 15 फरवरी, 2013 को आयोजित की गई। प्रतिवेदित अवधि के दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने सत्र की कार्यसूची पर परस्पर सहमति बनाने के लिए दिनांक 1.8.2013, 13.8.2013, 2.12.2013 और 3.2.2014 को संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ बैठकें बुलाई। सरकारी कार्यों का सही आंकलन करने के पश्चात प्रत्येक सत्र के लिए सरकारी कार्यों का एक अस्थायी कैलेण्डर तैयार किया जाता है। दिनांक 1.1.2013 से 31.3.2014 की समयावधि के दौरान सरकारी कार्य की चार अस्थायी सूचियां बनाई गई और संसद सदस्यों को परिचालित करने के लिए लोक/राज्य सभा सचिवालयों को उपलब्ध कराई गई, जिससे उन्हें सत्र के दौरान आने वाले विधेयकों/विषयों का मोटे तौर पर बोध हो जाता है और वे उन पर चर्चा के लिए भाग लेने की तैयारी कर सकते हैं।

4.4 सदस्यों को संसद के दोनों सदनों द्वारा किए जाने वाले सरकारी कार्य की अग्रिम सूचना देने के उद्देश्य से संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री प्रत्येक सप्ताह की अंतिम बैठक के दिन आगामी सप्ताह के दौरान लिए जाने वाले सरकारी कार्य के संबंध में लोक सभा और राज्य सभा में वक्तव्य देते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा में 11 और राज्य सभा में 10 वक्तव्य दिए गए।

4.5(क) सरकारी कार्य के कार्यक्रम के आयोजन की प्रक्रिया सप्ताह में एक बार पूर्वसूचना देने से ही समाप्त नहीं हो जाती है। कार्य की प्रगति पर निरन्तर तथा निकट से निगरानी रखी जाती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर अल्प सूचना पर भी समायोजन किया जा सके। वस्तुत: ऐसे समायोजन दिन-प्रतिदिन करने पड़ते हैं। इस कार्य के लिए मंत्रालय दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक के लिए दैनिक कार्य की सूची में शामिल करने हेतु संसद के संबंधित सचिवालय को सरकारी कार्य की सूची भेजता है। प्रतिवेदित

अवधि के दौरान सरकारी कार्य के निष्पादन के संबंध में लोक सभा के लिए 87 और राज्य सभा के लिए 96 सरकारी कार्य की सूचियां संसद के दोनों सचिवालयों को जारी की गई।

4.5(ख) कार्य मंत्रणा समिति, लोक सभा और कार्य मंत्रणा समिति, राज्य सभा संसदीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से सरकारी कार्य की विभिन्न मदों पर चर्चा के लिए समय का आबंटन करती है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों को 164 मदों (लोक सभा - 79, राज्य सभा -85) के संबंध में समय आबंटन के लिए टिप्पण भेजे गए।

सरकारी कार्य का प्रबन्धन

4.6 सरकारी कार्य का प्रबन्धन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है तथा इसमें संसदीय कार्य मंत्री से अत्यंत कार्य-कुशलता और निपुणता की अपेक्षा की जाती है। शासकीय दल का मुख्य सचेतक होने के नाते उसे सदैव ही सदन में अपने दल के सदस्यों और संबद्ध/समर्थक दलों के सदस्यों, यदि कोई हों तो, की उपस्थिति सुनिश्चित करना अपेक्षित होता है। वे पीठासीन अधिकारियों, विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं के साथ-साथ उनके मुख्य सचेतकों और सचेतकों के साथ निकट और सतत संपर्क भी बनाए रखते हैं।

निष्पादित सरकारी कार्य का सार

(i) विधायी

4.7 पंद्रहवीं लोक सभा के 12वें सत्र तथा राज्य सभा के 227वें सत्र की समाप्ति पर कुल 104 विधेयक (लोक सभा में 54 विधेयक और राज्य सभा में 50 विधयेक) लंबित थे। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, दोनों सदनों में 77 विधेयक (लोक सभा में 40 विधेयक तथा राज्य सभा में 37 विधेयक) पुर:स्थापित किए गए, इस प्रकार कुल 181 विधेयक हो गए। इनमें से, दोनों सदनों द्वारा 43 विधेयक पारित किए गए (**परिशिष्ट-2**)। लोक सभा में तीन विधेयक अर्थात (i) दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2013, (ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 और (iii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2013 वापस लिए गए। राज्य सभा में सात विधेयक अर्थात (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2005, (ii) संसदीय और विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्रों मे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का पुन: समायोजन विधेयक, 2013, (iii) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2013, (iv) औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2007, (v) संसदीय और विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्रों मे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का पुन: समायोजन (दूसरा) विधेयक, 2013, (vi) लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2013 और (vii) साम्प्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005 वापस लिए गए। पंद्रहवीं लोक सभा के 15वें सत्र

और राज्य सभा के 230वें सत्र की समाप्ति पर संसद के दोनों सदनों में कुल 128 विधेयक (लोक सभा में 62 विधेयक और राज्य सभा में 66 विधेयक) लंबित थे, जैसा कि **परिशिष्ट-3** में दर्शाया गया है।

(ii) वित्तीय

4.8 लोक सभा नियमों के नियम 204 में यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे 'बजट' के रूप में जाना जाता है, संसद में ऐसे दिन प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्देश दें। केन्द्रीय सरकार का बजट दो भागों में प्रस्तुत किया जाता है-रेल और सामान्य। रेल बजट सामान्य बजट से दो से तीन दिन पहले पेश किया जाता है, जो सामान्यत: फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को पेश किया जाता है। राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों का राज्य बजट भी प्रस्तुत किया जाता है। बजट लोक सभा में उस समय पेश किया जाता है जब रेल मंत्री तथा वित्त मंत्री अपने बजट भाषण पढ़ते हैं। राज्य सभा में वार्षिक वित्तीय विवरण सामान्यत: लोक सभा में मंत्रियों के भाषणों की समाप्ति पर सभा पटल पर रखा जाता है।

4.9 बजट सत्र, 1993 के दौरान लिए गए निर्णयों में एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी था कि विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का गठन किया जाए जिनका कार्य अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर सदन में मतदान और चर्चा से पूर्व इनकी संवीक्षा करना है। स्थायी समितियों के अन्य कार्यों में अध्यक्ष अथवा सभापति द्वारा उन्हें निर्देशित विधेयकों, मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों और सदनों को प्रस्तुत दीर्घकालीन मूल नीति संबंधी दस्तावेजों तथा पीठासीन अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट कागजातों की जांच करना शामिल है। मार्च-अप्रैल, 2013 में संसद के मध्यावकाश के दौरान, 24 विभागों संबंधी संसदीय स्थायी समितियों ने अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों की संवीक्षा की।

(iii) बजट

4.10 दिनांक 1.1.2013 से 31.3.2014 की अवधि के दौरान, रेल बजट और सामान्य बजट पर विचार करने की तारीखों का विवरण संलग्न है (**परिशिष्ट-4**)।

(iv) अन्य सरकारी कार्य

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव

4.11 मंत्रिपरिषद में विश्वास की आवश्यकता व्यक्त करने की सामान्य प्रक्रिया यह है कि लोक सभा में कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों के नियम 198 के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। विश्वास

प्रस्ताव का साधन हाल की उत्पत्ति है। मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रक्रिया नियमों में कोई नियम नहीं है। लोक सभा के नियम बनाते समय शायद ऐसे प्रस्ताव की कल्पना नहीं की गई थी। ऐसा प्रस्ताव, जो कि एक प्रकार से लोक सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होने को प्रदर्शित करता है, के द्वारा चर्चा करने की आवश्यकता सत्तर के दशक के अंतिम वर्षों में पैदा हुई, जब अल्पमत की सरकारों के दल में विभाजन हुए और उसके पश्चात त्रिशंकु संसद के परिणामस्वरूप गठबंधन सरकारें बनने लगी। इस संबंध में कोई विशिष्ट नियम न होने के कारण, ऐसे विश्वास प्रस्तावों को नियम 184 में उल्लिखित प्रस्तावों की श्रेणी में लिया गया जो कि लोक महत्व के मामलों पर चर्चा करने के लिए बना है। ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा नियम 191 के अंतर्गत सदन के समक्ष सभी आवश्यक प्रश्न रखकर की जाती है।

4.12 ऐसा पहला विश्वास प्रस्ताव 21 दिसंबर, 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था जिसे सदन द्वारा उसी दिन ध्वनिमत से स्वीकृत कर दिया गया था। अब तक प्रस्तुत किए गए ग्यारह विश्वास प्रस्तावों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (**परिशिष्ट-5**)।

स्वीकृत सरकारी सांविधिक संकल्प

4.13 प्रतिवेदित अवधि के दौरान प्रस्तुत किए गए सरकारी सांविधिक संकल्पों का विवरण नीचे दिया गया है, जिन पर विचार किया गया और जिन्हें स्वीकृत किया गया:-

क्र.सं.	**विषय**	**तारीख (तारीखें)**	**लोक सभा**		**तारीख (तारीखें)**	**राज्य सभा**	
			लिया गया समय			**लिया गया समय**	
			घंटे	**मिनट**		**घंटे**	**मिनट**
1.	संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में दिनांक 16 फरवरी, 2014 की उद्घोषणा का अनुमोदन चाहने वाला सांविधिक संकल्प।	20.2.2014	0	01 (बिना चर्चा के स्वीकृत)	20.2.2014 और 21.2.2014	0	14 (स्वीकृत)
2.	रेलवे द्वारा संदेय लाभांश की दर के संबंध में रेल अभिसमय समिति के अनुमोदन की मांग करने वाला सांविधिक संकल्प।	17.2.2014 अंतरिम बजट (रेल) के साथ चर्चा की गई।	(स्वीकृत)		18.2.2014 अंतरिम बजट (रेल) के साथ चर्चा की गई।	(स्वीकृत)	

सरकारी समय का मुख्य आबंटन

4.14 संसद के दोनों सदनों में विधायी, वित्तीय और गैर-वित्तीय मदों (सरकारी कार्यों के संचालन के लिए नियत समय के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्तावों पर बहस की व्यवस्था सहित) पर कुल सरकारी समय के मुख्य आबंटन का विवरण निम्न प्रकार हैं:-

क्र.सं.	मद	लोक सभा		राज्य सभा		प्रतिशत	
		घंटे	मिनट	घंटे	मिनट	लोक सभा	राज्य सभा
1.	विधायी	47	22	58	49	25.23%	28%
2.	वित्तीय	38	42	17	43	20.61%	8.43%
3.	गैर-वित्तीय	101	40	133	32	54.15%	63.56%

व्यवधानों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय

4.15 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, विभिन्न अवसरों पर व्यवधानों/अव्यवस्था के दृश्यों के कारण लोक सभा और राज्य सभा स्थगित की गई। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा में ऐसे स्थगनों इत्यादि पर लगा/व्यर्थ हुआ समय नीचे दर्शाया गया है:-

<u>लोक सभा</u>

सत्र	कुल समय		व्यवधान/अव्यवस्था के दृश्यों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय		व्यवधान/अव्यवस्था के दृश्यों इत्यादि के कारण स्थगनों आदि पर लगे समय का प्रतिशत
	घंटे	मिनट	घंटे	मिनट	
13वां (15वीं लोक सभा)	163	10	92	40	56.79%
14वां (15वीं लोक सभा)	120	00	73	28	61.22%
15वां भाग-I भाग-II (15वीं लोक सभा)	42 72	00 00	35 56	02 38	83.41% 78.65%
कुल =	397	10	257	48	44.90%

<u>राज्य सभा</u>

सत्र	कुल समय		व्यवधान/अव्यवस्था के दृश्यों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय		व्यवधान/अव्यवस्था के दृश्यों इत्यादि के कारण स्थगनों आदि पर लगे समय का प्रतिशत
	घंटे	मिनट	घंटे	मिनट	
228वां	146	54	80	36	54.87%

229वां	105	00	37	19	35.53%
230वां भाग-I भाग-II	35 60	00 00	25 44	50 54	73.8% 74.83%
कुल =	346	54	188	39	44.38%

अन्य गैर-सरकारी कार्य

4.16 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा में 01 और राज्य सभा में 03 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त, लोक सभा में आधे घंटे की 01 चर्चा हुई।

संसद की बैठकों की संख्या और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की संख्या

(वर्ष 1952 से 31 मार्च, 2014 तक)

वर्ष	बैठकों की संख्या		संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक	वर्ष	बैठकों की संख्या		संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक
	लोक सभा	राज्य सभा			लोक सभा	राज्य सभा	
1	2	3	4	1	2	3	4
1952	103	60	82	1953	137	100	58
1954	137	103	54	1955	139	111	60
1956	151	113	106	1957	104	78	68
1958	125	91	59	1959	123	87	63
1960	121	87	67	1961	102	75	63
1962	116	91	68	1963	122	100	58
1964	122	97	56	1965	113	96	51
1966	119	109	57	1967	110	91	38
1968	120	103	67	1969	120	102	58
1970	119	107	53	1971	102	89	87
1972	111	99	82	1973	120	105	70
1974	119	109	68	1975	63	58	57
1976	98	84	118	1977	86	70	48
1978	115	97	50	1979	66	54	32
1980	96	90	72	1981	105	89	62
1982	92	82	73	1983	93	77	49
1984	77	63	73	1985	109	89	92
1986	98	86	71	1987	102	89	61
1988	102	89	71	1989	83	71	38
1990	81	66	30	1991	90	82	63
1992	98	90	44	1993	89	79	75
1994	77	75	61	1995	78	77	45
1996	70	64	36	1997	65	68	35
1998	64	59	40	1999	51	48	39
2000	85	85	63	2001	81	81	61
2002	84	82	86	2003	74	74	56
2004	48	46	18	2005	85	85	56
2006	77	77	65	2007	66	65	46
2008	46	46	47	2009	64	63	41
2010	81	81	43	2011	73	73	36
2012	73	73	32	2013	63	63	29

2014 (मार्च तक)	12	12	14

अध्याय-5
गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य

5.1 लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में, उन सदस्यों के लिए जो मंत्री-परिषद के सदस्य नहीं हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अल्पावधि चर्चा, अनियत दिन वाले प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव, मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव, आधे घन्टे की चर्चा के माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने और जन-साधारण की शिकायतों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रचुर अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी सदस्यों के लिए आमतौर पर प्रत्येक शुक्रवार को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए ढ़ाई घन्टे का समय गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के बारी-बारी से लिए जाने के लिए अलग रखा गया है। इन मामलों पर चर्चा सरकारी कार्य के लिए निर्धारित समय के दौरान होती है।

5.2 1.1.2013 से 31.3.2014 की अवधि के दौरान निम्नलिखित चर्चाएं की गई:-

लोक सभा

नियम 193 के अंतर्गत चर्चाएं

क्र.सं.	विषय और सदस्य	संबद्ध मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
1.	देश के विभिन्न भागों में सूखे और ओला-वृष्टि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा। (श्री शैलेन्द्र कुमार)	कृषि	26.02.2013	03 - 28 (आंशिक चर्चा हुई)	
2.	श्रीलंका में तमिलों की दुर्दशा पर चर्चा। (श्री टी.आर. बालू)	विदेश	07.03.2013	4 - 14	
3.	देश में आर्थिक स्थिति पर चर्चा। (श्री गुरूदास दासगुप्ता)	वित्त	27.8.2013	4 - 28	
4.	रक्षा मंत्री द्वारा दिनांक 6.8.2013 को उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरूप भारत सरकार की प्रतिक्रिया और किए गए उपायों तथा पुनर्निर्माण के संबंध में दिए गए वक्तव्य पर चर्चा। (श्रीमती सुषमा स्वराज)	गृह	30.8.2013 4.9.2013	3 - 41	

राज्य सभा

नियम 176 के अंतर्गत चर्चा

क्र.सं.	विषय और सदस्य	संबद्ध मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय
				घंटे मिनट
1.	अगस्ता वैस्टलैंड से वीवीआईपी हेलीकोप्टरों की खरीद। (श्री प्रकाश जावड़ेकर)	रक्षा	27.2.2013	03 - 21
2.	देश में विभिन्न नदियों में बढ़ता प्रदूषण, विशेषकर गंगा और यमुना नदियों में। (श्री रवि शंकर प्रसाद)	पर्यावरण और वन	11.3.2013	4 - 04
3.	देश में महिलाओं और बालिकाओं पर अत्याचार और उनके सामाजिक शोषण से उत्पन्न स्थिति जिसके कारण समाज में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। (श्रीमती माया सिंह)	गृह	22.4.2013	2 - 38 (आंशिक चर्चा हुई)
4.	उत्तराखंड में बादल फटने, आकस्मिक बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर तबाही। (श्री भगत सिंह कोश्यारी)	गृह	5.8.2013 6.8.2013 22.8.2013	03 - 09
5.	देश में आर्थिक स्थिति। (श्री रवि शंकर प्रसाद)	वित्त	14.08.2013	4 - 14
6.	प्याज और दूसरी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में असामान्य बढ़ोतरी। (श्री नरेश अग्रवाल)	वित्त	27.08.2013 07.09.2013	1 - 39

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख

5.3 संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति का एक कार्य संसद के दोनों सदनों के समक्ष विचार करने के लिए स्वीकृत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के रूख का निश्चय करना है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों से उन विधेयकों और संकल्पों के संबंध में सरकार के रूख पर पक्षसार भेजने का अनुरोध किया गया जो दोनों सदनों में विचार करने और पारित करने हेतु सूची में शामिल किए गए अथवा जिन्हें इस कार्य के लिए हुए बैलट में काफी उच्च प्राथमिकता प्राप्त होती है।

5.4 संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 1.2.2013, 8.5.2013, 15.7.2013, 26.8.2013, 5.9.2013, 11.11.2013, 16.1.2014, 20.2.2014 और 26.2.2014 को 9 बैठकें आयोजित की। संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 8 मई, 5 सितंबर, 2013 और 26 फरवरी, 2014 को आयोजित अपनी बैठकों में (i) दोनों सदनों का उनके अनिश्चितकाल के लिए स्थगन के पश्चात सत्रावसान करने और (ii) संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन, उनके द्वारा अनुमोदित गैर सरकारी सदस्यों के 29 विधेयकों (लोक सभा में 18 और राज्य सभा में 11) और 17 संकल्पों (लोक सभा में 8 और राज्य सभा में 9) का विरोध करने अथवा संबंधित सदस्यों से विधेयकों/संकल्पों को वापस लेने हेतु अनुरोध करने के लिए सरकार के रूख के मामलों का अनुसमर्थन करने के प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया। समिति ने 1 फरवरी, 15 जुलाई और 11 नवंबर, 2013 को आयोजित अपनी बैठकों में वर्ष 2013 के लिए क्रमश: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र बुलाने के प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया। समिति ने दिनांक 26.8.2013 और 16.1.2014 को आयोजित अपनी बैठकों में क्रमश: मानसून सत्र, 2013 को बढ़ाने और शीतकालीन सत्र, 2013 के दूसरे भाग को पुन: बुलाने के निर्णयों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।

5.5 दिनांक 1.1.2013 से 31.3.2014 की अवधि के दौरान, गैर-सरकारी सदस्यों के 46 विधेयक (36 विधेयक लोक सभा में और 10 विधेयक राज्य सभा में) पुर:स्थापित किए गए (**परिशिष्ट-6**)। उपर्युक्त अवधि के दौरान जिन गैर-सरकारी विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा हुई उनका विवरण नीचे दिया गया है :-

दिनांक 1.1.2013 से 31.3.2014 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

लोक सभा			
क्र.सं.	**विधेयक और प्रभारी सदस्य का नाम**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**परिणाम**
1.	वरिष्ठ नागरिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा का उपबंध विधेयक, 2010 (श्री जय प्रकाश अग्रवाल)	07.12.2012 22.02.2013	वापस लिया गया
2.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2010 (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)	22.02.2013 08.03.2013	वापस लिया गया
3.	सफाई कर्मचारी बीमा योजना विधेयक, 2011 (श्री अर्जुन मेघवाल)	08.03.2013	चर्चा पूरी नहीं हुई
राज्य सभा			
1.	बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2012 (धारा 309 का संशोधन) (श्री रामचन्द्र खूंटिया)	22.02.2013	अस्वीकृत
2.	राजभाषा विधेयक, 2012 (श्री तिरूची शिवा)	22.02.2013 08.03.2013	चर्चा पूरी नहीं हुई

दिनांक 1.1.2013 से 31.3.2014 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

लोक सभा			
क्र.सं.	**संकल्प का सार और प्रभारी सदस्य का नाम**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**परिणाम**
1.	पाकिस्तान से भारत में विस्थापित व्यक्तियों को पेश आ रही समस्याएं। (श्री अर्जुन मेघवाल)	17.8.2012 30.11.2012 14.12.2012 15.03.2013	अस्वीकृत
2.	मुद्रास्फीती की दर में निरंतर वृद्धि और परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी। (श्री महेन्द्र कुमार रॉय)	15.03.2013	चर्चा पूरी नहीं हुई
राज्य सभा			
1.	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ए में संशोधन करने के लिए। (श्री पी. राजीव)	14.12.2012 01.03.2013	वापस लिया गया
2.	कामगार वर्ग के लिए प्रेरक वातावरण बनाना। (श्री प्रकाश जावड़ेकर)	01.03.2013 15.03.2013	वापस लिया गया

3.	मीडिया के लिए एक स्वतंत्र और सशक्त विनियामक प्राधिकरण की स्थापना। (श्री वाई.एस. चौधरी)	15.03.2013	वापस लिया गया
4.	पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना। (श्री रंगासाई रामकृष्णा)	15.03.2013	चर्चा पूरी नहीं हुई
5.	गोवा में अचल संपत्ति के अंतरण को रोकने के लिए संविधान के अनुच्छेद 371-1 में संशोधन करने के लिए। (श्री शांताराम नाईक)	30.08.2013	वापस लिया गया
6.	साम्प्रदायिक दंगों से मुक्त भारत की स्थापना करने के लिए एक राष्ट्रीय समाधान अदालत का गठन। (श्री एम. रामा जोईस)	30.08.2013	वापस लिया गया
7.	विभिन्न सेवा क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी परियोजनाओं द्वारा भारी-भरकम और बढ़ाए गए बिलों और प्रभारों की उगाही पर चितां (श्री के.एन. बालगोपाल)	21.02.2014	चर्चा पूरी नहीं हुई

संसद द्वारा वर्ष 1952 से 31.3.2014 तक पारित किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक		
(क) लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयक		
क्र.सं.	**विधेयक का संक्षिप्त शीर्षक**	**अधिनियम संख्या/ स्वीकृति की तारीख**
1.	मुस्लिम वक्फ विधेयक, 1952 (श्री सय्यद मोहम्मद अहमद कासमी)	1954 का 29 21.5.1954
2.	भारतीय पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 1955 (श्री एस.सी. सामन्त)	1956 का 17 06.04.1956
3.	संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1956 (श्री फिरोज़ गांधी)	1956 का 24 26.05.1956
4.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1953 (श्री रघुनाथ सिंह)	1956 का 39 01.09.1956
5.	महिला और बालक संस्था (अनुज्ञापन) विधेयक, 1954 (राजमाता कमलेन्दुमति शाह)	1956 का 105 30.12.1956
6.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1957 (श्रीमती सुभद्रा जोशी)	1960 का 56 26.12.1960

7.	संसद सदस्य वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक, 1964 (श्री रघुनाथ सिंह)	1964 का 26 29.09.1964
8.	हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, 1963 (श्री दीवान चन्द शर्मा)	1964 का 44 20.12.1964
9.	उच्चतम न्यायालय (दाण्डिक अपील अधिकारिता का विस्तारण) विधेयक, 1968 (श्री आनन्द नारायण मुल्ला)	1970 का 28 09.08.1970
(ख) राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक		
10.	प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) विधेयक, 1954 (डॉ. रघुवीर सिंह)	1956 का 70 15.12.1956
11.	हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, 1956 (डॉ. (श्रीमती) सीता परमानन्द)	1956 का 73 20.12.1956
12.	अनाथालय और अन्य धर्मार्थ आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) विधेयक, 1960 (श्री कैलाश बिहारी लाल)	1960 का 10 09.04.1960
13.	समुद्री बीमा विधेयक, 1959 (श्री एम.पी. भार्गव)	1963 का 11 18.04.1963
14.	भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1963 (श्री दीवान चमन लाल)	1969 का 36 07.09.1969

लोक सभा में स्वीकृत गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प

क्र.स.	संकल्प का सार और प्रभारी सदस्य	स्वीकृति की तारीख
1.	पूरे देश में गाय और इसके बछड़ों की हत्या पर रोक लगाने के लिए। - श्री प्रह्लाद सिंह	10.4.2003

अध्याय – 6

अश्वासनों के कार्यान्वयन का प्रबोधन (मानीटरिंग)

<u>एक झलक</u>

- प्रतिवेदित अवधि के दौरान मंत्रियों द्वारा लोक सभा में 1452 आश्वासन और राज्य सभा में 889 आश्वासन दिए गए ।
- लोक सभा में दिए गए 1795 आश्वासन और राज्य सभा में दिए गए 1009 आश्वासन पूरे कर दिए गए है ।
- इसके अतिरिक्त, लोक सभा में 50 आश्वासन और राज्य सभा में 45 आश्वासन आंशिक रूप से पूरे किए गए हैं ।

6.1 संसद में प्रश्नों या उन पर अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय अथवा विधेयकों, संकल्पों और प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान मंत्रीगण कई बार आश्वासन दे देते हैं कि इन मामलों पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी अथवा अपेक्षित जानकारी दी जाएगी। सरकार इन आश्वासनों को पूरा करने और संबंधित सदन को प्रत्येक आश्वासन पर एक प्रतिवेदन देने के लिए बाध्य है। संसदीय कार्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय एजेन्सी है कि मंत्रालय समय पर अपने आश्वासनों की पूर्ति करें।

सामान्य प्रक्रिया

6.2 मंत्रालय दोनों सदनों की दैनिक कार्यवाहियों मे से मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेज देता है। प्रत्येक सदन के लिए अभिव्यक्ति की एक निश्चित शब्दावली है जो आश्वासन बनाती है। ये अभिव्यक्तियां उदाहरण स्वरूप हैं, पूर्ण नहीं है। किसी मंत्री के वक्तव्य को एक आश्वासन मानते समय इस बात का यथोचित ध्यान रखा जाता है कि वह किस संदर्भ मे दिया गया है और क्या आश्वासन एक उचित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के योग्य है।

6.3 संसद को दिए गए सभी आश्वासनों को तीन महीने की अवधि के अन्दर पूरा करना अपेक्षित है। जहां मंत्रालय द्वारा आश्वासन को पूरा करने में कुछ यथार्थ कठिनाईयों के कारण विलम्ब होता है अथवा किसी ठोस कारण से आश्वासन को पूरा करना व्यवहारिक नहीं होता, तब मंत्रालय/विभाग, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को समय बढाए जाने अथवा आश्वासन को छोडने हेतु, जैसी भी स्थिति हो, इस मंत्रालय को सुचित करते हुए सीधे अनुरोध करते हैं ।

6.4 आश्वासनों की पूर्ति के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों से प्राप्त कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री द्वारा, यथास्थिति, लोक सभा/राज्य सभा के पटल पर रखा जाता है। कार्यान्वयन प्रतिवेदनों के सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात, प्रतिवेदनों की प्रतियां संबंधित सदस्यों को भी भेजी जाती हैं तथा संसद ग्रन्थालय में रखी जाती है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भी कार्यान्वयन प्रतिवेदनों के सभापटल पर रखे जाने की सूचना दी जाती हैं।

6.5 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा में 1452 आश्वासन दिए गए थे। जिनमें से 343 सदन के पटल पर रखे गए, 15 आश्वासन सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा द्वारा छोड़ दिए गए और शेष 1094 आश्वासन वर्ष की समाप्ति पर लंबित रह गए। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्षों से संबंधित 1845 आश्वासनों के संबंध में पूर्ण कार्यान्वयन प्रतिवेदन (50 आंशिक पूर्ति के रूप में) भी सदन के पटल पर रखे गए। इसी प्रकार, प्रतिवेदित अवधि के दौरान, राज्य सभा में दिए गए 889 आश्वासनों में से 209 सदन के पटल पर रखे गए, 2 आश्वासन सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, राज्य सभा द्वारा छोड़ दिए गए और शेष 678 आश्वासन वर्ष की समाप्ति पर लंबित रह गए। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्षों से संबंधित 1054 आश्वासनों के संबंध में पूर्ण कार्यान्वयन प्रतिवेदन (45 आंशिक पूर्ति के रूप में) भी सदन के पटल पर रखे गए। वर्ष 1956 से 2014 के दौरान दिये गए/पूरे किए गए/छोड़े गए आश्वासनों और कार्यान्वयन के लिए शेष बजे आश्वासनों की संख्या का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

लोक सभा

वर्ष	कुल रिकार्ड किए गए आश्वासन	आश्वासनों की संख्या		कुल	शेष	कार्यान्वयन का प्रतिशत
		कार्यान्वित	विलोप			
1.	2.	3.	4.	5(3+4)	6(2-5)	7.
1956	1543	1543	-	1543	-	100
1957	893	893	-	893	-	100
1958	1324	1324	-	1324	-	100
1959	1138	1138	-	1138	-	100
1960	1000	1000	-	1000	-	100
1961	1244	1244	-	1244	-	100
1962	1333	1333	-	1333	-	100
1963	781	781	-	781	-	100
1964	883	883	-	883	-	100
1965	1073	1073	-	1073	-	100
1966	1542	1542	-	1542	-	100
1967	2116	2116	-	2116	-	100
1968	4174	4174	-	4174	-	100
1969	4260	4260	-	4260	-	100
1970	3331	3331	-	3331	-	100
1971	1824	1824	-	1824	-	100
1972	1577	1577	-	1577	-	100
1973	1757	1757	-	1757	-	100
1974	1789	1789	-	1789	-	100

1975	925	925	-	925	-	100
1976	521	521	-	521	-	100
1977	889	889	-	889	-	100
1978	1655	1655	-	1655	-	100
1979	1069	1069	-	1069	-	100
1980	1105	1105	-	1105	-	100
1981	1587	1587	-	1587	-	100
1982	1541	1541	-	1541	-	100
1983	1726	1726	-	1726	-	100
1984	1284	1284	-	1284	-	100
1985	783	783	-	783	-	100
1986	1098	1098	-	1098	-	100
1987	2616	2615	-	2615	1	99.96
1988	1171	1170	-	1170	1	99.91
1989	1868	1866	-	1866	2	100
1990	2396	2394	-	2394	2	99.92
1991	1674	1673	-	1673	1	99.94
1992	2195	2194	-	2194	1	99.95
1993	1759	1758	-	1758	1	99.89
1994	2524	2524	-	2524	-	100
1995	1464	1463	-	1463	1	99.73
1996	700	700	-	700	-	99.57
1997	2093	2092	-	2092	1	99.90
1998	1127	1125	-	1125	2	99.65
1999	749	745	-	745	4	98.93
2000	1719	1709	-	1709	10	99.88
2001	1528	1521	-	1521	7	99.61
2002	1507	1494	-	1494	13	99.40
2003	1089	1076	-	1076	13	98.35
2004	1159	1127	-	1127	32	99.31
2005	1734	1682	-	1682	52	96.48
2006	1073	1034	-	1034	39	95.81
2007	1280	1221	-	1221	59	93.89
2008	1111	1038	-	1038	73	89.47
2009	1312	1164	1	1165	147	82.23
2010	1584	1263	-	1263	321	70.82
2011	1852	1313	1	1314	538	48.22
2012	1933	1082	3	1085	848	16.03
2013	1270	343	15	358	912	34.49
2014	182	-	-	-	182	0.00
	90434	**87151**	**20**	**87171**	**3263**	**96.39**

वर्ष	कुल रिकार्ड किए गए आश्वासन	आश्वासनों की संख्या		कुल	शेष	कार्यान्वयन का प्रतिशत
		कार्यान्वित	विलोप			
1.	2.	3.	4.	5(3+4)	6(2-5)	7.
1956	373	373	-	373	-	100
1957	238	238	-	238	-	100
1958	287	287	-	287	-	100
1959	235	235	-	235	-	100
1960	233	233	-	233	-	100
1961	257	257	-	257	-	100
1962	479	479	-	479	-	100
1963	218	218	-	218	-	100
1964	349	349	-	349	-	100
1965	1342	1342	-	1342	-	100
1966	436	436	-	436	-	100
1967	495	495	-	495	-	100
1968	827	827	-	827	-	100
1969	1104	1104	-	1104	-	100
1970	591	591	-	591	-	100
1971	447	447	-	447	-	100
1972	832	832	-	832	-	100
1973	1009	1009	-	1009	-	100
1974	724	724	-	724	-	100
1975	384	384	-	384	-	100
1976	781	781	-	781	-	100
1977	1117	1117	-	1117	-	100
1978	1655	1655	-	1655	-	100
1979	748	748	-	748	-	100
1980	1391	1391	-	1391	-	100
1981	1688	1688	-	1688	-	100
1982	1466	1466	-	1466	-	100
1983	1472	1472	-	1472	-	100
1984	1082	1082	-	1082	-	100
1985	1315	1315	-	1315	-	100
1986	1295	1295	-	1295	-	100
1987	1810	1810	-	1810	-	100
1988	1705	1705	-	1705	-	100
1989	1420	1420	-	1420	-	100
1990	1642	1642	-	1642	-	100
1991	1678	1678	-	1678	-	100
1992	2052	2052	-	2052	-	100
1993	1544	1544	-	1544	-	100
1994	1261	1261	-	1261	-	100
1995	740	740	-	740	-	100
1996	672	672	-	672	-	100
1997	906	905	-	905	1	99.89
1998	232	230	-	230	2	99.14
1999	261	258	-	258	3	98.85

2000	706	701	-	701	5	99.29
2001	382	379	-	379	3	99.21
2002	677	663	1	664	13	98.08
2003	843	820	1	820	23	97.27
2004	544	524	-	524	20	96.32
2005	1153	1102	-	1102	51	95.58
2006	857	818	1	819	38	95.57
2007	976	933	-	933	43	95.59
2008	678	621	-	621	57	91.59
2009	994	897	1	898	96	90.34
2010	1081	884	1	885	196	81.87
2011	1000	777	-	777	223	77.07
2012	1112	654	2	656	456	58.99
2013	683	209	2	211	472	30.89
2014	206	-	-	-	206	0
	52685	**50769**	**9**	**50777**	**1908**	**96.38**

लम्बित आश्वासनों के निपटान के लिए कार्रवाई

6.6 संसदीय कार्य मंत्रालय संसद में दिए गए सभी आश्वासनों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों से जोरदार पैरवी करता रहा है। आश्वासनों की आवधिक समीक्षा की जाती है और संबंधित मंत्रालयों/विभागों को आश्वासनों के शीघ्र कार्यान्वित के लिए स्मरण कराया जाता है। इस मंत्रालय द्वारा चलाए गए अभियान के परिणामस्वरूप, आश्वासनों के कार्यान्वयन की गति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

6.7 सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा ने अपना 26वां, 27वां और 28वां प्रतिवेदन दिनांक 13.3.2013 को, 29वां प्रतिवेदन दिनांक 19.8.2013 को, 30वां, 31वां, 32वां, 33वां, 34वां और 35वां प्रतिवेदन दिनांक 29.8.2013 को, 36वां, 37वां और 38वां प्रतिवेदन दिनांक 11.2.2014 को और 39वां तथा 40वां प्रतिवेदन दिनांक 17.2.2014 को लोक सभा में प्रस्तुत किया। इसी प्रकार सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, राज्य सभा ने अपना 67वां प्रतिवेदन दिनांक 19.12.2013 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया।

अध्याय-7

लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले और राज्य सभा में नियम 180ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख

एक झलक

- दिनांक 31.12.2012 को लोकसभा में नियम 377 के तहत उठाए गए 1023 मामले और राज्य सभा में किए गए 349 विशेष उल्लेख उत्तर के लिए लंबित थे।
- दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत 892 मामले उठाए गए और राज्य सभा में 278 विशेष उल्लेख किए गए।
- नियम 377 के अधीन उठाए गए कुल 1915 मामलों में से 702 मामलों के उत्तर दिये जा चुके हैं और 1213 मामले लंबित रह गए हैं।
- कुल 627 विशेष उल्लेखों में से 240 विशेष उल्लेखों के उत्तर दिये जा चुके हैं और 387 विशेष उल्लेखों के मामले लंबित रह गए हैं।

नियम 377 (लोक सभा) के अधीन उठाए गए मामले

7.1 लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के अन्तर्गत सदस्यों को ऐसे मामले उठाने की अनुमति होती है जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है अथवा जिन्हें किसी और नियम के अन्तर्गत उस सत्र में नहीं उठाया गया हो। सदस्यों को इस नियम के अन्तर्गत मामला उठाने की सूचना एक निर्धारित प्रपत्र में भेजनी अपेक्षित होती है जिसके साथ प्रस्तावित वक्तव्य जो कि 150 शब्दों से अधिक नहीं हो, भी संलग्न करना होता है। मामला केवल अध्यक्ष की अनुमति से ही उठाया जा सकता है। इस नियम के अन्तर्गत एक सप्ताह में कोई सदस्य केवल एक ही मामला उठा सकता है। दलों के नेताओं के साथ माननीय अध्यक्ष, लोक सभा की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रतिदिन अधिकतम 20 मामलें उठाने की अनुमति होती है।

नियम 180 ए-ई (राज्य सभा) के अधीन विशेष उल्लेख

7.2 राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 180ए से 180ई के अन्तर्गत, स्वीकार्यता की शर्तों की पूर्ति के अधीन रहते हुए, सदस्यों को राज्य सभा में लोक महत्व के मामलों पर विशेष उल्लेख करने की अनुमति दी जाती है। इस नियम के अंतर्गत

कोई मामला उठाने के लिए सदस्यों को महासचिव को निर्धारित प्रप्रत्र में सूचना देनी होती है जिसके साथ मामले का पाठ संलग्न किया जाता है जो 250 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब तक सभापति अन्यथा निदेश न दे, कोई सदस्य एक सप्ताह के दौरान केवल एक मामला उठा सकता है और एक दिन के लिए स्वीकृत किए जाने वाले विशेष उल्लेखों की कुल संख्या सामान्यत: सात से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कोई सदस्य किसी खास विषेश उल्लेख के साथ अपने आपको सहयोजित करना चाहता है तो वह अध्यक्ष की अनुमति से ऐसा कर सकता है।

अनुवर्ती कार्रवाई

7.3 दोनों सदनों में उठाए गए इन मामलों का संगत उद्धरण सामान्यत: जिस दिन मामला उठाया जाता है उसके अगले दिन संसदीय सचिवालयों द्वारा संबंधित मंत्रालयों को भेज दिया जाता है। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कोई विषय छूटे नहीं, संसदीय कार्य मंत्रालय भी दोनों सदनों में उठाए गए मामलों का सार शामिल करते हुए एक साप्ताहिक विवरण संबंधित मंत्रालयों को भेजता है ताकि वे उनके द्वारा दो सचिवालयों से प्राप्त हुए विवरण से इसका मिलान कर सकें। मंत्रालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि जिस दिन सदन में मामला उठाया गया है उसके एक महीने की अवधि के भीतर उठाए गए प्रत्येक मामले पर पूरी कार्रवाई करके वांछित उत्तर संबंधित सदस्य को भेज दें और इस संबंध में संबंधित संसदीय सचिवालय और संसदीय कार्य मंत्रालय को सूचित कर दें।

7.4 वर्ष 2012 की समाप्ति पर लोक सभा में 1023 मामले तथा राज्य सभा में 349 विशेष उल्लेख लंबित थे। दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान लोक सभा में 892 मामले और राज्य सभा में 278 मामले उठाये गए, जिससे कि लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामलों की कुल संख्या 1915 तथा राज्य सभा में किए गए विशेष उल्लेखों की कुल संख्या 627 हो गई। इस मंत्रालय में प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 31.03.2014 तक लोक सभा में 702 मामलों के उत्तर संबंधित सदस्यों को भेज दिए गए और 1213 मामले लंबित रह गए। जहां तक राज्य सभा में अनुरूप स्थिति का संबंध है, 31.03.2014 तक 240 विशेष उल्लेखों के उत्तर संबंधित सदस्यों को भेज दिए गए हैं और 387 मामले अभी भी लंबित हैं।

प्रश्न काल के पश्चात (शून्य काल में) उठाए गए मामलों पर कार्रवाई

7.5 (i) प्रश्न काल के पश्चात अर्थात तथाकथित शून्य काल के दौरान दोनों सदनों के सदस्य पीठासीन अधिकारी की अनुमति से अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाते हैं। कभी-कभी सदस्य बिना पूर्व अनुमति के भी मामले उठाते हैं। जब तक पीठासीन अधिकारी निर्देश न दें, मंत्रियों के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि इन मामलों के उत्तर उसी समय दें जब ये मामले सदन में उठाए जाते हैं अथवा बाद मे औपचारिक पत्र-व्यवहार द्वारा उत्तर भेजें, तथापि कभी-कभी मंत्रीगण सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों पर सदन में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं।

(ii) संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री अक्सर ऐसे अवसरों पर हस्तक्षेप करते हैं और सदन को आश्वासन देते हैं कि उनके द्वारा उठाए गए मामलों को आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित मंत्री के ध्यान में लाया जाएगा। पीठासीन अधिकारी भी कभी-कभी शून्य काल के दौरान दोनों सदनों में उठाए गए विभिन्न मामलों पर निर्देश देते हैं अथवा टिप्पणियां करते हैं। तत्पश्चात संसदीय कार्य मंत्रालय सदन की कार्यवाहियों में से ऐसे मामलों का उद्धरण संबंधित मंत्री (मंत्रियों) को संसदीय कार्य मंत्री अथवा संसदीय कार्य राज्य मंत्री के हस्ताक्षर से यथासम्भव उसी दिन उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेजता है।

(iii) मंत्रालय द्वारा दिनांक 20.9.2000 को लिए गए निर्णय के फलस्वरूप, यह मंत्रालय संसद के शीतकालीन सत्र 2000 से शून्य काल के दौरान उठाए गए उन मामलों के संबंध में सदनों की कार्यवाहियों के उद्धरण संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ एवं ऐसी कार्रवाई हेतु जैसी कि उचित समझी जाए, भेज रहा है जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई निर्देश/संसदीय कार्य मंत्रियों द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया हो।

7.6 दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान, दोनों सदनों में शून्य काल के दौरान उठाये गए 649 मामले (लोक सभा: 550 और राज्य सभा: 99) संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उपयुक्त कार्रवाई हेतु भेजे गए। इनमें से 31 मामले (लोक सभा: 6, राज्य सभा: 25) मंत्री स्तर से भेजे गए।

अध्याय-8
परामर्शदात्री समितियां

एक झलक

- विभिन्न मंत्रालयों के लिए 35 परामर्शदात्री समितियाँ कार्य कर रही हैं।
- दिनांक 1.1.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान परामर्शदात्री समितियों की 96 बैठकें आयोजित हुई।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

8.1 वर्तमान संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों का उनकी मुख्य रूप-रेखा पर उद्‌गम वर्ष 1954 में प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू द्‌वारा मंत्रिमण्डल के सदस्यों को परिचालित एक टिप्पण में दिए गए सुझावों में है। श्री नेहरू यह चाहते थे कि संसद की किसी प्रकार की स्थायी सलाहकार परामर्शदात्री समितियां हों जो सदस्यों को सरकार के कार्यचालन की कुछ झांकी प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर सकें जिससे सदस्यों द्‌वारा संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या भी कम हो सकती है। तदनुसार वर्ष 1954 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियां गठित की गई।

8.2 वर्ष 1969 में, संसद में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श हुआ और इन समितियों के गठन और कार्यचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए गए। उस समय यह भी निर्णय लिया गया कि इन समितियों में विचार विमर्श की अनौपचारिक प्रकृति को देखते हुए ये समितियां "परामर्शदात्री समितियों" के नाम से जानी जाएंगी। तत्पश्चात कई निर्णय लिए गए थे तथा कुछ परम्पराएं विकसित हो चुकी थी, और इन दिशा-निर्देशों को संशोधित किए जाने की आवश्यकता थी। दिनांक 21.7.2005 को रक्षा मंत्री तथा सदन के नेता (लोक सभा) की अध्यक्षता में हुई संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्य सचेतकों/सचेतकों/उप नेताओं की बैठक में इन निर्णयों तथा परम्पराओं को शामिल करके संशोधित दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया। जिन्हें दिनांक 02.09.2005 को मंत्रिमण्डल द्‌वारा अनुमोदित भी किया गया। तब से ये समितियां इन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य कर रही हैं। **(परिशिष्ट-7)**

8.3 दिशा-निर्देशों के अनुसार इन समितियों की मुख्य विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं:-

i) इन समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक है जिसे सदस्य और उसके दल के नेता की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है।

ii) इन समितियों का मुख्य उद्देश्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन के ढंग पर सरकार और संसद सदस्यों के बीच अनौपचारिक परामर्श करना है।

iii) इन समितियों की अध्यक्षता अपने-अपने मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री द्वारा की जाती है जिससे समिति सम्बद्ध होती है।

iv) किसी समिति की अधिकतम सदस्य संख्या 30 होती है। समिति का गठन सामान्यत: तब किया जाता है जब 10 अथवा उससे अधिक सदस्यगण समिति पर नामांकित होना चाहते हों।

v) सदस्यों को एक परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में नामांकित किया जा सकता है, यदि उसे किसी विशेष मंत्रालय/विभाग के विषयों में विशेष रूचि है। एक परामर्शदात्री समिति पर अधिकतम 5 सदस्यों को स्थायी विशेष आंमत्रित के रूप में नामांकित किया जा सकता है। तथापि, स्थायी विशेष आमंत्रित व्यक्ति परामर्शदात्री समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के हकदार नहीं होते हैं।

vi) सामान्यतया एक वर्ष के दौरान इन समितियों की 6 बैठकें आयोजित की जानी चाहिएं - तीन बैठकें सत्रावधि के दौरान और तीन बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान। एक वर्ष में परामर्शदात्री समितियों की 6 बैठकों में से, 4 बैठकें - 3 बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान तथा एक बैठक सत्रावधि अथवा अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी अनिवार्य होगी।

vii) कार्यसूची मदें या तो सदस्यों से मंगाई जाती हैं अथवा मंत्रालयों द्वारा समिति के सदस्यों के परामर्श से स्वयं निर्धारित की जाती हैं।

viii) जो सदस्य किसी समिति के सदस्य नहीं है, यदि उन्होंने बैठक में विचार हेतु कार्यसूची में सम्मिलित करने के लिए किसी विषय की सूचना दी है और वह मद कार्यसूची में सम्मिलित हो गई है अथवा उन्होंने ऐसी समिति की किसी बैठक की चर्चा में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की हो, तो संसदीय कार्य मंत्री के अनुमोदन से उन्हें समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

ix) इन समितियों द्वारा कोई निर्णय नहीं लिए जाते हैं। तथापि, समिति द्वारा किसी विषय पर सर्वसम्मति से व्यक्त किए गए मत को, दिशा-निर्देशों में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए आमतौर पर सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।

x) मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारीगण मंत्रियों की सहायतार्थ और किसी भी अपेक्षित स्पष्टीकरण को देने हेतु बैठकों में उपस्थित रहते हैं।

xi) बैठकों में चर्चा की अनौपचारिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, दिशा-निर्देश सदस्यों को और सरकार को बाध्य करते हैं कि इन समितियों की बैठकों में हुई किसी भी चर्चा का उल्लेख किसी भी सदन में नहीं किया जाए।

xii) परामर्शदात्री समिति की उप-समितियां गठित नहीं की जाएंगी।

8.4 लोक सभा के लिए आम चुनावों के पश्चात, सामान्यत: नई लोक सभा के गठन के पश्चात परामर्शदात्री समितियां गठित की जाती हैं। पंद्रहवीं लोक सभा के लिए विभिन्न मंत्रालयों के लिए कुल 35 परामर्शदात्री समितियां गठित की गई हैं **(परिशिष्ट-8)**।

8.5 प्रतिवेदित अवधि के दौरान आयोजित परामर्शदात्री समितियों की बैठकों का ब्यौरा और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय **परिशिष्ट-9** में दिए गए हैं।

8.6 परामर्शदात्री समितियों के गठन, कार्यों और प्रक्रियाओं संबंधी दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार समिति के अध्यक्ष यदि चाहें तो, एक कलेंडर वर्ष में, अंत:सत्रावधि के दौरान परामर्शदात्री समिति की एक बैठक दिल्ली से बाहर भारत में कहीं भी आयोजित की जा सकती है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, निम्नलिखित मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों की बैठकें दिल्ली से बाहर आयोजित की गई:-

क्र.सं.	**मंत्रालय से संबद्ध परामर्शदात्री समिति का नाम**	**बैठक की तारीख और स्थान**
1.	विदेश मंत्रालय	12.02.2013 को राजगीर, बिहार
2.	जल संसाधन मंत्रालय	13.02.2013 को गुवाहाटी, असम
3.	खान मंत्रालय	18.02.2013 को खजुराहो, मध्य प्रदेश
4.	कोयला मंत्रालय	03.04.2013 को चैन्नई, तमिलनाडु
5.	पोत परिवहन मंत्रालय	15.04.2013 को मुंबई, महाराष्ट्र
6.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	04.06.2013 को मसूरी, उत्तराखंड
7.	पोत परिवहन मंत्रालय	26.10.2013 को भुवनेश्वर, ओड़ीशा

8.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	28.11.2013 को बैंगलोर, कर्नाटक
9.	रेल मंत्रालय	29.11.2013 को बैंगलोर, कर्नाटक
10.	नागर विमानन मंत्रालय	02.12.2013 को गोवा
11.	इस्पात मंत्रालय	03.01.2014 को कुमारकोम, केरल
12.	खान मंत्रालय	31.01.2014 को नाडियाड, गुजरात

अध्याय-9

सरकार द्वारा प्रायोजित संसदविदों के शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान

<u>एक झलक</u>

- संसदविदों के एक भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल ने आस्ट्रेलिया का दौरा किया।
- संसदविदों के एक भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल ने इंडोनेशिया का दौरा किया।
- संसदविदों के एक भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल ने तुर्कमेनिस्तान और अर्मीनिया का दौरा किया।
- संसदीय कार्य मंत्री ने विदेश भेजे गए विभिन्न सरकारी शिष्टमंडलों के लिए 6 संसद सदस्यों को नामांकित किया।

9.1 निरन्तर और तेजी से परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हमारी राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों और समस्याओं को सही और स्पष्ट रूप से विभिन्न देशों में प्रसारित व प्रचारित करने और उनके दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता बहुत समय से अनुभव की जा रही थी। किसी भी देश के संसदविद उस देश की नीति के निर्धारण और अन्य देशों से संबंधों को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विशेषकर, भारत जैसे प्रगतिशील प्रजातांत्रिक राष्ट्र के लिए निसंदेह यह अति आवश्यक और: उपयोगी है कि वह कुछ संसद सदस्यों व गण्यमान्य व्यक्तियों का चयन करें और इनका इस कार्य के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग करें कि वे अन्य देशों में उनके समकक्ष व्यक्तियों और अन्य विचार बनाने वालों को विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नीतियों, कार्यक्रमों, समस्याओं और उपलब्धियों को स्पष्ट करके उनको भारत के पक्ष में कर सकें। निसंदेह, पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान एक प्रभावी माध्यम साबित हुआ है। अत: संसद सदस्यों के तीन से चार शिष्टमंडल संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री के नेतृत्व में, जिसमें संसद के दोनों सदनों में मुख्य सचेतक तथा संबंधित राजनैतिक दलों द्वारा चुने गए विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य विदेशों का दौरा करते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय भी अन्य देशों से ऐसे ही शिष्टमंडलों का स्वागत करता है।

9.2 विदेश मंत्रालय तथा संबंधित भारतीय मिशनों के परामर्श से और प्रधानमंत्री के अनुमोदन से संसदविदों के एक सद्भावना शिष्टमंडल ने 7 फरवरी, 2013 से 15 फरवरी, 2013 तक आस्ट्रेलिया, 10 अप्रैल, 2013 से 16 अप्रैल, 2013 तक इंडोनेशिया तथा 26 अक्तूबर, 2013 से 2 नवंबर, 2013 के दौरान तुर्कमेनिस्तान और अर्मीनिया का दौरा किया।

(i) संसदविदों के भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल ने 7-15 फरवरी, 2013 के दौरान आस्ट्रेलिया का दौरा किया

संसदीय कार्य तथा योजना राज्य मंत्री के नेतृत्व में 7-15 फरवरी, 2013 के दौरान आस्ट्रेलिया का दौरा किया। शिष्टमंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:-

1. श्री राजीव शुक्ल, **शिष्टमंडल के नेता**
   संसदीय कार्य और योजना राज्य मंत्री
2. श्री शांताराम लक्ष्मण नायक, संसद सदस्य (राज्य सभा), भा.रा.कां.
3. श्री विलास बाबूराव मुत्तेमवार, संसद सदस्य (लोक सभा), भा.रा.कां.
4. श्री थावरचंद गहलोत, संसद सदस्य (राज्य सभा), भा.ज.पा.
5. श्री रमन डेका, संसद सदस्य (लोक सभा), भा.ज.पा.
6. श्री नीरज शेखर, संसद सदस्य (लोक सभा), स.पा.
7. श्री जगदीश शर्मा, संसद सदस्य (लोक सभा), ज.द.यु.
8. श्री सुदीप बंदोपाध्याय, संसद सदस्य (लोक सभा), ए.आई.टी.सी.
9. श्रीमती हेलन डेविडसन, संसद सदस्य (लोक सभा), डी.एम.के.
10. श्री टी.के. रंगराजन, संसद सदस्य (राज्य सभा), सी०.पी.आई.(एम.)
11. श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य (लोक सभा), बी.जे.डी.
12. श्री अनंत गंगाराम गीते, संसद सदस्य (लोक सभा), शिव सेना

संसदीय कार्य मंत्रालय से निम्नलिखित अधिकारी भी शिष्टमंडल के साथ गए थे:-

1. श्री जगदीश कुमार, अवर सचिव (प्रोटोकॉल और कल्याण)
2. श्री मुकेश कुमार, अनुभाग अधिकारी (लेखा और क्रय)
3. श्री राजेश कुमार सिंह, अनुभाग अधिकारी (प्रोटोकॉल और कल्याण)

9.3 भारतीय संसदविदों के सद्भावना शिष्टमंडल ने 8-10 फरवरी, 2013 के दौरान पर्थ का दौरा किया। स्टेट पार्लियामेंट हाऊस के दौरे के पश्चात, शिष्टमंडल के सदस्यों ने स्थानीय संसदविदों के साथ संसदीय प्रक्रियाओं/पद्धतियों, देश में चुनाव प्रणाली, द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और निवेश तथा पश्चिमी आस्ट्रेलिया (डब्ल्यू.ए.) की अर्थव्यवस्था सहित विभिन्न मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। लेजिस्लेटिव काउंसिल के अध्यक्ष बेरी हाऊस और उपाध्यक्ष माईकल सदरलैंड ने 8 फरवरी को दोपहर के भोजन के साथ बैठक की मेजबानी की। डब्ल्यू.ए.

पार्लियामेंट्री फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ग्रुप के कुछ सदस्यों ने भी बैठक में भाग लिया। अपनी आरंभिक टिप्पणी में, बेरी हाऊस ने भारतीय पक्ष को अपने आस्ट्रेलिया दौरे के दौरान अपने पहले पड़ाव के रूप में पश्चिमी आस्ट्रेलिया को चुनने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने पश्चिमी आस्ट्रेलिया का आस्ट्रेलिया के प्रवेश द्वार के रूप में वर्णन किया और कहा कि शिक्षा, अनुसंधान, एस.एंड टी., संसाधन उद्योग, क्रिकेट तथा लोगों के आपसी संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ संबंध मजबूत रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के बीच शिक्षा, प्रौद्योगिकी और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं मौजूद रही हैं। उपाध्यक्ष माईकल सदरलैंड ने पश्चिमी आस्ट्रेलिया में अपनाई जाने वाली संसदीय प्रक्रियाओं और पद्धतियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने पश्चिम आस्ट्रेलियाई समाज में भारतीय समुदाय के सहयोग की सराहना की। अपने भाषण में, राज्य मंत्री ने याद दिलाया कि हिंद महासागर के दोनों किनारों पर स्थित होने के बावजूद भारत के साथ पर्थ शहर की नजदीकियां किस प्रकार कायम हैं। उन्होंने देश में आगामी चुनावों के अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भारतीय शिष्टमंडल की मेजबानी करने के लिए पश्चिमी आस्ट्रेलिया के संसदविदों का धन्यवाद किया। उन्होंने न केवल लौह अयस्क, सोने और एल.एन.जी. क्षेत्रों में बल्कि देश में उत्कृष्ट संरचनागत ढांचा विकसित करने के लिए भी पश्चिमी आस्ट्रेलिया की उपलब्धियों की सराहना की। द्विमार्गी व्यापार का हवाला देते हुए राज्य मंत्री ने दोनों पक्षों को लंबे समय तक व्यापार को बनाए रखने के लिए व्यापारिक असंतुलन को कम करने का आग्रह किया।

9.4 **भारतीय समुदाय के साथ बैठक**: भारतीय समुदाय ने 9 फरवरी, 2013 को दौरा करने वाले शिष्टमंडल के लिए एक स्वागत समारोह की मेजबानी की। समुदाय के कुछ प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित अनुरोध किए (i) पूरे समूदाय हेतु उनके सांस्कृतिक, सामाजिक और अन्य क्रियाकलापों में उपयोग के लिए पर्थ में एक सामुदायिक केंद्र की स्थापना के लिए भारत सरकार का सहयोग, (ii) पर्थ और भारत के बीच सीधी उड़ानें, (iii) पर्थ में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा खोलना, (iv) दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाली चिकित्सा संबंधी आकस्मिकताओं के कारण भारत लौटने में होने वाले व्यय को आच्छादित करने के लिए आई.सी.डब्ल्यू.एफ. की परिधि में विस्तार करना, (v) भारत में निवेश हेतु देश प्रत्यावर्तन और संपत्ति के विक्रय से हुए लाभ को शासित करने वाले नियमों में स्पष्टता, (vi) ओ.सी.आईज. के लिए पूंजी प्राप्ति कर का परिमेयकरण, (vii) मताधिकार को आच्छादित करने के लिए ओ.सी.आई. की परिधि में विस्तार करना और (viii) भारत में विदेशी निवेश को सरल बनाते हुए ओ.सी.आई. को विशेष सहयोग। राज्य मंत्री ने इन सुझावों पर विचार करने के लिए सहमति दी। शिष्टमंडल 10 फरवरी, 2013 को मेलबर्न के लिए रवाना हो गया।

9.5 भारतीय संसदविदों के सद्भावना शिष्टमंडल ने 10-12 फरवरी, 2013 तक मेलबर्न का दौरा किया। 10 फरवरी, 2013 को कोंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया, मेलबर्न में एक सामुदायिक स्वागत समारोह का व्यवस्था की गई थी जहां, भारतीय समुदाय के महत्वपूर्ण सदस्य, भारत के मित्र, संसद सदस्य और डी.एफ.ए.टी. के प्रतिनिधि उपस्थित थे। शिष्टमंडल ने 11 फरवरी, 2013 को विक्टोरियन पार्लियामेंट का दौरा किया और विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री ब्रूस एटकिन्सन से संवाद किया। शिष्टमंडल ने गाइड की सहायता से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का भी दौरा किया। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोशिएसंस ऑफ विक्टोरिया (एफ.आई.ए.वी.) ने दौरा कर रहे शिष्टमंडल के सम्मान में दोपहर के भोजन की मेजबानी की। श्रीमान मैथ्यू गाई, विक्टोरियन सरकार में योजना मंत्री भी दोपहर के भोजन में शामिल हुए और माननीय मंत्री के साथ चर्चा की। आस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट (ए.आई.आई.) ने मेलबर्न विश्वविद्यालय में सद्भावना शिष्टमंडल के लिए रात्रि भोजन की मेजबानी की। शिष्टमंडल 12 फरवरी, 2013 को ने सिडनी के लिए रवाना हो गया।

9.6 भारतीय संसदविदों के सद्भावना शिष्टमंडल ने 12-13 फरवरी, 2013 के बीच सिडनी का दौरा किया। शिष्टमंडल ने एन.एस.डब्ल्यू. सांसदों से परस्पर संवाद करने के लिए 12 फरवरी, 2013 को एन.एस.डब्ल्यू. संसद का दौरा किया। श्रीमान बेरी ओफरैल, एन.एस.डब्ल्यू. के प्रमुख ने श्री मैट कीन, सांसद द्वारा दिए गए वर्किंग लंच पर शिष्टमंडल से भेंट की। भेंट के समय उपस्थित अन्य व्यक्तियों में श्रीमान डेविड इलियट, सांसद और श्रीमान विक्टर डोमीनेल्लो, सांसद तथा एन.एस.डब्ल्यू. के नागरिकता और समुदाय मंत्री शामिल थे।

9.7 माननीय राज्य मंत्री ने सिडनी सिटी काउंसिल के अधिकारियों के साथ चर्चा करने के लिए सिडनी टाउन हॉल का दौरा किया। माननीय मंत्री को सिडनी शहर की योजना प्रक्रिया के साथ-साथ सिडनी सी.बी.डी. के शहरी नवीनीकरण और पुनरूत्थान के लिए सिडनी 2030 योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

9.8 भारतीय संसदविदों के सद्भावना शिष्टमंडल ने 13-14 फरवरी, 2013 के दौरान कैनबरा का दौरा किया। शिष्टमंडल ने माननीय रिचर्ड मार्लेस (आर.एम.), विदेशी मामलों के संसदीय सचिव से मुलाकात की। एक-दूसरे का अभिवादन करने के पश्चात, रिचर्ड मार्लेस ने कहा कि वे हाल ही में नवंबर, 2011 में गुड़गांव में आयोजित आई.ओ.आर.-ए.आर.सी. की बैठक में भाग लेने के लिए भारत गए थे। उन्होंने कहा कि लोगों के आपसी संबंधों और बॉलिवुड के संबंधों के अतिरिक्त आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में भारत के साथ आस्ट्रेलिया के संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं तथा दोनों देशों में काफी समानताएं हैं। आस्ट्रेलिया में किसी न किसी रूप में लगभग 5 लाख भारतीय हैं और आस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था में सहयोग दे रहे हैं। राज्य मंत्री ने

उनकी सामान्य टिप्पणी से सहमत होकर इसी बात को दोहराते हुए यह भी जोड़ा कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, मजबूत लोकतंत्र और क्रिकेट के लिए प्यार है। दोनों देश ऊर्जा विकास, दक्षता सहयोग, आर.एण्ड डी., शिक्षा, एस.एण्ड टी. के क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं और हाल ही में हमें बड़ी खुशी हुई जब आस्ट्रेलिया ने भारत की ऊर्जा संबंधी जरूरतों के लिए यूरेनियम की आपूर्ति की। रिचर्ड मार्लेस ने यह भी कहा कि भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करने के बारे में वर्ष 2011 में जब लेबर सरकार ने निर्णय लिया था तो वे भी उस चर्चा का हिस्सा बने थे। तत्पश्चात राज्य मंत्री ने सं.रा.सु. परिषद में भारत की सदस्यता के पक्ष में आस्ट्रेलिया के निरंतर समर्थन के लिए आर.एम. का धन्यवाद किया। इसके अतिरिक्त बॉलीवुड और क्रिकेट से भी मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का श्रेष्ठ संयोग बना है। उन्होंने उल्लेख किया कि सी.ई.सी.ए. वार्ता चल रही है।

9.9 शिष्टमंडल ने सुश्री अन्ना बुर्के (ए.बी.), हाऊस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स की अध्यक्ष से भेंट की। एक दूसरे का अभिवादन करने के पश्चात, माननीय अध्यक्ष के साथ बैठक दोनों देशों में राजनीतिक दलों के संघटन, संसदीय प्रक्रियाओं, समिति प्रणाली और सदन के संघटन पर केंद्रित रही। अध्यक्ष ने कहा कि आस्ट्रेलिया में मुख्यत: दो राजनीतिक दल हैं जिस पर हमारे शिष्टमंडल ने यह कहकर प्रतिक्रिया दी कि भारत में लगभग 39 दल हैं, जिनमें से कुछ के सदन में एक या दो सदस्य हैं। श्री रमन डेका, संसद सदस्य (भा.ज.पा.) द्वारा सदन के एक उत्तेजित सदस्य से निपटने में अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में किए गए प्रश्न पर ए.बी. ने कहा कि ऐसी हालत में सदस्य को सदन से चले जाने के लिए कहा जा सकता है और इस अवधि के दौरान सदस्य को मतदान में भाग लेने का भी अधिकार नहीं होता। ऐसे सदस्य को कम से

कम एक घंटे की अवधि तक भी सदन के अहाते से बाहर रहने के लिए कहा जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध किया है। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि सभी सदस्यों की परिसंपत्तियां/आय और उनके व्यापार हितों को लोगों की जानकारी के लिए संसद की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है। सदस्यों के लिए उनके कार्यों के निष्पादन के दौरान उन्हें मिलने वाले उपहारों की सूचना देना और उनका विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी जोड़ा कि उनका अभिप्राय लोकतांत्रिक प्रणाली को यथा संभव पारदर्शी बनाने का है। उन्होंने हमारे प्रतिनिधियों को सूचित किया कि आस्ट्रेलिया में एक सांसद लगभग 110000 व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे प्रतिनिधियों ने उत्तर दिया कि भारत में एक सांसद 2.1 मिलियन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है।

9.10 शिष्टमंडल ने श्रीमान माईकल डेनबी (एम.डी.), विदेशी मामलों, रक्षा और व्यापार संबंधी मामलों पर संयुक्त स्थायी समिति के अध्यक्ष से भी मुलाकात की। एक दूसरे का अभिवादन करने के पश्चात, राज्य मंत्री ने व्यापार असंतुलन सहित हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर सिंहावलोकन प्रस्तुत किया। एम.डी. ने सिहांवलोकन प्रस्तुत करने के लिए राज्य मंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि आस्ट्रेलिया भारत के साथ अपने संबंधों को गंभीरता से लेता है और यह इस बात से प्रकट होता है कि अब वह भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गया है। तत्पश्चात उन्होंने निजी उद्यमों के शामिल होने पर न्यूक्लियर रिएक्टरों के सुरक्षा संबंधी पहलू के बारे में पूछताछ की। राज्य मंत्री ने यूरेनियम की आपूर्ति के लिए आस्ट्रेलिया को धन्यवाद दिया और पुन: आश्वासन दिया कि भारत के लिए सुरक्षा मामला अत्यधिक महत्वपूर्ण है और भारत मानव जीवन, पर्यावरणीय चिंताओं इत्यादि के महत्व के मद्देनजर पूरी सावधानी बरतता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की जनसंख्या को देखते हुए, इसे काफी सारी ऊर्जा की जरूरत है और वह ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यूरेनियम का उपयोग केवल शांति के कार्यों में किया जाएगा। भारतीय पक्ष ने आस्ट्रेलिया आने वाले भारतीय विद्यार्थियों की संख्या में कमी की ओर भी संकेत किया और इंग्लैंड, अमरीका इत्यादि में प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन के नमूने पर छात्रवृत्तियों/नि:शुल्क वृत्तियों जैसे वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ भारतीय विद्यार्थियों के लिए कुछ प्रोत्साहनों और उदारपूर्ण वीजा की मांग की।

9.11 शिष्टमंडल ने माननीय जूली बिशप (जे.बी.), संसद सदस्य, विपक्ष के उप नेता और विदेशी मामलों के शैडो मिनिस्टर से मुलाकात की। एक दूसरे का अभिवादन करने के पश्चात, जे.बी. ने वर्ष 2011 में अपने भारत के दौरे और पुन: दौरा करने की अपनी इच्छा के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वे चूंकि पश्चिमी आस्ट्रेलिया से हैं इसलिए हिंद महासागरीय क्षेत्र में

उनका पर्याप्त हित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आस्ट्रेलिया चूंकि अब आई.ओ.आर.-ए.आर.सी. का अध्यक्ष बन गया है, दोनों देश इस मंच पर मिलकर कार्य कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष के लिए भारत के साथ संबंध महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। वैश्विक चुनौतियों पर भारत और आस्ट्रेलिया का दृष्टिकोण एक जैसा ही है और वे सं.रा.सु. परिषद में प्रभावी रूप में काम कर सकते हैं जहां आस्ट्रेलिया 2013-14 के दौरान दो वर्ष के लिए एक अस्थायी सदस्य है। राज्य मंत्री ने जे.बी. का धन्यवाद किया और बताया कि लिबरल पार्टी सदैव भारत का समर्थन करती रही है विशेषकर यूरेनियम की बिक्री पर। उन्होंने विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की उम्मीद्वारी के लिए आस्ट्रेलिया के समर्थन की सराहना भी की। उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार में असंतुलन पर चिंता भी व्यक्त की और सुझाव दिया कि यदि व्यापार की अड़चनों को दूर कर दिया जाए और सी.ई.सी.ए. को अंतिम रूप दे दिया जाए तो आगामी वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार दो गुना या तीन गुना हो सकता है। उन्होंने एस.एण्ड टी., उच्चतर शिक्षा, दक्षता विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, खनन इत्यादि के क्षेत्रों में मौजूद अपार संभावनाओं की ओर इशारा किया। जे.बी. ने तत्पश्चात कोलंबो प्लान को पुनर्जीवित करने की विपक्ष की इच्छा के बारे में चर्चा की जिसके अंतर्गत आस्ट्रेलियाई विद्यार्थियों को भारत सहित क्षेत्र में प्रमुख शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में, नए कोलंबो प्लान, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ डिग्रीयों की परस्पर मान्यता, विद्यार्थी वीजा इत्यादि शामिल है, पर चर्चा करने के लिए 22 मार्च को विपक्षी दल एक गोल मेज सम्मेलन आयोजित कर रही है। उन्होंने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि भारत में आस्ट्रेलियाई बहुत कम संख्या में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं यद्यपि बहुत से आस्ट्रेलियाई विद्यार्थी अमरीका, सिंगापुर, इंग्लैंड आदि जाते हैं।

9.12 शिष्टमंडल ने सीनेट के कार्यवाहक अध्यक्ष, सीनेटर स्टीफन पेरी से भेंट की। एक दूसरे का अभिवादन करने के पश्चात, सीनेटर पेरी ने सूचित किया कि सीनेट की प्राक्कलन समिति का हाल ही में सत्र चल रहा था और उसमें आस्ट्रेलियाई बजट अनुमानों पर चर्चा की गई। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि इस समिति के पास बजट अनुमानों की संवीक्षा करते समय किसी भी विभागीय सचिव और अधिकारी को बुलाने की शक्ति होती है। भारतीय पक्ष ने आस्ट्रेलियाई पक्ष के साथ हमारी प्राक्कलन समिति के कार्यचालन और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और तारांकित तथा अतारांकित प्रश्नों और अनुपूरक प्रश्नों के प्रकार और प्रक्रियाओं की जानकारी साझा की।

9.13 दौरा काफी सफल रहा और शिष्टमंडल का भली-भांति स्वागत किया गया। शिष्टमंडल ने मेजबान देश पर काफी सकारात्मक प्रभाव डाला। विचारों का मुक्त और उपयोगी आदान-प्रदान हुआ और दोनों पक्ष बेहतर विश्व के लिए एक साथ कार्य करने के लिए वचनबद्ध हुए।

(ii) **संसदविदों के भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल ने 10-16 अप्रैल, 2013 के दौरान इंडोनेशिया का दौरा किया**

9.14 संसदीय कार्य और शहरी विकास मंत्री के नेतृत्व में संसदविदों के सद्भावना शिष्टमंडल ने 10-16 अप्रैल, 2013 के दौरान इंडोनेशिया का दौरा किया। शिष्टमंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:-

1. श्री कमलनाथ, संसदीय कार्य और शहरी विकास मंत्री - **शिष्टमंडल के नेता**
2. श्री पबन सिंह घाटोवार, -**शिष्टमंडल के उप नेता**
   पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
   और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
3. श्री जमाल मोहिदीन हारून रशीद, संसद सदस्य (लोक सभा) भा.रा.कां.
4. डॉ. विजयलक्ष्मी साधो, संसद सदस्य (राज्य सभा) भा.रा.कां.
5. श्री रमेश बैस, संसद सदस्य (लोक सभा) और मुख्य सचेतक भा.ज.पा.
6. श्री शैलेन्द्र कुमार, संसद सदस्य (लोक सभा) और मुख्य सचेतक स.पा.
7. श्रीमती शताब्दी रॉय बनर्जी, संसद सदस्य (लोक सभा) ए.आई.टी.सी.
8. श्री पी. कुमार, संसद सदस्य (लोक सभा) ए.आई.ए.डी.एम.के.
9. श्री जोस के. मणि, संसद सदस्य (लोक सभा) के.सी.(एम.)
10. श्री सी.एम. रमेश, संसद सदस्य (राज्य सभा) टी.डी.पी.

9.15 संसदीय कार्य मंत्रालय से निम्नलिखित अधिकारी भी शिष्टमंडल के साथ गए थे:-

11. श्री देश दीपक वर्मा, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय
12. श्री जफर अब्बास नकवी, संसदीय कार्य और शहरी विकास मंत्री के निजी सचिव
13. श्री हरबंस लाल नेगी, निदेशक, संसदीय कार्य मंत्रालय
14. श्री जगदीश कुमार, अवर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय
15. श्री यशपाल, प्र.श्रे.लि (प्रोटोकॉल सहायक), संसदीय कार्य मंत्रालय।

9.16 भारतीय शिष्टमंडल ने 11.4.2013 को इंडोनेशियाई संसद भवन, नुसानतारा में महामहिम महफूज सिद्दिक, अध्यक्ष, इंडोनेशियाई संसद का कमीशन, महामहिम तौफिक किमास, अध्यक्ष, पीपल्स कंसलटेटिव असेम्बली (एम.पी.आर.) और महामहिम इरमान गुसमैन, अध्यक्ष, पीपल्स

रिप्रजेंटेटिव काउंसिल (डी.पी.डी.) से मुलाकात की। माननीय अध्यक्ष ने सद्भावना शिष्टमंडल और माननीय मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। तत्पश्चात माननीय मंत्री ने सद्भावना शिष्टमंडल के माननीय सदस्यों का परिचय करावाया। माननीय मंत्री ने भारत के लोगों की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित की और कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने अतीत से ऐतिहासिक और सभ्यता संबंधी दायित्वों को साझा किया है जिन्हें दोनों पक्षों की ओर से उच्च स्तरीय दौरों के द्वारा और मजबूत किया गया है जिनमें सबसे हाल का दौरा इंडिया-एशियन सम्मेलन के लिए इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति का भारत दौरा था। दोनों पक्षों ने दोनों संसदों के बीच संबंधों को मजबूत करने और दौरों के नियमित आदान-प्रदान सहित परस्पर हितों के मामलों पर चर्चा की। माननीय मंत्री ने आशा व्यक्त की कि शिष्टमंडल को अपने समकक्षों के साथ अपने परस्पर संवाद से अत्यधिक लाभ होगा और यह दोनों देशों के बीच मेल-मिलाप को बढ़ाने में मददगार होगा। माननीय मंत्री ने दोनों देशों के बीच मैत्री समझौतों और सभी क्षेत्रों में इसके द्वारा प्राप्त हुई ऊचाईयों की प्रशंसा की। उन्होंने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों तथा इंडोनेशिया एवं भारत के लोगों के बीच समानताओं पर प्रकाश डाला। वे निवेश और व्यापार के लिए एक गन्तव्य स्थान के रूप में भारत के आर्थिक सामर्थ्य तथा पर्यटन के माध्यम सहित जन-जन के संपर्क को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी देर तक बोले। माननीय अध्यक्ष दोनों देशों के संबंधों, विशेषकर संसदीय मामलों पर बोले। माननीय संसदीय कार्य और शहरी विकास मंत्री (शिष्टमंडल के नेता) भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक, आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी से मिलने वाले प्रभावशाली फायदों के बारे में बोले। उन्होंने भारत के लिए सभी क्षेत्रों में इंडोनेशिया के महत्व पर बल दिया। चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष ने भारतीय फिल्म उद्योग संबंधी मामला उठाया जिस पर माननीय संसदीय कार्य एवं शहरी विकास मंत्री ने बताया कि श्रीमती शताब्दी रॉय बनर्जी, संसद सदस्य (लोक सभा) भारतीय बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री हैं। बैठकों की समाप्ति पर संसदीय कार्य और शहरी विकास मंत्री ने इंडोनेशिया में अपने समकक्ष को भारत आने का निमंत्रण दिया।

9.17 12 अप्रैल, 2013 को महामहिम प्रोफेसर डॉक्टर बोडिएनों, उप राष्ट्रपति ने उच्चाधिकार प्राप्त शिष्टमंडल के दौरे का स्वागत किया और दोनों संसदों के बीच नजदीकी सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उप राष्ट्रपति ने आगे कहा कि दो बड़े लोकतंत्रों के रूप में दोनों देशों ने समान चुनौतियों का सामना किया और इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया।

9.18 माननीय संसदीय कार्य और शहरी विकास मंत्री (श्री कमलनाथ) ने महामहिम श्री गीता विरजावन, इंडोनेशिया गणराज्य के व्यापार मंत्री से भेंट की। चर्चा के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय आर्थिक समझौतों की स्थिति की समीक्षा की और बढ़ी हुई आर्थिक वचनबद्धताओं का

आह्वान किया। उन्होंने आगामी डब्ल्यू.टी.ओ. मंत्रीस्तरीय बैठक पर भी चर्चा की जिसकी मेजबानी इंडोनेशिया द्वारा की जानी थी।

9.19 दिनांक 15.4.2013 को शिष्टमंडल ने महामहिम श्री मेड मांगकू पास्टिका, बाली के राज्यपाल से भेंट की। बैठक के दौरान, शिष्टमंडल के उप नेता, श्री पबन सिंह घाटोवार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने भारत के लोगों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की और कहा कि दोनों देशों के बीच मशीनी पुर्जों, मोटर कारों, अभियांत्रिकी उत्पादों, सूचना प्रौद्योगिकी, औषधि, जैव-प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में अत्यधिक संभावनाएं है। उन्होंने बाली प्रदेश तथा भारत में शिक्षा संस्थाओं के बीच अपेक्षाकृत नजदीकी संबंधों को प्रोत्साहित करने की भी इच्छा व्यक्त की।

9.20 दिनांक 15.4.2013 को महामहितम श्रीमान अनक अगंग नुरा ओका रैटमाडी, अध्यक्ष, रीजनल हाऊस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (डी.पी.आर.डी.), बाली प्रदेश के साथ बैठक की। बैठक के दौरान शिष्टमंडल के उप नेता, श्री पबन सिंह घाटोवार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सांस्कृतिक संबंधों, जन-जन के संबंधों को प्रगाढ़ करने, दोनों संसदों के बीच सहयोग संबंधी मामलों पर चर्चा की। उन्होंने लोकतांत्रिक परंपराओं और निकट संबंधों तथा बेहतर मेल-मिलाप को प्रोत्साहन देने के लिए बाली के प्रादेशिक प्रतिनिधि सदन के सदस्यों को भारत का दौरा करने का निमंत्रण दिया। उन्होंने विदेशी संसदविदों और अधिकारियों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले भारतीय संसद के प्रशिक्षण संस्थान संसदीय अध्ययन और प्रशिक्षण ब्यूरो (बी.पी.एस.टी.) में बाली के प्रादेशिक प्रतिनिधि सदन के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का प्रस्ताव भी रखा।

9.21 दौरा काफी सफल रहा और शिष्टमंडल का अच्छी तरह स्वागत किया गया। शिष्टमंडल ने मेजबान देश पर काफी सकारात्मक प्रभाव डाला। दौरे के दौरान विचारों का मुक्त और उपयोगी आदान-प्रदान हुआ और दोनों पक्ष बेहतर विश्व के लिए एक साथ कार्य करने के लिए वचनबद्ध हुए।

(iii) **संसदविदों के भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल ने 26 अक्तूबर, 2013 से 2 नवंबर, 2013 के दौरान तुर्कमेनिस्तान और अर्मीनिया का दौरा किया**

9.22 संसदविदों के भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल का नेतृत्व श्री पबन सिंह घाटोवार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने किया। शिष्टमंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:-

1. श्री पबन सिंह घाटोवार, **- शिष्टमंडल के नेता**
   पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
   और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
2. श्री ध्रुवनारायण रंगास्वामी, संसद सदस्य (लोक सभा), भा.रा.कां.
3. श्री मुकुट मीथी, संसद सदस्य (राज्य सभा), भा.रा.कां.
4. श्री अनंत कुमार हेगड़े, संसद सदस्य (लोक सभा), भा.ज.पा.
5. श्री शैलेन्द्र कुमार, संसद सदस्य (लोक सभा) और मुख्य सचेतक, स.पा.
6. श्री आनंद राव विठोबा अडसूल, संसद सदस्य (लोक सभा) और मुख्य सचेतक, शिवसेना
7. श्री नारायन बालगंगा, संसद सदस्य (राज्य सभा), ए.आई.ए.डी.एम.के.
8. श्री पुथियूर करूणाकरन, संसद सदस्य (लोक सभा), लोक सभा में उप नेता, सी.पी.आई.(एम.)
9. श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य (लोक सभा) और मुख्य सचेतक, बी.जे.डी.

9.23 संसदीय कार्य मंत्रालय से निम्नलिखित अधिकारी भी शिष्टमंडल के साथ गए थे:-

10. श्री अफज़ल अमानुल्लाह, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय
11. श्री हरबंस लाल नेगी, निदेशक, संसदीय कार्य मंत्रालय
12. श्री जगदीश कुमार, अवर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय
13. श्री साधु राम, अ.श्रे.लि (प्रोटोकॉल सहायक), संसदीय कार्य मंत्रालय।

26-28 अक्तूबर, 2013 के दौरान तुर्कमेनिस्तान

9.24 माननीय मंत्री ने तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति महामहिम श्रीमान गुरबांगुली बर्डीमुहामदोव से 26.10.2013 को मुलाकात की और तुर्कमेनिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत की सरकार और जनता की ओर से तथा अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं

और बधाई देते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक संदेश सौंपा। यह संदेश प्राप्त होने पर राष्ट्रपति खुश थे और उन्होंने परस्पर हित के मामलों पर चर्चा की।

9.25 भारतीय शिष्टमंडल ने 26.10.2013 को महामहिम श्रीमती एक्जा नरबेर्डियेवा, तुर्कमेनिस्तान की मजलिस की सभापति से संसद भवन में भेंट की। माननीय सभापति ने सद्भावना शिष्टमंडल और माननीय मंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तत्पश्चात माननीय मंत्री ने सद्भावना शिष्टमंडल के सदस्यों का परिचय कराया। माननीय मंत्री ने भारत की जनता की ओर से शुभकामनाएं दी और कहा कि भारत और तुर्कमेनिस्तान ने अतीत से ही ऐतिहासिक और सभ्यता संबंधी दायित्वों को साझा किया है जिन्हें दोनों पक्षों की ओर से उच्च स्तरीय दौरों के द्वारा और मजबूत किया गया है। दोनों पक्षों ने दोनों संसदों के बीच संबंधों को मजबूत करने और दौरों के नियमित आदान-प्रदान सहित परस्पर हितों के मामलों पर चर्चा की। माननीय मंत्री ने आशा व्यक्त की कि शिष्टमंडल को अपने समकक्षों के साथ परस्पर संवाद से अत्यधिक लाभ होगा और इससे दोनों देशों के बीच आपसी समझ बढ़ाने में मदद मिलेगी। माननीय मंत्री ने दोनों देशों के बीच मैत्री समझौतों और सभी क्षेत्रों में इसके द्वारा प्राप्त हुई ऊचाईयों की प्रशंसा की। उन्होंने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों तथा तुर्कमेनिस्तान एवं भारत के लोगों के बीच समानताओं पर प्रकाश डाला। वे निवेश और व्यापार के लिए एक गन्तव्य स्थान के रूप में भारत के आर्थिक सामर्थ्य तथा पर्यटन के माध्यम सहित जन-जन के संपर्क को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी देर तक बोले। माननीय सभापति दोनों देशों के संबंधों, विशेषकर संसदीय मामलों पर बोली। माननीय मंत्री (शिष्टमंडल के नेता) भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक, आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी से मिलने वाले प्रभावशाली फायदों के बारे में बोले। उन्होंने भारत के लिए सभी क्षेत्रों में तुर्कमेनिस्तान के महत्व पर बल दिया। चर्चा के दौरान माननीय मंत्री ने तुर्कमेनिस्तान में अपने समकक्ष को भारत आने का निमंत्रण दिया।

9.26 दिनांक 27.10.2013 को शिष्टमंडल ने तुर्कमेनिस्तान की स्वतंत्रता के स्मारक पर पुष्प चढ़ाने के समारोह में भाग लिया और तुर्कमेनिस्तान की स्वतंत्रता की 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर परेड देखी। शाम को, शिष्टमंडल ने तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति महामहिम श्रीमान गुरबांगुली बर्डीमुहामदोव की ओर से सरकारी स्वागत समारोह में भाग लिया। तत्पश्चात तुर्कमेनिस्तान की स्वतंत्रता की 22वीं वर्षगांठ के लिए समर्पित संगीत-समारोह और आतिशबाजी को देखा।

अर्मीनिया 29 अक्तूबर से 1 नवंबर, 2013

9.27 दिनांक 30.10.2013 को शिष्टमंडल ने महामहिम श्री होविक अब्राहमयन, अर्मीनिया की राष्ट्रीय एसेंबली के अध्यक्ष, श्री एराइक होवानिश्यन, राष्ट्रीय एसेंबली में अर्मीनिया-भारत संसदीय मैत्री समूह के प्रमुख और श्री अरताक दवत्यान, राष्ट्रीय एसेंबली की विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के सभापति से मुलाकात की और सूचना प्रौद्योगिकी, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्रों में द्विपक्षीय हितों के मामलों पर चर्चा की। शाम को शिष्टमंडल ने महामहिम श्री होविक अब्राहमयन, अर्मीनिया की राष्ट्रीय एसेंबली के अध्यक्ष की ओर से दिए गए सरकारी रात्रिभोज में भाग लिया। शिष्टमंडल का अर्मीनिया नेतृत्व द्वारा बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया।

9.28 दिनांक 31.10.2013 को शिष्टमंडन ने सिट्सरनकाबर्ड (जातिसंहार स्मारक) का दौरा किया और 1915 के अरमेनियन जातिसंहार में मारे गए मासूम लागों की याद में पुष्प अर्पित किए। उसके बाद शिष्टमंडल ने महामहिम श्री सेर्ज सर्जस्यान, अर्मीनिया गणराज्य के राष्ट्रपति से भेंट की और दो मित्र देशों के बीच विद्यमान द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान, राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में संसदीय राजनय की भूमिका पर बल दिया। शिष्टमंडल ने दिनांक 01.11.2013 को येरेवन से दुबई होते हुए दिल्ली के लिए प्रस्थान किया और 02.11.2013 दिल्ली पहुंचा।

9.29 दौरा काफी सफल रहा और शिष्टमंडल का अच्छी तरह स्वागत किया गया। शिष्टमंडल ने मेजबान देश पर काफी सकारात्मक प्रभाव डाला। विचारों का मुक्त और उपयोगी आदान-प्रदान हुआ और दोनों पक्ष बेहतर विश्व के लिए एक साथ कार्य करने के लिए वचनबद्ध हुए।

विदेश जाने वाले सरकारी शिष्टमंडलों पर संसद सदस्यों का नामांकन

9.30 संसदीय कार्य मंत्री विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विदेश भेजे जाने वाले शिष्टमंडलों के लिए संसद सदस्यों के नामों का नामांकन/अनुमोदन करते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, निम्नलिखित संसद सदस्यों को उनके नामों के समक्ष दर्शाए शिष्टमंडल में नामांकित किया गया:-

1.	श्री विनसेंट एच पाला, संसद सदस्य (लोक सभा), भा.रा.कां.	24-29 जुलाई, 2013 के दौरान कोलंबो में आयोजित विकास मूल्यांकन सम्मेलन पर संसदीय मंच में प्रतिभागिता।
2.	1. श्री अरूण जेटली, संसद सदस्य (राज्य सभा), भा.ज.पा. 2. श्री सतीश चन्द्र मिश्र, संसद सदस्य (राज्य सभा), ब.स.पा. 3. श्री प्रशान्त चटर्जी, संसद सदस्य (राज्य सभा), सी.पी.आई.(एम.)	7-18 अक्तूबर, 2013 के दौरान न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र आम सभा के 68वें सत्र में गैर-सरकारी शिष्टमंडल।
3.	श्री नीरज शेखर, संसद सदस्य (लोक सभा), स.पा.	21 अक्तूबर, 2013 से 1 नवंबर, 2013 के दौरान न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र आम सभा के 68वें सत्र में गैर-सरकारी शिष्टमंडल।
4.	श्री एन.के. सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा), ज.द.(यू.)	4-15 नवंबर, 2013 के दौरान न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र आम सभा के 68वें सत्र में गैर-सरकारी शिष्टमंडल।

विदेशों से आए संसदीय शिष्टमंडल के साथ बैठक

9.31 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, विदेशों से निम्नलिखित संसदीय शिष्टमंडलों ने संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री से मुलाकात की तथा संसद के कार्यचालन और आपसी हित के अन्य मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया:-

1.	14 मार्च, 2013	श्री ली थान्ह हाई, वियतनाम की कम्यूनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य और हो ची मिन्ह शहर की कम्यूनिस्ट पार्टी के सचिव के नेतृत्व में **वियतनाम** से एक 18 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल।
2.	22 अप्रैल, 2013	श्रीमती लॉर्डिस एल्कोर्टा सीरो, संसद सदस्य और पेरू-भारत पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप लीग की अध्यक्ष के नेतृत्व में **पेरू** से एक 7 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल
3.	7 मई, 2013	महामहिम श्रीमान अब्दुल्ला शाहिद, **मालदीव्स** की पीपल्स मजलिस (संसद) के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक 10 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल
4.	2 अगस्त, 2013	महामहिम तान श्री पंडिका अमीन मूलिया, मलेशिया के निचले सदन के अध्यक्ष के नेतृत्व में **मलेशिया** से एक 2 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल
5.	4 सितंबर, 2013	महामहिम श्रीमान उल्फ होम, द ग्रीन पार्टी, दूसरे उपाध्यक्ष, नैशनल ऑडिट ऑफिस की संसदीय काउंसिल के सदस्य, यूरोपीयन यूनियन अफेयर्स संबंधी समिति के सदस्य, लेबर मार्केट की समिति के उप-सदस्य के नेतृत्व में **स्वीडन** से एक 7 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल।

संसद सदस्यों के विदेश दौरे

9.32 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, 50 संसद सदस्यों (राज्य सभा से 41 और लोक सभा से 9 सदस्य) ने विदेशों के अपने निजी/अध्ययन दौरों के बारे में इस मंत्रालय को सूचित किया। इन सदस्यों की मांग पर, विदेश मंत्रालय तथा विदेशों में हमारे मिशनों के माध्यम से उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की गई।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन अनुमति

9.33 विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन, विदेश जाने वाले संसद सदस्यों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ यह आवश्यक है कि ऐसे दौरों के संबंध में जिनमें

विदेशी सरकार या संगठन से 'विदेशी आतिथ्य' स्वीकार किया जाता हो, उनके संबंध में गृह मंत्रालय की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाए। इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में इस मंत्रालय द्वारा सदस्यों को समय-समय पर सूचित किया जाता है। इस संबंध में सदस्यों द्वारा मांगी गई आवश्यक सहायता भी प्रदान की जाती है।

विदेश दौरों के लिए राज्य सरकारों को अनुमति/अनापत्ति

9.34 मंत्रिमंडल सचिवालय के दिशा-निदेशों (का.ज्ञा.सं.21/1/7/94-मंत्रिमंडल दिनांक 30.03.1995) के अनुसार सरकारी विदेश दौरों से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों को केंद्रीय प्रशासनिक मंत्रालय से अनुमति लेना/प्राप्त करना अपेक्षित है।

9.35 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, संसदीय कार्य मंत्रालय ने विदेश जाने वाले सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों के संबंध में उत्तर प्रदेश और गुजरात की सरकारों को अनुमति/अनापत्ति जारी की।

अध्याय - 10

युवा संसद योजना

<u>एक झलक</u>

- विभिन्न "युवा संसद प्रतियोगिता" योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए गए :-
  1. जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश और जवाहर नवोदय विद्यालय, कोणार्क, ओडीशा, में क्रमश: 12-13 अप्रैल, 2013 और 26-27 अप्रैल, 2013 के दौरान।
  2. केंद्रीय विद्यालयों के लिए केंद्रीय विद्यालय, बंगलौर, केंद्रीय विद्यालय, पुरी, केंद्रीय विद्यालय, जयपुर और केंद्रीय विद्यालय, शिमला में क्रमश: 17-18 अप्रैल, 2013, 22-23 अप्रैल, 2013, 29-30 अप्रैल, 2013 और 2-3 मई, 2013 के दौरान;
  3. शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों के लिए 17.5.2013 को कांस्टीट्यूशन क्लब, वी.पी. हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली में;
- शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों के लिए 47वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2012-13 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन 5 जुलाई, 2013 को किया गया।
- केंद्रीय विद्यालयों के लिए 25वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 12-13 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन 15 जुलाई, 2013 को किया गया।
- जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2012-13 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन 5 अगस्त, 2013 को किया गया।
- शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों के लिए 48वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2013-14 के 4 सर्वोत्तम विद्यालयों के प्रदर्शन की रिकार्डिंग 26 नवंबर, 2013 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में की गई।
- शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों के लिए 48वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2013-14 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन 31 जनवरी, 2014 को किया गया।
- विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए 11वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2012-13 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन 21 मार्च, 2014 को किया गया।

प्रस्तावना

10.1 युवा वर्ग में प्रजातांत्रिक भावना के विकास के उद्देश्य से युवा संसद प्रतियोगिता की योजना देश में पहली बार इस मंत्रालय द्वारा शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के सहयोग से वर्ष 1966-67 में दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शुरू की गई। इस कार्यकलाप का और अधिक विस्तार करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) द्वारा चलाए

जा रहे विद्यालयों को भी युवा संसद योजना में वर्ष 1995 से शामिल कर लिया गया। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताओं की 3 अलग योजनाओं के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक भी युवा संसद योजना का विस्तार किया गया। प्रत्येक प्रतियोगिता से पहले मंत्रालय प्रतिभागी विद्यालयों/विश्वविद्यालयों में इस कार्यकलाप के प्रभारी अध्यापकों के लाभ और मार्गदर्शन के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता है। प्रत्येक प्रतियोगिता की समाप्ति पर, मंत्रालय द्वारा एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाता है और पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों, संस्थाओं और प्रधानाचार्यों/प्रभारी अध्यापकों को ट्राफियां, मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं।

1. <u>48वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2013-14 के लिए शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता</u>

10.2 इस मंत्रालय ने प्रतिभागी विद्यालयों में 48वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2013-14 के प्रभारी अध्यापकों के लाभार्थ 17 मई, 2013 को डिप्टी चेयरमैन हॉल, कांस्टीट्यूशन क्लब, वी.पी. हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली में एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम का आयोजन किया। पृष्ठभूमि संबंधी आवश्यक सामग्री वितरित की गई और संसदीय कार्य मंत्रालय तथा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकारियों द्वारा व्याख्यात्मक भाषण दिए गए। 33 विद्यालयों के 70 अध्यापकों/प्रधानाचार्यों और 5 शिक्षा अधिकारियों ने इस अभिविन्यास पाठ्यक्रम में भाग लिया।

48वीं युवा संसद प्रतियोगिता

10.3 वर्ष के दौरान 33 विद्यालयों के बीच 48वीं युवा संसद प्रतियोगिता के मूल्यांकन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग्यता क्रम में सर्वोत्तम 4 विद्यालयों के प्रदर्शन का अंतिम मूल्यांकन 29 नवंबर, 2013 को किया गया जिसे लोक सभा/राज्य सभा टीवी द्वारा जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में रिकार्ड किया गया।

47वीं युवा संसद प्रतियोतगिता, 2012-13 और 48वीं युवा संसद प्रतियोतगिता, 2013-14 के पुरस्कार वितरण समारोह

10.4 47वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2012-13 का पुरस्कार वितरण समारोह 5 जुलाई, 2013 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री राजीव शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्रालय और योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार वितरित किए। दिल्ली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, रोहिणी, नई दिल्ली, जो प्रतियोगिता में प्रथम आया था, ने अपनी युवा संसद की बैठक को पुन: अभिनीत किया और इस विद्यालय को प्रतियोगिता में प्रथम आने पर "पंडित मोती लाल नेहरू संसदीय चल वैजयन्ती" और एक ट्राफी प्रदान की गई। 47वीं युवा संसद प्रतियोगिता में नए भाग लेने वाले विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने की ट्राफी भी दिल्ली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, रोहिणी, नई दिल्ली को प्रदान की गई। 47वीं युवा संसद प्रतियोगिता में 8 विद्यालयों को उनके उत्कृष्ट निष्पादन के लिए योग्यता ट्रॉफियां प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, 33 विद्यालयों के 264 विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट अभिनय लिए व्यक्तिगत योग्यता पुरस्कार प्रदान किए गए। 47वीं युवा संसद प्रतियोगिता में सर्वोत्तम शिक्षा जिले के लिए 'उत्तर-पश्चिम-ख' जिले को जिला ट्राफी प्रदान की गई।

श्री राजीव शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री 5 जुलाई, 2013 को आयोजित 47वीं युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर दिल्ली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, रोहिणी, नई दिल्ली के पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ।

10.5 48वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2013-14 का पुरस्कार वितरण समारोह 31 जनवरी, 2014 को जी.एम.सी. बालयोगी आडिटोरियम, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री राजीव शुक्ल, संसदीय कार्य और योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार वितरित किए। प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, दिल्ली-6, जो प्रतियोगिता में प्रथम आया था, ने अपनी युवा संसद की बैठक को पुन: अभिनीत किया और इस विद्यालय को प्रतियोगिता में प्रथम आने पर "पंडित मोती लाल नेहरू संसदीय चल वैजयन्ती" और एक ट्राफी प्रदान की गई। 48वीं युवा संसद प्रतियोगिता में नए भाग लेने वाले विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने की ट्राफी भी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को प्रदान की गई। 48वीं युवा संसद प्रतियोगिता में 8 विद्यालयों को उनके उत्कृष्ट निष्पादन के लिए योग्यता ट्रॉफियां प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, 33 विद्यालयों के 264 विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट अभिनय लिए व्यक्तिगत योग्यता पुरस्कार प्रदान किए गए। 48वीं युवा संसद प्रतियोगिता में सर्वोत्तम शिक्षा जिले के लिए 'उत्तर' जिले को जिला ट्राफी प्रदान की गई।

31 जनवरी, 2014 को आयोजित 48वीं युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, दिल्ली-6 के पुरस्कार विजेता विद्यार्थी और अध्यापक।

2. केन्द्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

10.6 केंद्रीय विद्यालयों के लिए एक अलग युवा संसद प्रतियोगिता योजना वर्ष 1988 में आरंभ की गई थी। अब तक 26 प्रतियोगिताएं आयोजित की जा चुकी हैं।

25वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोतगिता का पुरस्कार वितरण समारोह

10.7 25वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2013-14 का पुरस्कार वितरण समारोह 15 जुलाई, 2013 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। डॉ. शशि थरूर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार वितरित किए। केन्द्रीय विद्यालय, पनगोड, केरल, जो प्रतियोगिता में प्रथम आया था, ने अपनी युवा संसद की बैठक को पुनः अभिनीत किया और इस विद्यालय को प्रतियोगिता में प्रथम आने पर "पंडित जवाहर लाल नेहरू संसदीय चल वैजयन्ती" और एक ट्रॉफी प्रदान की गई। पांच केन्द्रीय विद्यालयों को उनके अपने-अपने अंचलों में योग्य निष्पादन के लिए आंचलिक प्रथम ट्रॉफियां प्रदान की गई और 19 विद्यालयों को क्षेत्रीय स्तर पर उनके उत्कृष्ट निष्पादन के लिए योग्यता ट्रॉफियां प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागी केन्द्रीय विद्यालयों के 950 पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों को भी प्रमाण पत्र और व्यक्तिगत पुरस्कार प्रदान किए गए (750 विद्यार्थियों को क्षेत्रीय स्तर पर और 200 विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर उनके योग्य निष्पादन के लिए)।

डॉ. शशि थरूर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री 15 जुलाई, 2013 को आयोजित 25वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर केन्द्रीय विद्यालय, पनगोड, केरल के पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ।

केन्द्रीय विद्यालयों में 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2013-14 के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.8 अभिविन्यास पाठ्यक्रम को गहन और प्रयोजनमूलक बनाने के उद्देश्य से, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के परामर्श से मंत्रालय ने निम्न प्रकार से चार अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए:-

(क) पहला अभिविन्यास पाठ्यक्रम 17-18 अप्रैल, 2013 को केन्द्रीय विद्यालय, हेब्बल, बंगलौर, कर्नाटक में आयोजित किया गया। पाठ्यक्रम का उदघाटन डॉ. दिनेश कुमार, अपर आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) द्वारा किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 6 क्षेत्रों अर्थात हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई, एरनाकुलम, मुंबई और भोपाल से 59 अध्यापकों/प्रधानाचार्यों और केंद्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों के 6 उपायुक्तों/सहायक आयुक्तों ने भाग लिया।

(ख) दूसरा अभिविन्यास पाठ्यक्रम 22-23 अप्रैल, 2013 को केन्द्रीय विद्यालय, पुरी, ओडीशा में आयोजित किया गया। पाठ्यक्रम का उदघाटन श्री ए. मनोहरन, उप सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 6 क्षेत्रों अर्थात भुवनेश्वर, कोलकाता, तिनसुकिया, सिलचर, गुवाहाटी और रांची से 60 अध्यापकों/प्रधानाचार्यों और केंद्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों के 7 सहायक आयुक्तों/उपायुक्तों ने भाग लिया।

(ग) तीसरा अभिविन्यास पाठ्यक्रम 29-30 अप्रैल, 2013 को केन्द्रीय विद्यालय नं.5, जयपुर, राजस्थान में आयोजित किया गया। पाठ्यक्रम का उदघाटन श्री जे.एम. रावत, उपायुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन (क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर) द्वारा किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 7 क्षेत्रों अर्थात जयपुर, अहमदाबाद, आगरा, पटना, वाराणसी, जबलपुर और जम्मू से 69 अध्यापकों/प्रधानाचार्यों और केंद्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों के 10 सहायक आयुक्तों/उपायुक्तों ने भाग लिया।

(घ) चौथा अभिविन्यास पाठ्यक्रम 2-3 मई, 2013 को केन्द्रीय विद्यालय, जतोग, शिमला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। पाठ्यक्रम का उदघाटन श्री आर.सी. महान्ति, उप सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 6 क्षेत्रों अर्थात दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़, सिरसा, लखनऊ

और रायपुर से 60 अध्यापकों/प्रधानाचार्यों और केंद्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों के 4 सहायक आयुक्तों/उपायुक्तों ने भाग लिया।

26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

10.9 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, केंद्रीय विद्यालयों के लिए 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2013-14 देश के विभिन्न भागों में 125 केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई। प्रतियोगिता पहले अपने-अपने क्षेत्रों के प्रतिभागी केंद्रीय विद्यालयों के बीच क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित की गई। तत्पश्चात, आंचलिक स्तर की प्रतियोगिता अपने-अपने क्षेत्रों में प्रथम आए केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2013-14 में कोई राष्ट्रीय विजेता नहीं है।

3. <u>जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता</u>

10.10 जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना वर्ष 1997 में आरंभ की गई थी और अब तक 16 प्रतियोगिताएं पूरी की जा चुकी हैं।

जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2012-13 का पुरस्कार वितरण समारोह

10.11 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह 5 अगस्त, 2013 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री पबन सिंह घाटोवार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार वितरित किए। जवाहर नवोदय विद्यालय, जमुई, बिहार, जो प्रतियोगिता में प्रथम आया था, ने अपनी युवा संसद की बैठक को पुन: अभिनीत किया और इस विद्यालय को ''संसदीय चल वैजयन्ती'' प्रदान की गई। आठ विद्यालयों को क्षेत्रीय स्तर पर उनके उत्कृष्ट निष्पादन के लिए योग्यता ट्रॉफियां प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागी विद्यालयों के 503 पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और व्यक्तिगत पुरस्कार भी प्रदान किए गए (384 विद्यार्थियों को क्षेत्रीय स्तर पर और 119 विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर उनके योग्य निष्पादन के लिए)।

श्री पबन सिंह घाटोवार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री 5 अगस्त, 2013 को आयोजित 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2012-13 के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर जवाहर नवोदय विद्यालय, जमुई, बिहार के पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ।

जवाहर नवोदय विद्यालयों में 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2013-14 के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.12 युवा संसद गतिविधि के प्रभारी अध्यापकों के लाभार्थ, इस मंत्रालय द्वारा नवोदय विद्यालय समिति के परामर्श से 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2013-14 के संबंध में दो अभिविन्यास पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से आयोजित किए गए:-

(1) पहला अभिविन्यास पाठ्यक्रम 12-13 अप्रैल, 2013 को जवाहर नवोदय विद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ और पटना क्षेत्रों के अध्यापकों के लिए आयोजित किया गया। पाठ्यक्रम का उद्घाटन श्री ए.के. शुक्ला, उपायुक्त, नवोदय विद्यालय समिति (क्षेत्रीय कार्यालय) द्वारा किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 32 अध्यापकों ने भाग लिया।

(2) दूसरा अभिविन्यास पाठ्यक्रम 26-27 अप्रैल, 2013 को जवाहर नवोदय विद्यालय, कोणार्क, ओडीशा में भोपाल, हैदराबाद, शिलांग और पुणे क्षेत्रों के

अध्यापकों के लिए आयोजित किया गया। पाठ्यक्रम का उद्घाटन श्री ए. मनोहरन, उप सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 32 अध्यापकों ने भाग लिया।।

जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

10.13 प्रतियोगिता देश कें विभिन्न भागों में 64 जवाहर नवोदय विद्यालयों में आयोजित की गई। क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिता पहले अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिभागी जवाहर नवोदय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई और उसके बाद अपने-अपने क्षेत्रों में प्रथम आए विद्यालयों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई।

4. विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिता

10.14 वर्ष 1997-98 से पूरे देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों/कालेजों में अब तक 11 राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा चुकी हैं।

विश्वविद्यालयों/कालेजों के लिए 11वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2012-13 का राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन

10.15 11वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2012-13 का राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन पूरा किया जा चुका है और डीएवी कॉलेज, जालंधर, पंजाब ने प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है।

विश्वविद्यालयों/कालेजों के लिए 11वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2012-13 का पुरस्कार वितरण समारोह

10.16 विश्वविद्यालयों/कालेजों के लिए 11वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2012-13 का पुरस्कार वितरण समारोह 21 मार्च, 2014 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री राजीव शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार वितरित किए। डी.ए.वी. कॉलेज, जालंधर, पंजाब, जो प्रतियोगिता में प्रथम आया था, ने अपनी युवा संसद की बैठक को पुन: अभिनीत किया और इसे संसदीय चल वैजयन्ती प्रदान की गई। 4 संस्थानों को ग्रुप स्तर पर उत्कृष्ट निष्पादन के लिए योग्यता ट्रॉफियां प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागी संस्थानों के 165 पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और व्यक्तिगत पुरस्कार भी प्रदान किए गए (78 विद्यार्थियों को ग्रुप स्तर पर और 87 विद्यार्थियों

को राष्ट्रीय स्तर पर उनके योग्य निष्पादन के लिए)।

श्री राजीव शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री 21 मार्च, 2014 को आयोजित 11वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर डी.ए.वी. कॉलेज, जालंधर, पंजाब के पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों के साथ।

5. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिता

10.17 मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक वित्तीय सहायता योजना कार्यान्वित की जाती है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान वर्ष 2011-12 के लिए केरल को (रू.4,00,000/-), वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए मध्य प्रदेश को (रू.4,55,151/-), वर्ष 2012-13 के लिए हरियाणा को (रू.3,00,000/-), वर्ष 2010-11, 2011-12 के लिए कर्नाटक को (रू.10,00,000/-) वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद योजना आरंभ करने के लिए प्रशिक्षण

10.18 मंत्रालय युवा संसद प्रतियोगिता योजना को आरंभ और कार्यान्वित करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और साहित्य भी उपलब्ध कराता है।

इस प्रयोजन के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसी प्रतियोगिताओं के संबंध में प्रधानाचार्यों, प्रभारी अध्यापकों और आयोजकों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा आयोजित 'अभिविन्यास पाठ्यक्रमों' में, यदि अनुरोध किया जाता है तो इस मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा "युवा संसद प्रतियोगिता" के संचालन के सिद्धांत और प्रक्रिया संबंधी सहायता भी प्रदान की जाती है। राजस्थान और हरियाणा राज्य सरकार के अनुरोध पर, राजस्थान और हरियाणा में प्रधानाचार्यों और युवा संसद कार्यकलाप के प्रभारी अध्यापकों के लाभार्थ क्रमश: 15 जनवरी, 2013 और 8 जुलाई, 2013 को एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर, राजस्थान और एस.सी.ई.आर.टी., गुड़गांव, हरियाणा में आयोजित अभिविन्यास पाठ्यक्रमों में मंत्रालय के एक अधिकारी ने व्याख्यान दिए और मंत्रालय ने युवा संसद के संचालन संबंधी साहित्य भी उपलब्ध कराया।

अध्याय - 11
मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

11.1 राजभाषा नीति एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उपयुक्त कार्यान्वयन तथा अनुवाद कार्य के लिए मंत्रालय में एक हिंदी अनुभाग है।

11.2 राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसरण में, मंत्रालय दिनांक 5.1.1978 को केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया था जिसके कर्मचारी वर्ग ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

11.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अधीन यह अनिवार्य है कि उसमें विनिर्दिष्ट कुछ मामलों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाए। उक्त अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत कुछ कार्यों के लिए हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कागजात द्विभाषी रूप में अथवा केवल हिन्दी में ही जारी हों, मंत्रालय के सामान्य अनुभाग (प्रेषण अनुभाग) में एक जांच-बिन्दु स्थापित किया गया है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

11.4 राजभाषा नीति का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान कार्यान्वयन समिति की पांच बैठकें दिनांक 15.3.2013, 20.6.2013, 11.9.2013, 19.12.2013 और 19.3.2014 को आयोजित की गई।

हिन्दी सलाहकार समिति

11.5 हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों एवं राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में सलाह देने के लिए मंत्रालय में एक हिन्दी सलाहकार समिति गठित है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान इस समिति की तीन बैठकें दिनांक 21.3.2013, 11.12.2013 और 21.3.2014 को आयोजित की गई।

11 दिसंबर, 2013 को आयोजित मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के दौरान श्री राजीव शुक्ल, माननीय संसदीय कार्य और योजना राज्य मंत्री के साथ हिंदी सलाहकार समिति के सदस्यगण।

11.6 मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा हिन्दी के प्रयोग संबंधी उपबंधों के कार्यान्वयन पर लगातार निगरानी रखने के लिए मंत्रालय के अनुभागों का निरीक्षण किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान 5 अनुभागों का निरीक्षण किया गया।

हिन्दी पखवाड़ा

11.7 2 सितम्बर से 16 सितम्बर, 2013 के दौरान मंत्रालय में "हिन्दी पखवाड़ा" मनाया गया। पखवाड़े के उद्घाटन के दौरान मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों से हिन्दी में अधिकाधिक कार्य करने की अपील की गई। पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित चार प्रतियोगिताएं स्थल पर आयोजित की गई:-

1. हिंदी में टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता;
2. गैर हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए प्रतियोगिता;

3. अंताक्षरी प्रतियोगिता; और
4. हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता।

11.8 हिन्दी पखवाड़े का समापन समारोह 16 सितम्बर, 2013 को आयोजित किया गया। समारोह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। हिंदी टिप्पण - आलेखन नकद पुरस्कार योजना (एक वर्ष में टिप्पण और आलेखन में हिंदी के कम से कम 20,000 शब्द लिखने वाले कर्मचारियों के लिए) के पुरस्कार विजेताओं सहित कुल 19 अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

(बाएं से दाएं) 16 सितंबर, 2013 को हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह के अवसर पर (बायें से दायें) श्री धीरेन्द्र चौबे, अवर सचिव, श्री अफ़जल अमानुल्लाह, सचिव और श्री ए. मनोहरन, उप सचिव

11.9 संसदीय कार्य मंत्रालय को वर्ष 2011-12 के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार के द्वितीय पुरस्कार हेतु चुना गया। हिंदी दिवस अर्थात 14 सितंबर, 2013 को संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से सहायक निदेशक ने भारत के महामहिम राष्ट्रपति से यह पुरस्कार ग्रहण किया।

सुश्री मृगनयनी पाण्डेय, सहायक निदेशक हिंदी दिवस के अवसर पर अर्थात 14 सितंबर, 2013 को भारत के माननीय राष्ट्रपति से इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

11.10 मंत्री के वैयक्तिक अनुभाग और अनुसंधान प्रकोष्ठ को छोड़कर मंत्रालय के 12 अनुभागों में से छः अनुभाग शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए और अन्य छः अनुभाग 50 प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट हैं। विभिन्न अनुभागों द्वारा हिन्दी में किए जाने वाले कार्य का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

1.	सामान्य अनुभाग	100%
2.	कार्यान्वयन-I अनुभाग	100%
3.	कार्यान्वयन-II अनुभाग	100%
4.	हिन्दी अनुभाग	100%
5.	प्रशासन अनुभाग	100%
6.	विधायी-II अनुभाग	100%
7.	युवा संसद अनुभाग	50%
8.	प्रोटोकॉल एवं कल्याण अनुभाग	50%
9.	समिति अनुभाग	50%
10.	विधायी-I अनुभाग	50%

11.	सांसद परिलब्धियां अनुभाग	50%
12.	लेखा और क्रय अनुभाग	50%

हिन्दी कार्यशाला

11.11 मंत्रालय में हिन्दी के कार्य को बढ़ावा देने के लिए, प्रतिवेदित अवधि के दौरान तीन हिंदी कार्यशालाओं का संचालन किया गया। पहली कार्यशाला 12 से 21 फरवरी, 2013 तक, दूसरी कार्यशाला 19 से 30 सितंबर, 2013 तक तथा तीसरी कार्यशाला 19 से 31 मार्च, 2014 तक चलाई गई । इन कार्यशालाओं में 39 कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पण और आलेखन का प्रशिक्षण दिया गया।

अध्याय - 12

सामान्य

<u>एक झलक</u>

- संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित नामांकन किए:-
  (i) विभिन्न सरकारी निकायों, परिषदों, बोर्डों इत्यादि पर 57 संसद सदस्य (37 लोक सभा और 20 राज्य सभा); और
  (ii) विभिन्न हिंदी सलाहकार समितियों पर 63 संसद सदस्य (28 लोक सभा और 35 राज्य सभा)

सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन

12.1 भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में गठित विभिन्न समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों इत्यादि पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा संसद सदस्यों का नामांकन किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान 57 संसद सदस्यों (लोक सभा के 37 और राज्य सभा के 20) को विभिन्न सरकारी निकायों पर नामांकित किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट-10** में दिखाया गया है।

हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन

12.2 भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के अंतर्गत आने वाले सरकारी कार्य और संबद्ध कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी मामलों पर परामर्श देने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा गठित हिंदी सलाहकार समितियों के साथ संसद सदस्यों को सहयोजित किया जाता है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इन प्रत्येक समितियों में चार संसद सदस्य (2 लोक सभा और 2 राज्य सभा) नामांकित किए जाते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान **परिशिष्ट-11** में दर्शाए गए रूप में 63 संसद सदस्यों (लोक सभा के 28 और राज्य सभा के 35) को विभिन्न हिंदी सलाहकार समितियों पर नामित किया गया।

संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

12.3 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित प्रतिवेदनों में निहित सामान्य प्रकृति की सिफारिशों पर कार्रवाई की गई:-

(i) लोक सभा के सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का 11वां, 12वां और 13वां प्रतिवेदन।

(ii) राज्य सभा के सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का 143वां, 144वां और 145वां प्रतिवेदन।

संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते

12.4 यह मंत्रालय संसद के निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है:-

(क) संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन अधिनियम, 1954;
(ख) संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953;
(ग) संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977; और
(घ) संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998

12.5 संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 9 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति, जिसमें क्रमश: अध्यक्ष, लोक सभा और सभापति, राज्य सभा द्वारा नामांकित लोक सभा के 10 सदस्य और राज्य सभा के 5 सदस्य शामिल होते हैं, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट मामलों पर नियम बनाने के लिए गठित की जाती है। संयुक्त समिति की सिफारिशों पर लोक/राज्य सभा सचिवालयों एवं संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से इस मंत्रालय में कार्रवाई की जाती है। जहां आवश्यक हो विधि-निर्माण के लिए कार्रवाई की जाती है।

12.6 संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम 37) संसद द्वारा पारित किया गया था जिसके द्वारा सांसदों/पूर्व सांसदों के वेतन और पेंशन बढ़ाए गए थे। वेतन और पेंशन 18 मई, 2009 से बढ़ाए गए थे जोकि पंद्रहवीं लोक सभा के गठन की तारीख है। भत्ते 1 अक्तूबर, 2010 से बढ़ाए गए थे।

12.7 सांसदों/पूर्व सांसदों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते, पेंशन और सुविधाएं इत्यादि दर्शाने वाला अद्यतन विवरण क्रमश: **परिशिष्ट-12** और **परिशिष्ट-13** पर दिया गया है।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

12.8 15वीं लोक सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की 29वीं से 40वीं रिपोर्टों और राज्य सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की 212वीं रिपोर्ट पर मंत्रालय में कार्रवाई की गई।

संसद सदस्यों का कल्याण

12.9 ईलाज के लिए अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ संसद सदस्यों की आवश्यकताओं की देख-रेख करने के उद्देश्य से, दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों के साथ अस्वस्थ संसद सदस्यों की दिन-प्रतिदिन की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी टेलीफोन संदेश द्वारा प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। इस मंत्रालय के अधिकारी सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने तथा सदस्य द्वारा मांगी गई अन्य कोई सहायता प्रदान करने के लिए अस्पताल का दौरा करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री एवं उच्च अधिकारी भी शिष्टाचार के नाते अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ संसद सदस्य के स्वास्थ्य के बारे में, जब-जब अपेक्षित हो, जानकारी लेते हैं।

12.10 संसदीय कार्य मंत्रालय अपनी वेबसाइट http://www.mpa.gov.in पर दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती बीमार संसद सदस्यों की द्विभाषी जानकारी दैनिक आधार पर उपलब्ध कराता है।

12.11 किसी संसद सदस्य की दिल्ली में मृत्यु होने की दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिवंगत सदस्य के अंतिम संस्कार के लिए सदस्य के पार्थिव शरीर को उसके परिवार की पसंद के स्थान पर ले जाने के लिए शोक संतप्त परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कराता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान श्री उमा शंकर सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा) (राष्ट्रीय जनता दल), जिनका दिनांक 24.1.2013 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया था, की दुखद मृत्यु पर सहायता प्रदान की गई तथा उसी दिन स्व. श्री उमा शंकर सिंह के पार्थिव शरीर को रेल द्वारा अंतिम संस्कार के लिए उनके निवास स्थान (बिहार) भेजा गया था।

12.12 प्रतिवेदित अवधि के दौरान श्री दिलीप सिंह जूदेव, संसद सदस्य (लोक सभा) (भारतीय जनता पार्टी), जिनका दिनांक 14.8.2013 को मेदांता अस्पताल, गुड़गांव, हरियाणा में दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया था, की दुखद मृत्यु पर सहायता प्रदान की गई तथा उसी दिन स्व. श्री दिलीप सिंह जूदेव के पार्थिव शरीर को चार्टिड विमान से अंतिम संस्कार के लिए बिलासपुर, छत्तीसगढ़ भेजा गया था।

12.13 प्रतिवेदित अवधि के दौरान श्री मोहन सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा) (समाजवादी पार्टी), जिनका दिनांक 22.9.2013 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया था, की दुखद मृत्यु पर सहायता प्रदान की गई तथा उसी दिन स्व. श्री मोहन सिंह के पार्थिव शरीर को चार्टिड विमान से अंतिम संस्कार के लिए लखनऊ भेजा गया था।

संसद सदस्यों के लिए परिवहन और रात्रि भोजन की व्यवस्था

12.14 संसदीय कार्य मंत्रालय, संसद सदस्यों को सत्रावधि के दौरान उनके आवास से संसद भवन लाने और वापिस ले जाने के लिए परिवहन व्यवस्था का समन्वय करता है। मंत्रालय सदन (सदनों) की देर तक चलने वाली बैठकों के दौरान, देर रात्रि में अपने आवास तक जाने के लिए संसद सदस्यों/ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों हेतु विशेष किराए पर दिल्ली परिवहन निगम (डी.टी.सी.) की बसों की व्यवस्था भी करता है।

12.15 यह मंत्रालय सदन (सदनों) की देर रात बैठक (बैठकें) चलने के दौरान संसद भवन में संसद सदस्यों, प्रेस और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए रात्री भोजन/जलपान की व्यवस्था करता है।

फिल्म शो

12.16 संसदीय कार्य मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के समन्वय से संसद सदस्यों के लिए विभिन्न भाषाओं की फीचर फिल्मों के प्रदर्शन की व्यवस्था करता है।

महत्वपूर्ण समारोहों पर अगवानी कार्य

12.17 यह मंत्रालय महत्वपूर्ण सार्वजनिक समारोहों पर, जिनमें संसद सदस्य आमंत्रित किए जाते हैं, अगवानी कार्य करता है। ऐसी ड्यूटी गणतंत्र दिवस परेड, समापन समारोह और निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा पद-ग्रहण समारोह आदि के अवसर पर की जानी अपेक्षित होती है।

संसद में विभिन्न दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ संपर्क

12.18 संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों और प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रुपो के नेताओं और सचेतकों के साथ संपर्क करना भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत इस मंत्रालय को आबंटित प्रमुख कार्यों में से एक है। प्रोटोकॉल और कल्याण अनुभाग महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों/ग्रुपों के नेताओं में सर्वसम्मति बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और अन्य केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा बुलाई गई बैठकों के लिए आवश्यक व्यवस्था/समन्वय करता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्न प्रकार से बैठकें बुलाई गई :

क्र.सं.	तारीख	जिनके द्वारा	विषय	स्थान

		बैठक बुलाई गई		
1.	9.4.2013	गृह मंत्री	भूमि अर्जन विधेयक	53, संसद भवन, नई दिल्ली
2.	18.4.2013	गृह मंत्री	भूमि अर्जन विधेयक	53, संसद भवन, नई दिल्ली
3.	1.8.2013	गृह मंत्री	मानसून सत्र का सुचारू कार्यचालन	जी 074, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली
4.	13.8.2013	संसदीय कार्य मंत्री	मानसून सत्र का सुचारू कार्यचालन	62, संसद भवन, नई दिल्ली
5.	2.12.2013	संसदीय कार्य मंत्री	शीतकालीन सत्र का सुचारू कार्यचालन	जी 074, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली
6.	3.2.2014	संसदीय कार्य मंत्री	मानसून सत्र का सुचारू कार्यचालन	जी 074, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली

नेताओं/मुख्य सचेतकों और सचेतकों के संस्थान

12.19 संसदीय प्रणाली का सुचारू कार्यचालन बहुत हद तक विधानमण्डलों में दलीय मशीनरी की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। संसद में दलों तथा ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक दल के महत्वपूर्ण कार्यकर्त्ता होते हैं, जो विधानमंडलों में दलों और ग्रुपों के सुचारू कार्यचालन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री, सरकारी मुख्य सचेतक के रूप में, संसद में सभी दलों/ग्रुपों के नेताओं/मुख्य सचेतकों/सचेतकों के साथ-साथ संसद के दोनों सदनों में कार्य के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

वर्ष के दौरान संसद में विभिन्न राजनैतिक दलों/ग्रुपों के मुख्य सचेतकों/सचेतकों के साथ बैठकें

12.20 संसदीय कार्य मंत्री आपसी हितों के मामलों पर चर्चा करने के लिए प्रत्येक सत्र से पहले संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों/ग्रुपों के मुख्य सचेतकों/सचेतकों के साथ बैठक आयोजित करते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान ऐसी एक बैठक 19.02.2013 को आयोजित हुईं।

केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

12.21 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में संसद एककों के कार्यचालन में सुधार करने और संसदीय कार्य के बेहतर निपटान के उद्देश्य से, विभिन्न मंत्रालयों के संसद एककों में कार्यरत अधिकारियों और स्टाफ के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति पर अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने की

आवश्यकता महसूस की गई। संसदीय कार्य मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुमोदन से, वर्ष 1985 से मंत्रालयों के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति पर तीन दिन के अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता रहा है। आरंभ में, इन पाठ्यक्रमों का संचालन संसद एककों के अधिकारियों/स्टाफ के लिए किया जाता था। बाद में, संसद एककों में कार्यरत स्टाफ से इतर अधिकारियों को भी इनमें शामिल किया गया और अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को भी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया गया।

12.22 अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलनों द्वारा समय-समय पर की गई सिफारिशों के अनुसरण में, मंत्रालय केंद्र और विभिन्न राज्यों में प्रचलित प्रक्रियाओं और पद्धतियों के बारे में जानकारी और सूचना के आदान-प्रदान, जो अंतत: पद्धतियों के बेहतर निष्पादन और मानकीकरण का कारण बन सकता है, के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अधिकारियों के लिए भी संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में पांच दिन के अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता रहा है।

अनुसंधान कार्य

12.23 अनुसंधान प्रकोष्ठ मंत्रालयों में संसदीय कार्य निपटाने की नियम पुस्तिका की समीक्षा करता है/उसे अद्यतित करता है और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा मांग किए जाने पर संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति के मामलों पर परामर्श/मार्ग-दर्शन प्रदान करता है। समय-समय पर विभिन्न संसदीय और संवैधानिक मामलों पर टिप्पणियां और संक्षिप्त विवरण तैयार किए जाते हैं।

12.24 अनुसंधान प्रकोष्ठ संसदीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक सांख्यिकी पुस्तिका भी तैयार करता है और प्रशासनिक सुधार आयोग की विभिन्न रिपोर्टों में निहित सभी संगत सिफारिशों पर कार्रवाई करता है।

12.25 अनुसंधान प्रकोष्ठ में संसदीय कार्य मंत्रालय का पुस्तकालय भी है जिसका रखरखाव अनुसंधान प्रकोष्ठ के स्टाफ द्वारा किया जाता है।

12.26 अनुसंधान प्रकोष्ठ द्वारा लाभ के पद, संसद सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों संबंधी मामलों और संसदीय सचिवों के कार्यों संबंधी मामलों को निपटाया जाता है।

12.27 दिनांक 1.1.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान अनुसंधान प्रकोष्ठ द्वारा किए गए कार्यों में **वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग, संविधान के कार्यचालन की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग और प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्टों का विश्लेषण और उन पर**

अनुवर्ती कार्रवाई टिप्पण/टीका-टिप्पणियां तैयार करना शामिल है। मंत्रालय की सांख्यिकी पुस्तिका को भी संशोधित/अद्यतित किया गया।

बजट की स्थिति

12.28 संसदीय कार्य मंत्रालय के बजट की स्थिति निम्न प्रकार है-:

(धनराशि हजार रूपयों में)

मुख्य शीर्ष	**विषयशीर्ष-**	**बजट अनुमान 2013-2014**		**संशोधित अनुमान 2013-2014**		**बजट अनुमान 2014-2015**		**वास्तविक व्यय 2013-2014**	
		योजना	**योजनेतर**	**योजना**	**योजनेतर**	**योजना**	**योजनेतर**	**योजना**	**योजनेतर**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**
मुख्य शीर्ष "2052", सचिवालय सामान्य सेवाएं, 00.090 सचिवालय 13-संसदीय कार्य मंत्रालय	13.00.01-वेतन	--	75000	--	78000	--	85000	--	78000
	13.00.03-समयोपरि भत्ता	--	400	--	500	--	500	--	500
	13.00.06-चिकित्सा उपचार	--	700	--	600	--	600	--	560
	13.00.11-देशीय यात्रा व्यय	--	2000	--	1700	--	2000	--	1700
	13.00.12-विदेशी यात्रा व्यय	--	25000	--	22500	--	25000	--	7516
	13.00.13-कार्यालय व्यय	--	13000	--	11700	--	14000	--	10358
	13.00.16-प्रकाशन	--	700	--	700	--	700	--	700
	13.00.20-अन्य प्रशासनिक व्यय	--	7000	--	6300	--	7000	--	6256
	13.00.50-अन्य प्रभार	--	9000	--	8000	--	8700	--	7997
	कुल मुख्य शीर्ष "2052"	--	**132800**	--	**130000**	--	**143500**	--	**113587**

12.29 वित्तीय वर्ष 2013-14 में लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर ए.टी.एन. की स्थिति

क्र.सं.	वर्ष	उन पैराग्राफों/पी.ए. रिपोर्टों की संख्या जिन पर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण के पश्चात पी.ए.सी. को ए.टी.एन. प्रस्तुत की	उन पैराग्राफों/पी.ए. रिपोर्टों का विवरण जिन पर ए.टी.एन. लंबित है		
			मंत्रालय द्वारा पहली बार भी नहीं भेजी गई	भेजी गई परंतु टिप्पणी के साथ लौटाई गई ए.टी.एन. की संख्या और मंत्रालय द्वारा जिनके पुन: प्रस्तुतीकरण की	उन ए.टी.एन. की संख्या जिनका लेखापरीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षण कर लिया गया है परंतु जिन्हें मंत्रालय द्वारा

		गई है	ए.टी.एन. की संख्या	लेखापरीक्षा प्रतीक्षा कर रही है	पी.ए.सी. को प्रस्तुत नहीं किया गया है
1	2013-14 तक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

अक्षम व्यक्तियों के लाभार्थ किए गए कार्यकलाप

12.30 यह मंत्रालय नियुक्तियों इत्यादि में अक्षम व्यक्तियों के लाभों के मामले पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी नियमों, विनियमों और अनुदेशों का पालन करता है। इस विषय पर नीति निर्माण का कार्य मंत्रालय के अधिदेश/कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।

ई-ऑफिस एम.एम.पी. का आरंभ

12.31 मंत्रालय में ई-ऑफिस एम.एम.पी. शुरू कर दिया गया है और इसमें धीरे-धीरे प्रगति हो रही है। मंत्रालय में ई-ऑफिस एम.एम.पी. की प्रगति का मानीटरन सचिव स्तर पर किया जाता है।

नई वेबसाइट का आरंभ

12.32 मंत्रालय ने दिनांक 19.11.2013 को प्रयोक्ता/अक्षम व्यक्तियों के अनुकूल अपनी नई वेबसाइट आरंभ की जिसमें दृष्टि बाधित और वर्णांध व्यक्तियों हेतु सुविधा सहित कई खास विशेषताएं हैं।

परिशिष्ट-1

(देखें पैरा 1.2)

संसदीय कार्य मंत्रालय को आबंटित कार्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए भारत सरकार (कार्य का आबंटन) नियम, 1961 के अधीन मंत्रालय को सौंपे गए कार्य:-

1. संसद की दोनों सभाओं को बुलाने और उनका सत्रावसान करने की तिथियां, लोक सभा का विघटन, संसद के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण।
2. दोनों सभाओं में विधायी और अन्य सरकारी कार्य का आयोजन तथा समन्वय।
3. सदस्यों द्वारा सूचित किए गए प्रस्तावों पर चर्चा के लिए संसद में सरकारी समय का नियतन।
4. संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं और सचतेकों के साथ सम्पर्क।
5. विधेयकों संबंधी प्रवर और संयुक्त समितियों के सदस्यों की सूचियां।
6. सरकार द्वारा गठित समितियों और अन्य निकायों पर संसद सदस्यों की नियुक्ति।
7. विभिन्न मंत्रालयों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों का कार्यचालन।
8. संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों का कार्यान्वयन।
9. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख।
10. संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति को सचिवालयिक सहायता।
11. प्रक्रिया और अन्य संसदीय मामलों में मंत्रालयों को सलाह।
12. संसदीय समितियों द्वारा की गई सामान्य रूप से लागू होने वाली सिफारिशों पर मंत्रालयों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का समन्वय।
13. संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित रोचक स्थानों के दौरे।
14. संसद सदस्यों के स्वत्वों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों संबंधी मामले।
15. संसदीय सचिवों- कार्य।
16. सम्पूर्ण देश में विद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन।
17. अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन।
18. संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों का दूसरे देशों के साथ आदान- प्रदान।
19. लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम के नियम 377 के अधीन तथा राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए जाने वाले मामलों के संबंध में नीति का अवधारण और अनुवर्ती कार्रवाई।
20. मंत्रालयों/विभागों में संसदीय कार्य करने संबंधी निदेशिका।
21. संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 (1953 का 20) ।

22. संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30)।

23. संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 (1977 का 33)।

24. संसद में मान्यताप्राप्त दलों और ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक (सुविधाएं) अधिनियम, 1998 (1999 का 5)।

परिशिष्ट-2

(देखें पैरा 4.7)

दिनांक 1.1.2013 से 31.3.2014 की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक					
					लो.स.= लोक सभा, रा.स. = राज्य सभा
पंद्रहवीं लोक सभा का 13वां सत्र और राज्य सभा का 228वां सत्र					
क्र.सं.	**अधिनियम का नाम**	**विधेयक के पुर:स्थापन की तारीख (तारीखें)**	**विधेयक पर विचार करने तथा पारित करने की तारीख**		**अधिनियम संख्या एवं राष्ट्रपति की स्वीकृति**
			लो.स.	**रा.स.**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
		वित्त मंत्रालय			
1	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2013	14.3.2013	14.3.2013	21.3.2013	2013 का 8 22.3.2013
2	विनियोग अधिनियम, 2013	14.3.2013 (LS)	14.3.2013	21.3.2013	2013 का 9 22.3.2013
3	विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 2013	14.3.2013 (लो.स.)	14.3.2013	21.3.2013	2013 का 10 22.3.2013
4	विनियोग (संख्या 3) अधिनियम, 2013	30.4.2013	30.4.2013	2.5.2013	2013 का 16 8.5.2013
5	झारखंड विनियोग अधिनियम, 2013	15.3.2013	15.3.2013	21.3.2013	2013 का 11 22.3.2013
6	झारखंड विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 2013	15.3.2013	15.3.2013	21.3.2013	2013 का 12 22.3.2013
7	वित्त विधेयक, 2013	28.2.2013 (लो.स.)	30.4.2013	2.5.2013	2013 का 17 10.5.2013
		विधि और न्याय मंत्रालय			
8	दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013	19.3.2013 (लो.स.)	19.3.2013	21.3.2013	2013 का 13 2.4.2013
		रेल मंत्रालय			
9	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 2013	13.3.2013	13.3.2013	15.3.2013	2013 का 5 2.4.2013
10	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2013	13.3.2013 (लो.स.)	13.3.2013	15.3.2013	2013 का 6 2.4.2013
11	विनियोग (रेल) संख्या 2 अधिनियम, 2013	13.3.2013 (लो.स.)	13.3.2013	15.3.2013	2013 का 7 2.4.2013
12	विनियोग (रेल) संख्या 3 अधिनियम, 2013	30.4.2013	30.4.2013	2.5.2013	2013 का 15 7.5.2013

महिला और बाल विकास मंत्रालय					
13	महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013	7.12.2010 (लो.स.)	11.3.2013	26.2.2013	2013 का 14 22.4.2013
पंद्रहवीं लोक सभा का 14वां सत्र और राज्य सभा का 229वां सत्र					
वित्त मंत्रालय					
14	विनियोग (संख्या 4) अधिनियम, 2013	5.9.2013 (लो.स.)	5.9.2013	7.9.2013	2013 का 21 11.9.2013
15	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013	24.3.2011 (लो.स.)	4.9.2013	6.9.2013	2013 का 23 18.9.2013
16	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2013	14.8.2013 (लो.स.)	27.8.2013	5.9.2013	2013 का 22 20.9.2013
कारपोरेट कार्य मंत्रालय					
17	कंपनी अधिनियम, 2013	14.12.2011 (लो.स.)	18.12.2012 13.8.2013	8.8.2013	2013 का 18 29.8.2013
खाद्य, उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय					
18	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013	7.8.2013 (लो.स.)	26.8.2013	2.9.2013	2013 का 20 10.9.2013
ग्रामीण विकास मंत्रालय					
19	भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013	7.9.2011	29.8.2013 5.9.2013	4.9.2013	2013 का 30 26.9.2013
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय					
20	वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013	27.4.2010 (रा.स.)	7.5.2010 5.9.2013	19.8.2013	2013 का 27 20.9.2013
विधि और न्याय मंत्रालय					
21	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2013	26.8.2013 (लो.स.)	6.9.2013	27.8.2013	2014 का 29 20.9.2014
22	संसद (अर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2013	8.8.2013 (रा.स.)	6.9.2013	22.8.2013	2013 का 28 20.9.2013
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय					
23	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2013	19.12.2011 (लो.स.)	3-9-2012 2.9.2013	13.8.2013	2013 का 18 10.9.2013
जनजातीय कार्य मंत्रालय					

24	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2013	14.12.2012 (लो.स.)	24.8.2013	6.9.2013	2013 का 24 10.9.2013
नागर विमानन मंत्रालय					
25	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013	20.8.2013 (लो.स.)	6.9.2013	7.9.2013	2013 का 26 18.9.2013
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय					
26	हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013	3.9.2012 (लो.स.)	6.9.2013	7.9.2013	2013 का 25 18.9.2013
पंद्रहवीं लोक सभा का 15वां सत्र और राज्य सभा का 230वां सत्र					
वित्त मंत्रालय					
27	विनियोग (संख्या 5) अधिनियम, 2013	12.12.2013 (लो.स.)	12.12.2013	18.12.2013	2014 का 2 1.1.2014
28	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2014	19.2.2014 (लो.स.)	19.2.2014	21.2.2014	2014 का 12 4.3.2014
29	विनियोग अधिनियम, 2014	19.2.2014 (लो.स.)	19.2.2014	21.2.2014	2014 का 13 4.3.2014
30	वित्त विधेयक, 2014	17.2.2014 (लो.स.)	19.2.2014	21.2.2014	2014 का 11 4.3.2014
31	दिल्ली विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2014	21.2.2014 (लो.स.)	21.2.2014	21.2.2014	2014 का 14 4.3.2014
32	दिल्ली विनियोग अधिनियम, 2014	21.2.2014 (लो.स.)	21.2.2014	21.2.2014	2014 का 15 4.3.2014
रेल मंत्रालय					
33	विनियोग (रेल) संख्या 4 अधिनियम, 2013	12.12.2013 (लो.स.)	12.12.2013	18.12.2013	2014 का 3 1.1.2014
34	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 2014	17.2.2014 (लो.स.)	17.2.2014	18.2.2014	2014 का 4 25.2.2014
35	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2014	17.2.2014 (लो.स.)	17.2.2014	18.2.2014	2014 का 5 25.2.2014
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय					
36	लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013	22.12.2011 (लो.स.)	27.12.2011 18.12.2013	17.12.2013	2014 का 1 1.1.2014
37	सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2014	26.8.2010 (लो.स.)	27.12.2011	21.2.2014	2014 का 17 9.5.2014
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय					

38	पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014	6.9.2012 **(**लो.स.**)**	11.2.2014 20.2.2014	19.2.2014	2014 का 7 4.3.2014
		गृह मंत्रालय			
39	आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2013	13.2.2014 (LS)	18.2.2014	20.2.2014	2014 का 6 1.3.2014
40	राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन अधिनियम, 2014	10.12.2012 **(**लो.स.**)**	24.8.2014 20.2.2014	19.2.2014	2014 का 8 4.3.2014
		मानव संसाधन विकास मंत्रालय			
41	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान ;संशोधनद्ध अधिनियम, 2014	4.3.2013 **(**लो.स.**)**	18.12.2013 20.2.2014	19.2.2014	2014 का 9 4.3.2014
42	रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014	22.5.2012 **(**रा.स.**)**	20.2.2014	19.2.2014	2014 का 10 4.3.2014
		स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय			
43	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2014	8.9.2011 **(**लो.स.**)**	20.2.2014	21.2.2014	2014 का 16 10.3.2014

परिशिष्ट-3

(देखें पैरा 4.7)

पंद्रहवीं लोक सभा के 15वें सत्र और राज्य सभा के 230वें सत्र की समाप्ति पर लोक सभा और राज्य सभा में लंबित सरकारी विधेयकों की सूची

<u>लोक सभा</u>

I- राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. संविधान (108वां संशोधन) विधेयक, 2010 - लोक सभा तथा विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण
2. संविधान (120वां संशोधन) विधेयक, 2013 - न्यायाधीशों की नियुक्ति
3. मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2012
4. संविधान (117वां संशोधन) विधेयक, 2012 - अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण
5. जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2012
6. नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2011
7. राष्ट्रीय जलमार्ग (बराक नदी का लखीपुर-बंगा खंड) विधेयक, 2013
8. विवाह विधियां (संशोधन) विधेयक, 2010

II- स्थायी समितियों को नहीं भेजे गए विधेयक

9. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2013
10. कोयला विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2013
11. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2013
12. डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मारक के लिए मुंबई में कतिपय क्षेत्र का अर्जन विधेयक, 2014

III- स्थायी समितियों को भेजे गए विधेयक

13. लोक उपापन विधेयक, 2012
14. भारतीय जैवप्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2013
15. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2013
16. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2013
17. प्रतिभूति विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013

IV- विधेयक जिन पर स्थायी समितियों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

18. भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2009
19. संविधान (112वां संशोधन) विधेयक, 2009
20. राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड विधेयक, 2010
21. संविधान (110वां संशोधन) विधेयक, 2009
22. संविधान (114वां संशोधन) विधेयक, 2010 - (चर्चा पूरी नहीं हुई) - न्यायाधीशों की सेवानिवृति आयु को बढ़ाना
23. आयुध (संशोधन) विधेयक, 2010
24. बांध सुरक्षा विधेयक, 2010
25. तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, आयुर्विज्ञान शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अऋजु व्यवहार का प्रतिषेध विधेयक, 2010
26. विदेशी शिक्षा संस्था (प्रवेश और प्रचालन का विनियमन) विधेयक, 2010
27. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संस्था प्रत्यायन विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2010 (आंशिक चर्चा हुई)
28. अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010
29. शत्रु सम्पत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) दूसरा विधेयक, 2010
30. प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010
31. विदेशी लोक पदधारी और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, 2011
32. राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार विधेयक, 2011
33. आयुध (संशोधन) विधेयक, 2011
34. परमाणुवीय सुरक्षा विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2011
35. सरकारी परिसर (अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2011
36. बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) विधेयक, 2011
37. केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) दूसरा संशोधन विधेयक, 2011
38. भांडागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2011
39. सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक परिदान विधेयक, 2011
40. नागरिक माल और सेवाओं का समयबद्ध परिदान और शिकायत निवारण अधिकार विधेयक, 2011
41. जलदस्युता विधेयक, 2012
42. क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र विधेयक, 2011
43. बहु-राज्यीय सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2010
44. उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011
45. प्रेस और पुस्तक तथा प्रकाशन रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2011

46. प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012
47. खान और खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक, 2011
48. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2012
49. भारतीय मानक ब्यूरो (संशोधन) विधेयक, 2012
50. कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन विधेयक, 2012
51. राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2012
52. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2012
53. सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (विकास और विनियमन) विधेयक, 2012
54. प्रतियोगिता (संशोधन) विधेयक, 2012
55. कृषि जैव-सुरक्षा विधेयक, 2013
56. अनुसंधान और नवाचार विश्वविद्यालय विधेयक, 2012
57. संविधान (115वां संशोधन) विधेयक, 2011
58. केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012
59. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2013
60. सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2013
61. भारतीय नागर विमानन प्राधिकरण विधेयक, 2013
62. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय विधेयक, 2013

<u>राज्य सभा</u>

I- संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक

1. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 1987

II- लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक

2. शैक्षिक अधिकरण विधेयक - **चर्चा आस्थगित**
3. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम विधेयक, 2011
4. न्यायिक मानक और दायित्व विधेयक, 2012
5. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2012

III- लोक सभा द्वारा पारित विधेयक, जिन पर प्रवर समितियों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया

6. उच्च न्यायालय का वाणिज्यिक खंड विधेयक, 2009 - चर्चा आस्थगित
7. यातना निवारण विधेयक, 2010

IV- विधेयक- स्थायी समितियों को नहीं भेजे गए

8. परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 1992
9. संसद और विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुन:समायोजन (दूसरा) विधेयक, 2013
10. दिल्ली किराया (निरसन) विधेयक, 2013
11. दिल्ली होटल (आवास-सुविधा नियंत्रण) निरसन विधेयक, 2014

V- स्थायी समितियों को भेजे गए विधेयक

12. सविंधान (119वां संशोधन) विधेयक, 2013
13. वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2013
14. रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013
15. नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2014
16. मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2014
17. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014
18. दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014
19. वक्फ संपत्ति (अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) विधेयक, 2014
20. अधिकरण, अपीली अधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सेवा शर्तें) विधेयक, 2014
21. खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2014

VI- विधेयक जिन पर स्थायी समितियों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

22. प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता विधेयक, 1990
23. संविधान (79वां संशोधन) विधेयक, 1992 (विधायकों के लिए छोटे परिवार के मानक)
24. दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक, 1997
25. कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000
26. नगरपालिकाओं का उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तारण) विधेयक, 2001
27. बीज विधेयक, 2004
28. केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (संशोधन) विधेयक, 2005
29. भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2005
30. भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी फार्मेसी विधेयक, 2005
31. नाविक भविष्य-निधि (संशोधन) विधेयक, 2007
32. निजी जासूसी एजेंसी (विनियमन) विधेयक, 2007
33. नाशकजीवमार प्रबंधन विधेयक, 2008

34. भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008
35. राष्ट्रीय विरासत स्थल आयोग विधेयक, 2009
36. लोक वित्तपोषित बौद्धिक संपत्ति का संरक्षण और उपयोग विधेयक, 2008
37. यान-अपहरण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2010
38. वास्तुविद (संशोधन) विधेयक, 2010
39. बीमा विधियां (संशोधन) विधेयक, 2008
40. भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक, 2010
41. श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) संशोधन विधेयक, 2011
42. खान (संशोधन) विधेयक, 2011
43. सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक, 2011
44. अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्तें) संशोधन विधेयक, 2011
45. तमिलनाडु विधान परिषद (निरसन) विधेयक, 2012
46. भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2012
47. राष्ट्रीय मानव संसाधन स्वास्थ्य आयोग विधेयक, 2011
48. उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान विधेयक, 2011
49. सशस्त्र बल अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012
50. राष्ट्रीय डिजाईन संस्थान विधेयक, 2013
51. पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) विधेयक, 2013
52. वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2013
53. स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2012
54. बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012
55. वाणिज्य पोत परिवहन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2013
56. मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख विधेयक, 2013
57. नालंदा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013
58. औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2013
59. न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2013
60. भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2013
61. असम विधान परिषद विधेयक, 2013
62. राजस्थान विधान परिषद विधेयक, 2013
63. नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) संशोधन विधेयक, 2013
64. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार संबंधित विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013
65. भवन निर्माण (विनियमन और विकास) विधेयक, 2013
66. भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013

परिशिष्ट – 4

(देखें पैरा 4.10)

दिनांक 1.1.2013 से 31.3.2014 की अवधि के दौरान रेल और सामान्य बजटों तथा राज्य बजटों पर विचार करने की तारीख (तारीखें) दर्शाने वाला विवरण

(क) रेल बजट

क्र.सं.	**विषय**	**लोक सभा**			**राज्य सभा**		
		तारीख (तारीखें)	**लिया गया समय**		तारीख (तारीखें)	**लिया गया समय**	
			घंटे	मिनट		घंटे	मिनट
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वर्ष 2013-14 के लिए बजट (रेल) का प्रस्तुतीकरण	26.2.2013	1	17	26.2.2013	-	-
*2	वर्ष 2013-14 के लिए बजट (रेल) पर सामान्य चर्चा	7.3.2013 8.3.2013 11.3.2013 12.3.2013 13.3.2013	14	40	12.3.2013 13.3.2013 14.3.2013 15.3.2013	10	03
*3	निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान:- (i) वर्ष 2013-14 के लिए लेखानुदान मांगें (रेल) (ii) वर्ष 2012-13 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें (रेल) (iii) वर्ष 2010-11 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगें (रेल) (*मद 2 और 3 पर एक साथ चर्चा की गई। मांगों पर बिना चर्चा के मतदान किया गया/पारित किया गया)				#	#	#
4	वर्ष 2013-14 के लिए अनुदान मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान। (बिना चर्चा के मतदान/पारित) *(मद 2 और 3 पर एक साथ चर्चा की गई।)	30.4.2014	0	02	#	#	#

(ii) वर्ष 2014-15 के लिए अंतरिम बजट (रेल)							
1	वर्ष 2014-15 के लिए अंतरिम बजट (रेल) का प्रस्तुतीकरण	12.2.2014	1	22	12.2.2014	-	-
*2	वर्ष 2014-15 के लिए अंतरिम बजट (रेल) पर सामान्य चर्चा	17.2.2014	0	14	18.2.2014	-	Without discussion
*3	निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान:- (i) वर्ष 2014-15 के लिए लेखानुदान मांगें (रेल) (ii) वर्ष 2013-14 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें (रेल)। (*मद 2 और 3 पर एक साथ चर्चा की गई।)	17.2.2014	0	16	#	#	#

(ख) सामान्य बजट							
क्र.सं.	विषय	लोक सभा			राज्य सभा		
		तारीख (तारीखें)	लिया गया समय		तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
			घंटे	मिनट		घंटे	मिनट
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वर्ष 2013-14 के लिए बजट (सामान्य) का प्रस्तुतीकरण	28.2.2013	1	45	28.2.2013	-	-
*2	वर्ष 2013-14 के लिए बजट (सामान्य) पर सामान्य चर्चा	13.3.2013 14.3.2013	11	55	18.3.2013 21.3.2013	0	33
*3	निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान:- (i) वर्ष 2010-11 के लिए लेखानुदान मांगें (सामान्य) (ii) वर्ष 2012-13 के लिए अनुपूनक अनुदान मांगें (सामान्य) (iii) वर्ष 2010-11 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगें (सामान्य) (*मद 2 और 3 पर एक साथ चर्चा की गई)				#	#	#

4	निम्नलिखित मंत्रालयों/ विभागों के संबंध में वर्ष 2013-14 के बजट (सामान्य) से संबंधित अनुदान मांगों को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया और उन पर बिना चर्चा के पूर्ण मतदान हुआ:- (1) कृषि (2) परमाणु ऊर्जा (3) रसायन और उर्वरक (4) नागर विमानन (5) कोयला (6) वाणिज्य और उद्योग (7) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी (8) उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (9) कारपोरेट कार्य (10) संस्कृति (11) रक्षा (12) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (13) पेयजल और स्वच्छता (14) पृथ्वी-विज्ञान (15) पर्यावरण और वन (16) विदेश (17) वित्त (18) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (19) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (20) भारी उद्योग और लोक उद्यम (21) गृह (22) आवास और शहरी गरीबी उपशमन (23) मानव संसाधन विकास (24) सूचना और प्रसारण (25) श्रम और रोजगार (26) विधि और न्याय (27) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (28) खान (29) अल्पसंख्यक कार्य (30) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (31) प्रवासी भारतीय कार्य (32) पंचायती राज (33) संसदीय कार्य (34) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन (35) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (36) योजना (37) विद्युत (38) लोक सभा (39) राज्य सभा (40) उप राष्ट्रपति सचिवालय (41) सडक परिवहन और राजमार्ग	30.4.2013	0	07	#	#	#

	(42) ग्रामीण विकास (43) विज्ञान और प्रौद्योगिकी (44) पोत परिवहन (45) सामाजिक न्याय और अधिकारिता (46) अंतरिक्ष (47) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन (48) इस्पात (49) वस्त्र (50) पर्यटन (51) जनजातीय कार्य (52) शहरी विकास (53) जल संसाधन (54) महिला और बाल विकास (55) युवा कार्य और खेल						
5	वर्ष 2013-14 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान	5.9.2013	4	13	#	#	#
6	वर्ष 2013-14 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान (इन मांगों पर बिना चर्चा के मतदान किया गया/पारित किया गया)	12.12.2013	0	01	#	#	#
(ii) वर्ष 2014-15 के लिए अंतरिम सामान्य बजट							
1	वर्ष 2014-15 के लिए अंतरिम बजट (सामान्य) का प्रस्तुतीकरण	17.2.2014	-	-	17.2.2014	-	-
*2	वर्ष 2014-15 के लिए अंतरिम बजट (सामान्य) पर सामान्य चर्चा	19.2.2014	0	09	21.2.2014	0	29
*3	निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान:- (i) वर्ष 2014-15 के लिए लेखानुदान मांगें (सामान्य) (ii) वर्ष 2013-14 के लिए अनुपूनक अनुदान मांगें (सामान्य) (*मद 2 और 3 पर एक साथ चर्चा की गई)	19.2.2014				#	

(ग) झारखंड राज्य बजट							
क्र.सं.	**विषय**	**लोक सभा**			**राज्य सभा**		
		तारीख (तारीखें)	लिया गया समय		तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
			घंटे	मिनट		घंटे	मिनट
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वर्ष 2013-14 के लिए झारखंड बजट का प्रस्तुतीकरण	14.3.2013	-	-	14.3.2013	-	-
*2	वर्ष 2013-14 के लिए झारखंड राज्य के बजट पर सामान्य चर्चा	15.3.2013	1	50	21.3.2013	-	-
*3	निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान:- (i) वर्ष 2010-11 के लिए अनुदान मांगें (झारखंड) (ii) वर्ष 2012-13 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें (झारखंड) (*मद 2 और 3 पर एक साथ चर्चा की गई)				#	#	#
(घ) बजट (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)							
1	वर्ष 2014-15 के लिए बजट (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) का प्रस्तुतीकरण	21.2.2014	-	-	21.2.2014	-	-
*2	वर्ष 2014-15 के लिए बजट (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) पर सामान्य चर्चा	21.2.2014	0	10	21.2.2014		
*3	निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान:- (i) वर्ष 2014-15 के लिए लेखानुदान मांगें (सामान्य) (ii) वर्ष 2013-14 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें (सामान्य) (*मद 2 और 3 पर एक साथ चर्चा की गई)				#	#	#

टिप्पणी: # राज्य सभा में संबंधित विनियोग विधेयकों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की जाती है।

परिशिष्ट-5

(देखें पैरा 4.12)

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा की तारीखें और उन पर लिया गया समय इत्यादि दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	प्रस्तावक सहित प्रस्ताव का रूप	चर्चा की तारीख	परिणाम	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
1	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री वी.पी. सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	21.12.89	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	05	15
2	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री वी.पी. सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	7.11.90	अस्वीकृत हां - 151 नहीं - 356	11	10
3	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री चंद्रशेखर, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	16.11.90	स्वीकृत हां – 280 नहीं - 214	06	34
4	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री पी.वी. नरसिंह राव, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	12 और 15 जुलाई, 1991	स्वीकृत हां – 240 नहीं – 109 अनुपस्थित – 112	07	35
5	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	27.5.96 28.5.96	मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर बहस का उत्तर देते समय प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देने जा रहे हैं। तत्पश्चात अध्यक्ष ने कहा कि सदन में प्रधान मंत्री द्वारा त्यागपत्र देने की	10	51

			घोषणा को ध्यान में रखते हुए सदन का विश्वास मत प्राप्त करने हेतु सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर मतदान की आवश्यकता नहीं है।		
6	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री एच.डी. देवेगौडा, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	11.6.96 12.6.96	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	12	20
7	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री एच.डी. देवेगौडा, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	11.4.97	अस्वीकृत हां – 190 नहीं – 338 अनुपस्थित – 5	12	50
8	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री आई.के. गुजराल, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	22.4.97	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	09	02
9	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	27.3.1998 28.3.1998	स्वीकृत हां – 275 नहीं – 260	17	56
10	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	15.4.1999 16.4.1999 17.4.1999	अस्वीकृत हां – 269 नहीं – 270	24	58
11	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – डा. मनमोहन सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	21.7.2008 22.7.2008	स्वीकृत हां – 275 नहीं – 256	15	11

परिशिष्ट -6

(देखें पैरा 5.5)

1.1.2013 से 31.3.2014 की अवधि के दौरान लोक/राज्य सभा में पुर:स्थापित गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक

लोक सभा

1. वृद्धावस्था पेंशन विधेयक, 2012 - श्री बासुदेव आचार्य
2. संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (अनुच्छेद 72 का संशोधन) - श्री अनंत गंगाराम गीते
3. पर्यावरण संरक्षण (कचरे का नियंत्रण) विधेयक, 2013 - डा. महेन्द्र सिंह पी. चौहान
4. इलैक्ट्रानिक कचरा (संचालन और निपटान) विधेयक, 2013 - डा. महेन्द्र सिंह पी. चौहान
5. गृहविहीनता निराकरण विधेयक, 2013 - डा. महेन्द्र सिंह पी. चौहान
6. अशिष्ट अथवा प्रतिनिधि विज्ञापन और रीमिक्स गीत (प्रतिषेध) विधेयक, 2013 - डा. महेन्द्र सिंह पी. चौहान
7. भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2013 (धारा 2 का संशोधन) - श्री पी. डी. राय
8. कृषि कामगार (रोजगार, सेवा परिस्थिति और कल्याण) विधेयक, 2013 - श्री बासुदेव आर. वाकचौरे
9. बाल श्रम निवारण विधेयक, 2013 - श्री बासुदेव आर. वाकचौरे
10. राष्ट्रीय युवा आयोग विधेयक, 2013 - श्री बासुदेव आर. वाकचौरे
11. हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2013 (धारा 3 और 15 का संशोधन) - श्री अनुराग सिंह ठाकुर
12. सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2013 (धारा 2 का संशोधन) - श्री बैजयन्त पाण्डा
13. बिहार पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2013 (आठवीं अनुसूची का संशोधन) - श्री निशिकांत दूबे
14. महिला शिशु-हत्या निवारण विधेयक, 2013 - श्री राकेश सिंह
15. कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र (विनियमन) विधेयक, 2013 - श्री राकेश सिंह
16. मध्य प्रदेश राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2013 - श्री राकेश सिंह

17. निराश्रित बालक (पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2011 - श्रीमती प्रिया दत्त

18. लेखक और कलाकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2011 - श्रीमती प्रिया दत्त

19. नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) संशोधन विधेयक, 2011 (धारा 33 का संशोधन) - श्रीमती प्रिया दत्त

20. निजी क्षेत्र में रिश्वत का निवारण विधेयक, 2012 - श्री वरूण गांधी

21. भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2012 (नई धारा 304एए का अंत:स्थापन) - डा. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी

22. लक्षद्वीप नारियल वृक्ष आरोहक (कल्याण) विधेयक, 2012 - श्री हमदुल्लाह सईद

23. पक्ष प्रचारण के क्रियाकलापों का प्रकटीकरण विधेयक, 2013 - श्री कालीकेश नारायण सिंह देव

24. जूट उत्पादक (लाभकारी मूल्य और कल्याण) विधेयक, 2013 - डा. काकोली घोष दस्तीदार

25. अंतरराज्जीय नदियों का राष्ट्रीयकरण विधेयक, 2013 - श्री रमेन डेका

26. भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2013 (धारा 304ए, इत्यादि का संशोधन) - डा. भोला सिंह

27. बालक कल्याण विधेयक, 2013 - डा. भोला सिंह

28. अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण विधेयक, 2013 - डा. भोला सिंह

29. चारा बैंक विधेयक, 2013 - श्री हंसराज गंगाराम अहीर

30. संविधान (संशोधन) विधेयक, 2013 (नए अनुच्छेद 16ए और 16 एए का अंत:स्थापन) - श्री हंसराज गंगाराम अहीर

31. संविधान (संशोधन) विधेयक, 2013 (आठवीं अनुसूची का संशोधन) - श्री हंसराज गंगाराम अहीर

32. संविधान (संशोधन) विधेयक, 2013 (नए अनुच्छेद 72ए का अंत:स्थापन) - श्री हंसराज गंगाराम अहीर

33. पॉवरलूम सेक्टर (कल्याण) विधेयक, 2013 - श्री सुरेश काशीनाथ तवारे

34. जवाबदेही ब्यूरो विधेयक, 2013 - श्री जे.पी. अग्रवाल

35. सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2013 (धारा 2, इत्यादि का संशोधन) - श्री जे.पी. अग्रवाल

36. संविधान (संशोधन) विधेयक, 2013 (नए अनुच्छेद 30ए का अंत:स्थापन)

- श्री जे.पी. अग्रवाल

राज्य सभा

1. दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2012 (धारा 309 का संशोधन)
   - श्री प्रकाश जावड़ेकर
2. युवा (विकास और कल्याण) विधेयक, 2012 - डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी
3. आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2012
   - डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी
4. गरीबी रेखा से नीचे के अभिभावकों की बालिकाओं को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2012 - डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी
5. अश्लील विज्ञापनों पर प्रतिबंध विधेयक, 2013 - श्री प्रभात झा
6. भिक्षावृत्ति निवारण और भिक्षुओं का पुनर्वास विधेयक, 2013 - श्री प्रभात झा
7. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2013
   - श्री विवेक गुप्ता
8. सार्वजनिक टेलीफोन बूथ का प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2013 - श्री पुरूषोत्तम खोड़ाभाई रूपाला
9. रेल मार्गों के आस-पास रहने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए राष्ट्रीय प्रधिकरण विधेयक, 2013 - श्री पुरूषोत्तम खोड़ाभाई रूपाला
10. संविधान (संशोधन) विधेयक, 2013 (अनुच्छेद 72 का संशोधन)
    - श्री पुरूषोत्तम खोड़ाभाई रूपाला

परिशिष्ट-7

(देखें पैरा 8.2)

विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए सितम्बर, 2005 में बनाए गए दिशा-निर्देश

1. प्रस्तावना

वर्ष, 1954 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति प्रणाली स्थापित की गई थी। इसे अप्रैल, 1969 में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ परामर्श करके, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करके एक औपचारिक रूप दे दिया गया था।

2. उद्देश्य

- सरकार के कार्यचालन के बारे में संसद सदस्यों में जागरूकता पैदा करना।
- सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन की रीति पर सरकार और संसद सदस्यों के बीच अनौपचारिक परामर्श को बढ़ावा देना।
- नीतिगत मामलों तथा कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में संसद सदस्यों की सलाह और मार्गदर्शन से सरकार को लाभ के अवसर उपलब्ध कराना।

3. गठन और भंग करना

3.1 भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए यथासंभव परामर्शदात्री समितियाँ गठित की जाएंगी। संसद में विभिन्न दलों की अपनी-अपनी सदस्य संख्या के अनुसार इन समितियों का संघटन सरकार निश्चित करेगी।

3.2 एक परामर्शदात्री समिति की **न्यूनतम सदस्य संख्या 10 होगी और अधिकतम सदस्य संख्या 30** होगी।

3.3 परामर्शदात्री समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक है। यदि संसद सदस्य किसी परामर्शदात्री समिति पर नियमित सदस्य के रूप में कार्य करना चाहती/चाहता है तो वह अपना अनुरोध (संलग्न प्रोफार्मा में) लोक सभा/राज्य सभा में अपने दलों/ग्रुपों के नेता को तीन मंत्रालयों/विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के विकल्प प्राथमिकता के क्रम पर उपलब्ध कराएगा, जबकि मनोनीत सदस्य तथा छोटे दलों/ग्रुपों के सदस्य (5 सदस्यों से कम) अपनी प्राथमिकता सीधे

संसदीय कार्य मंत्रालय को भेज सकते हैं। दल/ग्रुप के नेता इस पर विचार के पश्चात उनकी सिफारिश को संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजेंगे। एक संसद सदस्य किसी भी समय में केवल किसी एक परामर्शदात्री समिति का नियमित सदस्य बन सकता है।

3.4 यदि संसद सदस्य किसी विशेष मंत्रालय/विभाग के विषयों में विशेष रूचि रखते हैं तो उन्हें उस परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। एक सदस्य को केवल एक ही परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में नामित किया जा सकता है। तथापि, ऐसे सदस्य परामर्शदात्री समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के हकदार नहीं होंगे। **प्रत्येक परामर्शदात्री समिति पर अधिकतम 5 स्थायी विशेष आमंत्रित अनुमत होंगे।**

3.5 संसदीय कार्य मंत्रालय रिक्ति की स्थिति और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर संसद सदस्य की प्राथमिकता को देखते हुए किसी परामर्शदात्री समिति पर संसद सदस्य की सदस्यता को अधिसूचित करेगा।

3.6 एक सदस्य, जो न तो एक नियमित सदस्य है और न ही स्थायी विशेष आमंत्रित है, को परामर्शदात्री समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है, यदि उसने चर्चा के लिए किसी विषय का नोटिस दिया है और उस विषय को कार्यसूची में शामिल कर लिया गया है अथवा यदि उसने परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए अधिसूचित कार्यसूची मद (मदों) पर चर्चा में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है और उनके इस अनुरोध को संसदीय कार्य मंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तथापि, ऐसा सदस्य परामर्शदात्री समिति की बैठक में भाग लेने के लिए किसी यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार नहीं होगा।

3.7 परामर्शदात्री समिति का नियमित सदस्य उसकी हकदारी के अनुसार अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

3.8 मंत्रालय/विभाग के प्रभारी मंत्री अपने मंत्रालय/विभाग से संबद्ध परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जब भी आपवादिक कारणों से, प्रभारी मंत्री पहले से बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर पाने में असमर्थ होते हैं, तो या तो बैठक की अध्यक्षता उस मंत्रालय/विभाग के राज्य मंत्री करेंगे अथवा बैठक स्थगित कर दी जाएगी।

3.9 परामर्शदात्री समिति उस स्थिति में भंग हो जाएगी, यदि उसकी सदस्य संख्या सदस्य (सदस्यों) की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र देने के कारण दस से कम हो जाती है। ऐसी भंग समिति के शेष सदस्यों से अनुरोध किया जाएगा कि उपरोक्त पैरा 3.3 में निर्धारित मार्ग-निर्देशों के अनुसार

अपनी प्राथमिकताएं दर्शाएं ताकि उन्हें जहां भी रिक्तियां उपलब्ध हैं उस परामर्शदात्री समिति पर नामित किया जा सके।

3.10 प्रत्येक लोक सभा के भंग होने पर परामर्शदात्री समितियां भी भंग हो जाएंगी और प्रत्येक लोक सभा का गठन होने पर पुनर्गठित की जाएंगी।

3.11 संसदीय कार्य मंत्रालय परामर्शदात्री समितियों के गठन को अधिसूचित करेगा।

4. कार्य और सीमाएं

4.1 परामर्शदात्री समितियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं पर अनौपचारिक वातावरण में मुक्त और खुली चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।

4.2 संसद सदस्य किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिस पर संसद में समुचित रूप में चर्चा की जा सकती है। तथापि, परामर्शदात्री समिति की बैठक में उठाए गए किसी भी विषय का संसद के किसी भी सदन में हवाला देना वांछनीय नहीं होगा। यह सरकार और सदस्यों दोनों के लिए बाध्य होगा।

4.3 परामर्शदात्री समितियों को किसी गवाह को बुलाने, किसी मिसिल को मंगवाने अथवा प्रस्तुत कराने अथवा किसी सरकारी रिकार्ड की जांच करने का अधिकार नहीं होगा।

5. बैठकें

बैठकों की संख्या

5.1 सामान्यतया परामर्शदात्री समितियों की 6 बैठकें सत्रावधि और अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जाएंगी। परामर्शदात्री समितियों की एक वर्ष में 6 बैठकों में से, 4 बैठकें होनी अनिवार्य हैं। इनमें से, समिति के अध्यक्ष की सुविधानुसार, 3 बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी चाहिए तथा एक बैठक सत्रावधि अथवा अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी चाहिए।

दिल्ली से बाहर बैठकें

5.2 समिति के अध्यक्ष यदि चाहें तो, एक कलैंडर वर्ष में अंत:सत्रावधि के दौरान परामर्शदात्री समिति की एक बैठक दिल्ली से बाहर भारत में कहीं भी आयोजित की जा सकती है।

बैठक की तारीख

5.3 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की अगली बैठक की तारीख का निर्णय समिति की पिछली बैठक में कर लिया जाए।

अवधि

5.4 बैठक की अवधि का निर्णय निष्पादित किए जाने वाले कार्य को देखते हुए अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

बैठक के लिए सूचना

5.5 परामर्शदात्री समितियों की बैठकों के लिए पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तथा ऐसी बैठकों के एक साथ होने से बचने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों, को जहाँ तक संभव हो, बैठक आयोजित करने के निर्णय की सूचना संसदीय कार्य मंत्रालय को बैठक की तारीख से कम से कम चार सप्ताह पूर्व भेज देनी चाहिए।

5.6 परामर्शदात्री समिति की बैठक की सूचना सदस्यों और आमंत्रितों को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा सत्रावधि के दौरान कम से कम 10 दिन पहले और अंत:सत्रावधि के दौरान कम से कम दो सप्ताह पूर्व भेज देनी चाहिए।

5.7 सदस्यों को बैठक की सूचना सत्रावधि के दौरान दिल्ली में उनके आवास के पते पर भेजी जाएंगी और अंत:सत्रावधि के दौरान उनके दिल्ली के पते के साथ-साथ स्थायी पतों पर भी भेजी जाएंगी।

गणपूर्ति (कोरम)

5.8 परामर्शदात्री समिति की बैठक के संचालन के लिए कोई गणपूर्ति (कोरम) नियत नहीं की गई है।

6. कार्यसूची

6.1 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए कार्यसूची का निर्णय अध्यक्ष द्वारा सदस्यों के परामर्श से किया जाए। सदस्यगण भी अध्यक्ष के विचार हेतु कार्यसूची में शामिल करने के लिए मद (मदों) का सुझाव दे सकते हैं।

6.2 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की उत्तरवर्ती बैठक की कार्यसूची का निर्णय समिति की पिछली बैठक के दौरान कर लिया जाए।

6.3 परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए कार्यसूची कागजात (हिन्दी और अंग्रेजी रूपांतर दोनो) (पिछली बैठक का कार्यवृत्त, पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट और आगामी बैठक के लिए कार्यसूची मद (मदों) पर ब्रीफ/टिप्पणियों सहित) संबंधित मंत्रालय द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय को कम से कम दस दिन पूर्व भेज दिए जाएं ताकि उन्हें बैठक के दौरान चर्चा में सुविधा हेतु पर्याप्त समय पहले सदस्यों को परिचालित किया जा सके।

6.4 संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय को कार्यसूची कागजात की प्रतियां (अंग्रेजी और हिन्दी रूपांतर) पर्याप्त संख्या में भेजी जाएं (सत्रावधि के दौरान सदस्यों की संख्या जमा दस और अंत:सत्रावधि के दौरान सदस्यों की संख्या से दोगुनी जमा दस)।

6.5 सदस्यगण संसदीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से संबंधित मंत्रालय/विभाग से कार्यसूची की मदों/अतिरिक्त मदों पर विवरण अथवा अतिरिक्त जानकारी मांग सकते हैं।

7. सिफारिशें

7.1 बैठक की अनुमोदित कार्यसूची मदों पर हुई चर्चा का संक्षिप्त रिकार्ड रखा जाए और उसे सदस्यों को परिचालित किया जाए।

7.2 निम्न अपवादों को छोड़कर समिति के दृष्टिकोण में जहां कहीं भी एकमतता होगी, सरकार सामान्यत: उस सिफारिश को मान लेगी अर्थात:-

(i) वित्तीय निहितार्थ सहित कोई सिफारिश;
(ii) सुरक्षा, रक्षा, विदेश और परमाणु ऊर्जा से संबंधित कोई सिफारिश; और
(iii) स्वायत्त संस्थान के कार्यक्षेत्र में आने वाला कोई मामला।

8. प्रशासनिक मामले

8.1 संसदीय कार्य मंत्रालय परामर्शदात्री समितियों से संबंधित मामलों के संबंध में सम्पूर्ण समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा।

8.2 संबंधित मंत्रालय/विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण परामर्शदात्री समिति की बैठकों में उपस्थित होंगे और कार्यसूची मदों के प्रस्तुतीकरण में मंत्री को जानकारी और स्पष्टीकरण इत्यादि उपलब्ध कराके सहायता प्रदान करेंगे।

8.3 सभी सूचनाएं, कार्यसूची कागजात, कार्यवृत्त इत्यादि सत्रावधि के दौरान दिल्ली में सदस्यों के आवास के पतों पर भेजे जाएंगे और अन्त: सत्रावधि के दौरान उनके दिल्ली के पतों के साथ-साथ स्थायी पतों पर भी भेजे जाएंगे।

9. उप-समिति

परामर्शदात्री समिति की उप-समितियां गठित नहीं की जाएंगी।

(दिशा -निर्देशों के पैरा 3.3 में उल्लिखित प्रोफार्मा)

<u>परामर्शदात्री समिति पर नामांकन</u>

मुझे निम्नलिखित परामर्शदात्री समितियों में से किसी एक पर निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में नामांकित कर दिया जाए:-

1. .....
2. .....
3. .....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

(स्वच्छ अक्षरों में)

सदस्य: लोक/राज्य सभा

दल जिससे संबद्ध हैं:

दूरभाष तथा फैक्स नं.

(क) दिल्ली का पता .....

(ख) स्थायी पता .....

सेवा में

निदेशक,
संसदीय कार्य मंत्रालय,
नई दिल्ली।

परिशिष्ट-8

(देखें पैरा 8.4)

15वीं लोक सभा के लिए विभिन्न मंत्रालयों के लिए गठित परामर्शदात्री समितियों की सूची

1	कृषि मंत्रालय
2	रसायन और उर्वरक मंत्रालय
3	नागर विमानन मंत्रालय
4	कोयला मंत्रालय
5	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
6	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7	रक्षा मंत्रालय
8	पर्यावरण और वन मंत्रालय
9	विदेश मंत्रालय
10	वित्त मंत्रालय
11	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
12	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
13	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
14	गृह मंत्रालय
15	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
16	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
17	श्रम और रोजगार मंत्रालय
18	विधि और न्याय मंत्रालय
19	खान मंत्रालय
20	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
21	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
22	विद्युत मंत्रालय
23	रेल मंत्रालय
24	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
25	ग्रामीण विकास मंत्रालय

26	पोत परिवहन मंत्रालय
27	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
28	इस्पात मंत्रालय
29	वस्त्र मंत्रालय
30	पर्यटन मंत्रालय
31	जनजातीय कार्य मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय
32	शहरी विकास मंत्रालय
33	जल संसाधन मंत्रालय
34	महिला और बाल विकास मंत्रालय
35	युवा कार्य और खेल मंत्रालय

परिशिष्ट-9

(देखें पैरा 8.5)

परामर्शदात्री समितियों की बैठकों की तारीखें और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय

कृषि मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	5
बैठकों की तारीखें	30.01.2013, 25.04.2013, 05.06.2013, 07.08.2013, 20.11.2013
चर्चा किए गए विषय	फार्म यंत्रीकरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन, राष्ट्रीय डेयरी
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	1
बैठकों की तारीखें	28.11.2013 (बैंगलोर)
चर्चा किए गए विषय	उर्वरक उपलब्धता
नागर विमानन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	2
बैठकों की तारीखें	26.10.2013, 02.12.2013 (गोवा)
चर्चा किए गए विषय	सामान्य चर्चा, एयर इंडिया लिमिटेड का कार्यचालन
कोयला मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठकों की तारीखें	03.04.2013 (चैन्नई), 05.09.2013, 13.11.2013
चर्चा किए गए विषय	कोयला उत्पादन की वृद्धि - मुद्दे एवं निवारण, कोयले के अन्वेषण के लिए क्षमताओं को मजबूत बनाना, लिग्नाइट खनन - एन.एल.सी. द्वारा लिग्नाइट उत्पादन में सुधार के लिए उपाय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	अवधि के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।
बैठकों की तारीखें	
चर्चा किए गए विषय	

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	2
बैठकों की तारीखें	06.02.2013, 06.11.2013
चर्चा किए गए विषय	टावरों/हैंडसेट से निकलने वाला विद्युत चुंबकीय क्षेत्र (ई.एम.एफ.) विकिरण एवं इससे संबंधित अन्य मुद्दे, वित्तीय समावेशन और डाकघरों की भूमिका
रक्षा मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठकों की तारीखें	08.02.2013, 25.06.2013, 06.11.2013, 19.12.2013
चर्चा किए गए विषय	सैन्य अभियंता सेवा और विवाहित आवासीय परियोजना, उत्पादकता और क्षमताओं के विस्तार में सुधार के लिए उपायों सहित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, डी.आर.डो.ओ. कार्यक्रम, उभरती चुनौतियों/खतरों के लिए उभरती रक्षा प्रौद्योगिकियां
पर्यावरण और वन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	अवधि के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।
बैठकों की तारीखें	
चर्चा किए गए विषय	
विदेश मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठकों की तारीखें	12.02.2013 (राजगीर), 25.06.2013, 20.11.2013
चर्चा किए गए विषय	भारत की सांस्कृतिक कूटनीति, सार्वजनिक कूटनीति, भागीदारी विकास
वित्त मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठकों की तारीखें	04.02.2013, 17.06.2013, 29.08.2013, 11.11.2013
चर्चा किए गए विषय	बजट-पूर्व परामर्श, चालू खाता घाटा - निहितार्थ और घाटे को नियंत्रित करने के उपाय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अनर्जक परिसंपत्तियां और इसे नियंत्रित करने के उपाय, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठकों की तारीखें	20.03.2013, 16.07.2013, 25.09.2013, 22.01.2014
चर्चा किए गए विषय	राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एन.एम.एफ.पी.), भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान का कार्यचालन, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए बुनियादी ढ़ांचे के विकास के अंतर्गत कोल्ड चेन का विकास, बुनियादी ढ़ांचे के विकास की योजना - बूचड़खाना योजनाओं की स्थापना/आधुनिकीकरण
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठकों की तारीखें	01.02.2013, 08.05.2013, 29.08.2013, 18.12.2013
चर्चा किए गए विषय	बाल स्वास्थ्य/बच्चों की व्यापक जांच परख, परिवार नियोजन और जनसंख्या संतुलन, मातृ स्वास्थ्य, स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में उपलब्धियां/गतिविधियां
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठकों की तारीखें	19.03.2013, 06.06.013, 24.10.2013
चर्चा किए गए विषय	सामान्य चर्चा, मंत्रालय पर सामान्य चर्चा, मंत्रालय के कार्यचालन पर सामान्य चर्चा
गृह मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	2
बैठकों की तारीखें	07.03.2013, 02.07.2013
चर्चा किए गए विषय	पूर्वोत्तर राज्य में सुरक्षा स्थिति - एक समीक्षा, आतंकवाद से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदम
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठकों की तारीखें	14.03.2013, 03.07.2013, 04.10.2013
चर्चा किए गए विषय	मिड–डे मील कार्यक्रम, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, प्रौढ़ साक्षरता

सूचना और प्रसारण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठकों की तारीखें	25.04.2013, 15.07.013, 18.11.2013, 18.02.2014
चर्चा किए गए विषय	भारतीय जन-संचार संस्थान (आई.आई.एम.सी.), (i) भारतीय जन-संचार संस्थान (आई.आई.एम.सी.), (ii) लिवसन रिपोर्ट और भारतीय परिवेश के लिए उसकी प्रासंगिता/संभावित प्रभाव, लिवसन रिपोर्ट और भारतीय परिवेश के लिए उसकी प्रासंगिता/संभावित प्रभाव, भारत में फिल्मों की शूटिंग के लिए एकल खिड़की अनुमति तंत्र
विधि और न्याय मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	2
बैठकों की तारीखें	20.02.2013, 27.11.2013
चर्चा किए गए विषय	(i) कानूनी सहायता कार्यक्रम, (ii) ग्राम न्यायालय, न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण तथा ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का कार्यान्वयन
श्रम और रोजगार मंत्रालय़	
बैठकों की संख्या	3
बैठकों की तारीखें	18.03.2013, 30.08.2013, 09.01.2014
चर्चा किए गए विषय	आर्थिक मंदी के कारण श्रमिकों के रोजगार पर असर, असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं
खान मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	5
बैठकों की तारीखें	18.03.2013 (खजुराहो), 07.05.2013, 30.07.2013, 27.11.2013, 31.01.2014 (नाडियाड)
चर्चा किए गए विषय	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, (एच.सी.एल.), नाल्को का कार्यचालन, मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (एम.ई.सी.एल.), भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की निगमित सामाजिक जिम्मेदारी
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	

बैठकों की संख्या	4
बैठकों की तारीखें	05.03.2013, 06.05.2013, 27.08.2013, 19.12.2013
चर्चा किए गए विषय	मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित तीन छात्रवृत्ति योजनाओं और एक फैलोशिप योजना के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को मिले लाभ, 11वीं योजना का लक्ष्य एवं उपलब्धि और वार्षिक योजना 2012-13 का निष्पादन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की कार्यपद्धति, राष्ट्रीय अलपसंख्यक आयोग की कार्यपद्धति
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	1
बैठकों की तारीखें	04.06.2013 (मसूरी)
चर्चा किए गए विषय	भारत में तेल और गैस की खोज की स्थिति तथा विदेश में अन्वेषण और उत्पादन की परिसंपत्तियों का अधिग्रहण
विद्युत मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठकों की तारीखें	12.02.2013, 27.05.2013, 21.08.2013
चर्चा किए गए विषय	राष्ट्रीय हाईड्रो विद्युत निगम लिमिटेड, भारतीय पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड, नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन.इ.इ.पी.सी.ओ.)
रेल मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठकों की तारीखें	22.01.2013, 26.07.2013, 29.11.2013 (बैंगलोर)
चर्चा किए गए विषय	चालू परियोजनाएं, व्यस्त समपारों पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण, रेलवे दावा प्रणाली
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठकों की तारीखें	20.02.2013, 27.08.2013, 21.11.2013, 23.01.2014
चर्चा किए गए विषय	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एन.एच.(ओ.) योजनाएं, केंद्रीय सड़क निधि, आर्थिक मंदी में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) परियोजनाएं, सड़क किनारे सुविधाएं तथा वाहनों की सड़क पात्रता
ग्रामीण विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	1

बैठकों की तारीखें	13.02.2013
चर्चा किए गए विषय	सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना (एस.ई.सी.सी.), 2011
पोत परिवहन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	2
बैठकों की तारीखें	15.04.2013 (मुंबई), 26.10.2013 (भुवनेश्वर)
चर्चा किए गए विषय	बंदरगाह विकास परियोजनाएं, बंदरगाह विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.)
सामजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठकों की तारीखें	08.05.2013, 27.08.2013, 18.12.2013
चर्चा किए गए विषय	अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक के पश्चात छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, बहु-अशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण में राष्ट्रीय संस्थान की भूमिका
इस्पात मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	2
बैठकों की तारीखें	12.06.2013, 08.01.2014 (केरल)
चर्चा किए गए विषय	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (एस.ए.आई.एल.) का कार्यचालन, एम.एस.टी.सी. लिमिटेड तथा एम.ओ.आई.एल. लिमिटेड का कार्यचालन
वस्त्र मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठकों की तारीखें	10.07.2013, 26.08.2013, 06.11.2013, 16.12.2013
चर्चा किए गए विषय	वस्त्र निर्यात, हथकरघा क्षेत्र, हस्तशिल्प क्षेत्र, पावरलूम क्षेत्र
जनजातीय कार्य मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	अविध के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।
बैठकों की तारीखें	
चर्चा किए गए विषय	
पर्यटन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	2
बैठकों की तारीखें	19.03.2013, 27.08.2013

चर्चा किए गए विषय	पर्यटन पर सामान्य अवलोकन, पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन का विकास
शहरी विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	2
बैठकों की तारीखें	11.03.2013, 02.08.2013
चर्चा किए गए विषय	दिल्ली विकास प्राधिकरण का कार्यचालन, शहरी विकास के मुद्दे
जल संसाधन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठकों की तारीखें	13.02.2013 (गुवाहाटी), 17.07.2013, 30.09.2013, 16.12.2013
चर्चा किए गए विषय	बाढ़ प्रबंधन, बांध सुरक्षा विधेयक, त्वरित जल सिंचाई कार्यक्रम, जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और जीर्णोद्धार
महिला और बाल विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठकों की तारीखें	06.05.2013, 17.07.2013, 29.10.2013, 18.12.2013
चर्चा किए गए विषय	बाल विवाह की रोकथाम पर राष्ट्रीय कार्य योजना, राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ई.सी.सी.ई.,), 200 जिलों में पुनर्गठित आई.सी.डी.एस. और बहुक्षेत्रीय योजना
युवा कार्य और खेल मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठकों की तारीखें	01.03.2013, 03.05.2013, 02.12.2013
चर्चा किए गए विषय	युवा नीति, पी.वाई.के.के.ए. (संशोधित) योजना, आर.जी.एन.आई.वाई.डी.

परिशिष्ट-10

(देखें पैरा 12.1)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित समितियों, निकायों, परिषदों, बोर्डों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन

क्र.सं.	समिति का नाम	नामांकित संसद सदस्यों के नाम		नामांकन की तारीख
		लोक सभा	राज्य सभा	
1.	कोंकण रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति (के.आर.यू.सी.सी.) (रेल मंत्रालय)	डॉ. नीलेश नारायण राणे श्री आर. ध्रुवनारायण श्री एम.बी. राजेश श्री फ्रांसिस्को सारदीना	श्री अविनाश पांडे डॉ. प्रभाकर कोरे श्री शांताराम एल. नायक श्री एम.पी. अच्युतन	04.03.2013
2.	राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण परिषद (जनजातीय कार्य मंत्रालय)	डा. प्रभा किशोर तावियाड	--	08.04.2013
3.	जनजातीय कल्याण के लिए स्थाई समिति (जनजातीय कार्य मंत्रालय)	---	डा. भालचंद्र मुंगेकर	08.04.2013
4.	भारतीय खाद्य निगम, राजस्थान के लिए परामर्शदात्री समिति (उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय)	---	डा. प्रभा ठाकुर	18.02.2013

5.	वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान के लिए सामान्य परिषद, नोएडा (श्रम और रोजगार मंत्रालय)	डा. विनय कुमार पाण्डेय	श्री राम चंद्र खुंटिया	05.04.2013
6.	भारतीय खाद्य निगम, उत्तराखंड के लिए परामर्शदात्री समिति (उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय)	श्री प्रदीप टमटा	---	10.05.2013
7.	समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अधीन केंद्रीय सलाहकार समिति (श्रम और रोजगार मंत्रालय)	राजकुमारी रतना सिंह	प्रो. अल्का बलराम क्षत्रिय	20.05.2013
8.	केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)	डा. टोकचोम मैन्या श्री नीरज शेखर	डा. के.वी.पी. रामाचंद्रा राव डा. सी.पी. ठाकुर	04;06.2013
9.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए भारतीय खाद्य निगम की परामर्शदात्री समिति (उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय)	श्री जे.पी. अग्रवाल	---	12.06.2013

10.	भारतीय मानक ब्यूरो (उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय)	---	श्री अविनाश पाण्डे	20.05.2013
11	क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति (आर.डी.टी.ए.सी.) (वित्त मंत्रालय)			13.08.2013
	गुवाहाटी	श्री इस्माइल हुसैन		
	तिरूचिराप्पली	श्री पी. कुमार		
	विशाखापटनम	श्री जी.वी. हर्षा कुमार		
	त्रिवेंद्रम	श्री एन. पीतांबर कुरूप		
	पटियाला	श्री विजय इंदर सिंघला		
	मुज्जफरपुर	श्री कीर्ति झा आजाद		
	मैसूर	श्री ए.एच. विश्वनाथ		
	बैंगलोर	श्री अनंत कुमार		
	मुंबई	श्री एकनाथ गायकवाड़		
	चंडीगढ़	श्री पवन कुमार बंसल		
	मदुरै	श्रीमती हेलेन जे. डेविडसन		
	जबलपुर	श्री राकेश सिंह		
	लुधियाना	श्री रवनीत सिंह		
	ठाणे	श्री अनंत जी. गीते		
	वाराणसी	श्री गोरख नाथ पाण्डेय		
	इंदौर	श्री नारायण सिंह अम्वाले		
	कोझीकोड़	श्री पी. करूणाकरन		
	दुर्गापुर	प्रो. एस.के. सैदूल हक		
	जलपाईगुढ़ी		श्री तारिणी कांता राय	
	आगरा		प्रो. एस.पी. सिंह बघेल	

	रांची गाजियाबाद देहरादून		श्री धीरज प्रसाद साहू श्री सतीश शर्मा श्री महेंद्र सिंह महरा	
12	राष्ट्रीय वन्य जीवन बोर्ड (पर्यावरण और वन मंत्रालय)	डा. ज्योति मिर्धा श्री दुष्यंत सिंह	डा. एम.एस. गिल	13.08.2013
13	राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान मिशन के लिए शासी परिषद (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)	श्री संजय भोई श्री अर्जुन राम मेघवाल	श्री अविनाश पाण्डेय	26.08.2013
14	केंद्रीय अनुवीक्षण समिति (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)	श्री ललित मोहन शुक्लबैद्य श्री अर्जुन मेघवाल	डा. विजयलक्ष्मी साधो	26.08.2013
15	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण परिषद (एन.एल.एम.ए.) (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)	श्री प्रदीप मांझी श्रीमती अश्वमेघ देवी	श्री अश्विनी कुमार	18.02.2014

परिशिष्ट-11

(देखें पैरा 12.2)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिंदी सलाहकार समितियों (एच.एस.एस.) पर संसद सदस्यों का नामांकन

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग जिससे हिंदी सलाहकार समिति संबद्ध है	नामांकित संसद सदस्यों के नाम		नामांकन की तारीख
		लोक सभा	राज्य सभा	
1.	विधि और न्याय मंत्रालय	--	श्री कंवर दीप सिंह	19.02.2013
2.	संस्कृति मंत्रालय	--	श्री सी.एम. रमेश	05.03.2013
3.	सामाजिक न्याय और रोजगार मंत्रालय	डा. टोकचोम मैन्या श्री अनंत कुमार	डा. प्रभा ठाकुर श्री के.सी. त्यागी	05.04.2013
4.	दूरसंचार विभाग	--	श्री महेंद्र सिंह महेरा श्री मोहम्मद अदीब	15.04.2013
5.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	श्री प्रदीप माझी श्री रविंद्र कुमार पाण्डेय	श्रीमती रजनी पाटिल श्री संजीव कुमार	20.05.2013
6.	उच्चतर शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)	डा. (सुश्री) गिरिजा व्यास श्रीमती पुतुल कुमारी	डा. प्रभा ठाकुर श्री जावेद अख्तर	20.05.2013
7.	रेल मंत्रालय	डा. (श्रीमती) ज्योति मिर्धा श्रीमती सारिका देवेंद्र सिंह वघेल	श्री रशीद मसूद श्री परिमल नाथवानी	04.06.2013
8.	योजना मंत्रालय	श्री सज्जन कुमार	श्री तरूण विजय	04.06.2013
9.	वित्त मंत्रालय (राजस्व, व्यय और विनिवेश विभाग तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परिक्षक का कार्यालय)	डा. विनय कुमार पाण्डेय श्री गोविंद प्रसाद मिश्र	श्री अश्विनी कुमार श्री प्रेम चंद गुप्ता	04.06.2013
10.	विद्युत मंत्रालय	श्री कमल	श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी	12.06.2013

		किशोर श्री मोहन जैना	श्री प्रकाश जावड़ेकर	
11.	पोत परिवहन मंत्रालय	---	श्रीमती नाजनीन फारूख श्री अनिल माधव दवे	20.05.2013
12.	इलैक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	श्री विंसेंट एच. पाला श्री बालकृष्ण के. शुक्ल	श्री राजीव चंद्रशेखर श्री मुकुट मिथी	20.07.2013
13.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	श्री संजय एस. धोत्रे श्री टकम संजोय	श्रीमती वनसुक शाइम श्री अरविंद कुमार सिंह	18.07.2013
14.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	---	श्रीमती वंदना चवन	13.08.2013
15.	पर्यटन मंत्रालय	डा. विनय कुमार पाण्डेय	---	13.08.2013
16.	युवा कार्य और खेल मंत्रालय	---	श्री जॉय अब्राहम	14.08.2013
17.	इस्पात मंत्रालय	श्री अशोक तंवर कु. सरोज पाण्डे	श्री राम चंद्र खूंटिया श्री ईश्वर लाल जैन	02.09.2013
18.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	श्री नारायण सिंह अम्लाबे श्री पी.सी. मोहन	डा. ईश्वर सिंह श्रीमती कुसुम राय	02.09.2013
19.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	श्री संजय निरूपम सुश्री एम.विजया शांति	श्री मोहम्मद शफी श्री दिलिप कुमार टिरके	02.09.2013
20.	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	डा. प्रभा किशोर ताविआड	श्री आनंद भास्कर रापोलू	02.09.2013

		श्री रविंद्र कुमार पाण्डेय	सुश्री अनु आगा	
21.	गृह मंत्रालय	श्री रतन सिंह श्री प्रबोध पांडा	श्री प्रमोद तिवारी श्रीमती कनक लता सिंह	14.02.2014

परिशिष्ट-12

(देखें पैरा 12.7)

संसद सदस्यों को स्वीकार्य वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएं दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	मद	वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएं
1.	वेतन	रूपये 50,000/- प्रतिमाह दिनांक 18.5.2009 से
2.	दैनिक भत्ता	रूपये 2,000/- दिनांक 1.10.2010 से। संसद सदस्यों को संसद के सत्र के दौरान हर उस दिन, जिस दिन के लिए भत्ते का दावा करना है, (बीच में पड़ने वाली छुट्टियों को छोड़कर, जिनके लिए ऐसे हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं हो) लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों द्वारा हस्ताक्षर के उद्देश्य से रखे गए रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने होते हैं।
3.	अन्य भत्ते	दिनांक 01.01.2010 से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता रूपये 45,000/- प्रतिमाह की दर से और कार्यालय व्यय भत्ता रूपये 45,000/- प्रतिमाह की दर से, जिसमें से रूपये 15,000/- लेखन सामग्री इत्यादि और डाक संबंधी मदों पर व्यय के लिए होंगे; और लोक/राज्य सभा सचिवालय सदस्यों द्वारा सचिवालयिक सहायता प्राप्त करने के लिए रखे गए व्यक्ति (व्यक्तियों) को रूपये 30,000/- प्रतिमाह तक का भुगतान करेगा और एक व्यक्ति सदस्य द्वारा विधिवत प्रमाणित कंम्प्यूटर प्रशिक्षित होगा।
4.	टेलीफोन	दिल्ली के आवास, निर्वाचन क्षेत्र के आवास और इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रयोजनार्थ सभी तीनों टेलीफोनों को मिलाकर प्रतिवर्ष 1,50,000 नि:शुल्क कॉल। ट्रंक काल के बिलों को प्रति वर्ष 1,50,000 स्थानीय कॉल की धनराशि की सीमा के अन्दर रहते हुए समायोजित किया जाएगा। इससे ज्यादा की गई कॉलों को, जो निर्धारित कोटा से अधिक होंगी, अगले वर्ष के कोटे में समायोजित करने की अनुमति दी जाएगी। जो सदस्य उनको उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों का उपयोग नहीं करते हैं, उनकी अप्रयुक्त शेष टेलीफोन कॉलों को आगे जोड़ दिया जाएगा जब तक कि वे अपना पद नहीं छोड़ देते हैं। सदस्य उन्हें उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों के उपयोग करने के लिए किसी भी संख्या में, दिल्ली में अपने आवास तथा निर्वाचन क्षेत्र में, टेलीफोनों का प्रयोग करने के हकदार हैं बशर्ते कि टेलीफोन उनके अपने नाम पर होना चाहिए तथा उन्हें उपलब्ध तीन टेलीफोनों के अतिरिक्त अन्य टेलीफोनों के लगाने और किराया प्रभार सदस्य द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।

		सदस्य महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड, से राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा सहित दो मोबाइल फोन (एक दिल्ली में और दूसरा निर्वाचन क्षेत्र में) अथवा जहां महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड या भारत संचार निगम लिमिटेड की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, किसी अन्य निजी मोबाईल आपरेटर द्वारा मोबाईल फोन का प्रयोग उन्हें उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों के लिए कर सकता है, बशर्ते कि निजी मोबाईल फोन के लिए पंजीकरण और किराया प्रभार सदस्य द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। एक टेलीफोन पर ब्राडबैंड सुविधा भी इस शर्त के अधीन रहते हुए दी जाती है कि किराया रू.1500/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होना चाहिए।
5	आवास	नि:शुल्क किराए वाले फ्लैट (जिनमें होस्टल आवास शामिल है)। यदि कोई सदस्य बंगला आवास का हकदार है और यदि उसके अनुरोध पर उसे बंगला आबंटित किया जाता है, तो वह पूरे साधारण किराए का भुगतान करेगा। नव निर्वाचित संसद सदस्य यदि निर्वाचन आयोग द्वारा उसके निर्वाचन की अधिसूचना के प्रकाशन से पहले दिल्ली पहुंच जाता है तो वह पारगमन आवास का हकदार है। बिना किराए के फर्नीचर रूपये 60,000/- की आर्थिक सीमा तक स्थायी फर्नीचर और रूपये 15,000/- तक गैर-स्थायी फर्नीचर और मूल्यह्रास पर आधारित फर्नीचर की अतिरिक्त मदों के लिए किराया। प्रत्येक तीन महीने में सोफा कवर और पर्दों की नि:शुल्क धुलाई। संसद सदस्य द्वारा मांग किए जाने पर स्नानघर, रसोईघर में टाईल्स लगवाना।
6.	पानी और बिजली	प्रत्येक वर्ष जनवरी से बिजली की प्रतिवर्ष 50,000 यूनिटें (लाईट/पावर प्रत्येक मीटर पर 25,000 यूनिट अथवा दोनों को मिलाकर) और प्रतिवर्ष 4,000 किलो लीटर पानी। जिन संसद सदस्यों के आवास पर पावर मीटर नहीं लगा है उन्हें लाइट मीटर पर 50,000 यूनिट प्रतिवर्ष की अनुमति। अप्रयुक्त बिजली और पानी की यूनिटों को अगले वर्षों में ले जाया जाएगा। अधिक उपयोग की गई यूनिटों को अगले वर्ष के कोटा में समायोजित किया जाएगा।

		यदि पति और पत्नी दोनों संसद सदस्य हैं और एक ही आवास में रहते हैं तो बिजली और पानी की यूनिटों के नि:शुल्क उपभोग की संयुक्त हकदारी। सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/मृत्यु होने पर सदस्य अथवा उसके परिवार को एक महीने के भीतर उस वर्ष में बिजली और पानी की शेष यूनिटों का उपभोग करने की अनुमति दी जा सकती है।
7.	चिकित्सा	केन्द्रीय सरकार के ग्रेड-1 अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्राप्त सुविधाओं के समकक्ष चिकित्सा सुविधाएं।
8.	वाहन अग्रिम	दिनांक 1.10.2010 से रूपये 4,00,000/- केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू दर के ब्याज पर। इस धनराशि को 5 वर्षों की अधिकतम अवधि के अन्दर वापिस लिया जाएगा। यह अवधि संसद सदस्य के कार्यकाल से अधिक नहीं होगी।
9.	पूर्व सांसदों को पेंशन	(i) प्रत्येक व्यक्ति, जो अंतरिम संसद के सदस्य के रूप में अथवा संसद के किसी भी सदन का कितनी भी अवधि के लिए सदस्य रहा हो, को रूपये 20,000/- प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन और पांच वर्षों से अधिक वर्षों के लिए संसद की सदस्यता के प्रत्येक वर्ष के लिए रूपये 1,500/- प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन। (ii) अतिरिक्त पेंशन के भुगतान के लिए नौ मास अथवा उससे अधिक की अवधि की गणना एक पूर्ण वर्ष के समतुल्य की जाती है। (iii) पूर्व संसद सदस्यों को पेंशन किसी भी अन्य पेंशन को देखे बिना अनुमत होगी।
10.	संसद सदस्य का उसके कार्यकाल के दौरान निधन होने पर उसकी पत्नी/पति/आश्रित को पेंशन।	दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य की पत्नी/पति/आश्रित को उस पेंशन के 50% के बराबर परिवार पेंशन जो संसद सदस्य को उसकी मृत्यु के समय मिल रही होती - पत्नी/पति को आजीवन (केवल उस स्थिति को छोड़कर जब पत्नी/पति पूर्व सांसद हो) अथवा आश्रित व्यक्ति को तब तक जब तक वह आश्रित बना रहता है।
11.	यात्रा भत्ता	**<u>रेल</u>:** एक प्रथम श्रेणी + एक द्वितीय श्रेणी का भाड़ा **<u>वायुयान</u>**: किसी भी एयरलाइन्स में एक और एक चौथाई वायुयान भाड़ा। नेत्रहीन/शारीरिक रूप से विकलांग संसद सदस्य के मामले में एक सहयात्री के लिए भी वायुयान भाड़ा। **<u>स्टीमर</u>** : उच्चतम श्रेणी का एक और 3/5 भाड़ा (भोजन शामिल नहीं

		है) **<u>सड़क</u>** : (i) रूपये 16/- प्रति किलो मीटर (दिनांक 1.10.2010 से) (ii) दिल्ली के आवास से दिल्ली हवाई अड्डा जाने और हवाई अड्डा से आवास पर आने के लिए न्यूनतम रूपये 120/- (iii) सड़क द्वारा यात्रा भत्ता जब स्थान मेल, एक्सप्रैस और सुपरफास्ट रेल से नहीं जुड़े हों। (iv) बजट सत्र के मध्यान्तर के दौरान विभागीय स्थायी समिति की दो बैठकों के बीच संक्षिप्त अन्तराल के दौरान वायुयान यात्रा (यात्राओं) के लिए यात्रा भत्ता, एक वायुयान भाड़े तक सीमित + अनुपस्थिति के दिनों के लिए दैनिक भत्ता। (v) पत्नी/पति द्वारा जब सदस्य के साथ यात्रा नहीं की जा रही हो, रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डा आने-जाने के लिए वर्ष में यथा अनुज्ञेय यात्राएं करने हेतु सड़क मील भत्ता (vi) दिल्ली से 300 कि.मी. की दूरी के भीतर रहने वाले सदस्य सडक द्वारा यात्रा कर सकते हैं और 16 रूपये प्रति कि.मी. की दर से सड़क-मील भत्ते का दावा कर सकते हैं (vii) अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के उत्तर-पूर्वी राज्यों के सदस्य/पति या पत्नी निर्वाचन क्षेत्र/राज्य में अपने आवास से निकटतम हवाई अड्डे तक सड़क द्वारा यात्रा कर सकते हैं (viii) शारीरिक रूप से अक्षम सदस्य को रेल/हवाई यात्रा के बदले सड़क द्वारा यात्रा की अनुमति है।
12.	यात्रा सुविधा	(i) संसद सदस्य को किसी भारतीय रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या एक्जीक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करने के लिए रेल पास। पति/पत्नी भी संसद सदस्य के साथ उसी श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं। (ii) सहयात्री भी संसद सदस्य के साथ वातानुकूलित दो टीयर में यात्रा कर सकता है। (iii) जिस संसद सदस्य की पत्नी/पति नहीं है वे अपने साथ वातानुकूलित दो टीयर में अनुमत सहयात्री के अतिरिक्त एक व्यक्ति को अपने साथ वातानुकूलित प्रथम श्रेणी/एक्जीक्यूटिव श्रेणी में ले जा सकते हैं। (iv) संसद सदस्य और उनकी पत्नी/पति अथवा एक सहयात्री को लद्दाख से दिल्ली आने और जाने के लिए वायुयान यात्रा। (v) अंडमान और निकोबर द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के संसद सदस्य को तथा उनकी पत्नी/पति अथवा एक सहयात्री को द्वीप और मूख्यभूमि के बीच आने जाने के लिए वायुयान यात्रा की सुविधा। (vi) नेत्रहीन अथवा शारीरिक रूप से विकलांग संसद सदस्य वातानुकूलित दो टीयर में सहयात्री के स्थान पर अपने साथ, जिसमें वह स्वयं यात्रा कर रहा हो वायुयान यात्रा/रेल यात्रा में एक परिचर को ले जा सकता है। (vii) भारत में किसी एक स्थान से किसी अन्य स्थान की अकेले या

		पत्नी/पति या किसी भी संख्या में सहयात्री या रिश्तेदारों के साथ वर्ष में 34 एकल वायुयान यात्राएं उक्त सीमा के अन्दर। (viii) अगले वर्ष की हकदारी में 8 अतिरिक्त हवाई यात्राओं का समायोजन (ix) अप्रयुक्त हवाई यात्राओं को उत्तरवर्ती वर्ष में ले जाना (x) एक वर्ष में सदस्य को उपलब्ध 34 वायुयान यात्राओं के बदले संसद सदस्य की पत्नी/पति अथवा सहयात्री वर्ष में 8 बार सदस्य के पास जाने के लिए एकल यात्रा कर सकता है। (xi) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्यद्वीप के संसद सदस्य और उसकी पत्नी/पति/सहयात्री के लिए स्टीमर का उच्चतम श्रेणी का स्टीमर पास (भोजन शामिल नहीं है) (xii) जहां आवास का प्रायिक स्थान रेल, सड़क या स्टीमर द्वारा अगम्य हो, उस निकटतम स्थान जहां रेल सेवा उपलब्ध है, के बीच आने-जाने के लिए हवाई यात्रा (xiii) संसद सदस्य के रूप में उन्हें उपलब्ध हवाई यात्राओं का लाभ उठाने के लिए सदस्य किसी भी एयरलाइन्स से यात्रा कर सकते हैं।
13	पूर्व संसद सदस्यों को यात्रा सुविधा	(1) पूर्व संसद सदस्य, संसद के संबंधित सचिवालय, यथास्थिति, द्वारा रेल यात्रा करने के संबंध में जारी प्राधिकार पत्र के आधार पर, एक सहयात्री सहित भारत में एक स्थान से किसी भी दूसरे स्थान तक वातानुकूलित 2 टीयर में नि:शुल्क रेल यात्रा सुविधा के हकदार हैं। (2) किसी भी रेलवे में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में किसी भी रेल से अकेले यात्रा करने के हकदार। (3) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप से संबंधित सांसदों को द्वीप और भारत की मुख्यभूमि के बीच स्टीमर सुविधा।
14.	दिवंगत संसद सदस्य के परिवार को सुविधाएं	किसी दिवंगत सदस्य के परिवार को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं:- (क) सदस्य की मृत्यु की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए सरकारी आवास। (ख) सदस्य की मृत्यु की तारीख से दो माह से अनधिक अवधि तक टेलीफोन सुविधाएं।
15.	पूर्व संसद सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधाएं	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए शहरों में रहने वाले पूर्व सांसदों पर उतनी ही दर पर अंशदान का भुगतान करने पर केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना लागू है जिस दर पर वे संसद सदस्य के रूप में भुगतान कर रहे थे। यह सुविधा महानिदेशक (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली से सीधे प्राप्त की जा सकती है।
16.	समय से पूर्व भंग लोक सभा के	(क) दिनांक 26.4.1999 से समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को शेष अप्रयुक्त (i) नि:शुल्क 1,50,000 टेलीफोन कालों, (ii) 50,000

	सदस्यों को सुविधाएं	यूनिट बिजली, और (iii) 4,000 किलोलीटर पानी को लोक सभा के भंग होने की तारीख से नई लोक सभा के गठन की अवधि के बीच प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। ऐसी यूनिटों की अधिक खपत की स्थिति में, यदि सदस्य नई लोक सभा के लिए चुन लिया जाता है तो उसे पहले वर्ष में जो कोटा उपलब्ध होगा उन्हें उसमें समायोजित करने की अनुमति होगी।
17.	सदस्य की पत्नी/पति को यात्रा सुविधा	दिनांक 1.10.2010 से, संसद सदस्य के पति/पत्नी सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने और वापिस जाने के लिए रेल द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या एग्जीक्यूटिव श्रेणी में किसी भी रेल से कितनी भी बार यात्रा कर सकती/सकते हैं, और जब संसद सत्र चल रहा हो, तो इस शर्त के अधीन रहते हुए कि सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने और वापिस जाने के लिए वायुयान से या आंशिक रूप से वायुयान से और आंशिक रूप से रेल से यात्रा करने की अनुमति दी गई कि ऐसी हवाई यात्राओं की कुल संख्या एक वर्ष में आठ से अधिक नहीं होंगी। जब संसद का सत्र चल रहा हो और यदि सदस्य की पत्नी/पति ऐसी यात्रा या उसका कोई भाग सड़क से तय करती/करता है तो रूपये 16/- प्रति किलोमीटर की दर से सड़क मील भत्ते की अनुमति दी गई है। जब संसद का सत्र चल रहा हो और यदि ऐसी यात्रा या उसका कोई भाग सदस्य के प्रायिक निवास के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से तय किया जाता है तो सदस्य की पत्नी/पति वास्तविक वायुयान भाड़े के बराबर धनराशि का अथवा प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने अथवा वापिस जाने के लिए वायुयान भाड़ा, जो भी कम हो, का हकदार होगा/होगी।
18.	दिवंगत संसद सदस्य के परिवार को सुविधाएं	किसी दिवंगत सदस्य के परिवार को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं:- (क) सदस्य की मृत्यु की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए सरकारी आवास। (ख) सदस्य की मृत्यु की तारीख से दो माह से अनधिक अवधि तक टेलीफोन सुविधाएं।

परिशिष्ट-13

(देखें पैरा 12.7)

पूर्व संसद सदस्यों को प्रदान की गई सुविधाएं

क्र.सं.	मद	स्वीकार्यता
1.	पेंशन	(i) प्रत्येक व्यक्ति, जो अंतरिम संसद के सदस्य के रूप में अथवा संसद के किसी भी सदन का कितनी भी अवधि के लिए सदस्य रहा हो, को रूपये 20,000/- प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन और पांच वर्षों से अधिक वर्षों के लिए संसद की सदस्यता, बिना किसी अधिकतम सीमा के प्रत्येक वर्ष के लिए रूपये 1,500/- प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन। (ii) अतिरिक्त पेंशन के भुगतान के लिए नौ मास अथवा उससे अधिक की अवधि की गणना एक पूर्ण वर्ष के समतुल्य की जाती है। (iii) पूर्व संसद सदस्यों को पेंशन किसी प्रकार की अधिकतम सीमा के बिना कुल मिलाकर किसी भी अन्य पेंशन को देखे बिना अनुमत होगी।
2.	परिवार पेंशन	दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य की पत्नी/पति/आश्रित को उस पेंशन की आधी के बराबर परिवार पेंशन जो संसद सदस्य को उसकी मृत्यु के समय मिल रही होती - पत्नी/पति को आजीवन (केवल उस स्थिति को छोड़कर जब पत्नी/पति पूर्व सांसद हो) और आश्रित व्यक्ति को तब तक जब तक वह आश्रित बना रहता है।
3.	यात्रा सुविधा	(i) पूर्व संसद सदस्य, संसद के संबंधित सचिवालय, यथास्थिति, द्वारा रेल यात्रा करने के संबंध में जारी प्राधिकार पत्र के आधार पर, एक सहयात्री सहित भारत में एक स्थान से किसी भी दूसरे स्थान तक वातानुकूलित 2 टीयर में नि:शुल्क रेल यात्रा सुविधा के हकदार हैं। (ii) किसी भी रेलवे में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में किसी भी रेल से अकेले यात्रा करने के हकदार। (iii) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्ष्द्वीप से संबंधित सांसदों को द्वीप और भारत की मुख्यभूमि के बीच स्टीमर सुविधा
4.	चिकित्सा सुविधाएं	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए शहरों में

		रहने वाले पूर्व सांसदों पर उतनी ही दर पर अंशदान का भुगतान करने पर केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना लागू है जिस दर पर वे संसद सदस्य के रूप में भुगतान कर रहे थे। यह सुविधा महानिदेशक (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली से सीधे प्राप्त की जा सकती है।
5.	समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को सुविधाएं	(क) दिनांक 26.4.1999 से समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को शेष अप्रयुक्त (i) नि:शुल्क 1,50,000 टेलीफोन कालों, (ii) 50,000 यूनिट बिजली, और (iii) 4,000 किलोलीटर पानी को लोक सभा के भंग होने की तारीख से नई लोक सभा के गठन की अवधि के बीच प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। ऐसी यूनिटों की अधिक खपत की स्थिति में, यदि सदस्य नई लोक सभा के लिए चुन लिया जाता है तो उसे पहले वर्ष में जो कोटा उपलब्ध होगा उन्हें उसमें समायोजित करने की अनुमति होगी।